खण्ड-315, अंक-4
शनिवार, 15 चैत्र, शक संवत् 1897
(5 अप्रैल, 1975 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 315 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची


| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | 367-370 |
| उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक, 1975 के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी) | 371 |
| कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं .. .. .. | 371-378 |
| श्री जय प्रकाश नारायण पर कलकत्ते में हुए कथित हमले के सम्बन्ध में प्रस्ताव (अनुमति नहीं दी गयी) .. .. . | 379-400 |
| 1975-76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 41-सहकारिता, अनुदान संख्या 49-पशुपालन, अनुदान संख्या 50--दुग्धशाला (डेरी) विकास, अनुदान संख्या 51-मत्स्य उद्योग, अनुदान संख्या 72--सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 79--पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 91- ऋण और अग्रिम--सहकारिता (जारी) .. .. .. | 401-439 |
| नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं .. .. .. | 439-440 |
| बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षा विद्यालयों के शिक्षकों के पुनरीक्षित वेतन का अवशेष धन का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य . | 440-444 |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, 5 अप्रैल, 1975

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 330

अजीजुर्रमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां,
श्री अनिरुद्ध राय, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर,
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाशपति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (ऐडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती

चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी , श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़ )
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी ,श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
ज्ञानेन्द्र स्वरूप , श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन , श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बल वीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री

भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद; श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भामी, श्री
भारत सिंह, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद; श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री ( उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुबीर श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह; श्री
राधा चरण सिंह; ठाकुर
राम अधार, श्री
राम अौतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह; श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दुलारे; श्री
राम देव; श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी; श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल; श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू; श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह; श्री
राम रति बिन्द; श्री एडवोकेट
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन; श्री (जिला बस्ती)

राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रूपराम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण पान्डेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल; श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री ( उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट---सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री शिव प्रसाद सिंह भी सदन में उपस्थित थे ।

## उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त विधेयक, 1975 के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरप्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक; 1975 के सम्बन्ध में एक याचिका श्री राजेन्द्रकुमारगुप्त द्वारा हस्ताक्षरित, सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मान्यवर, याचिका इस प्रकार है कि—

श्री अध्यक्ष—

आप याचिका पढ़ना चाहते हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जी हां।

श्री अध्यक्ष—

पढ़ने की प्रथा नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इतना कहने से कुछ मालूम नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

याचिका श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा हस्ताक्षरित आपके द्वारा प्रस्तुत हुईहै और यह याचिका समिति को चली जायेगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह सदन को मालूम भी नहीं होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब तक तो समाप्त भी हो जाती।

श्री अध्यक्ष—

समय का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह प्रथा नहीं है। याचिका आती ह और प्रस्तुत होने के पश्चात् याचिका समिति को चली जाती है। मेरा आप से आग्रह है कि आप नई प्रथा न डालिये। हो सकता है कि एक दिन में 4/5 याचिकायें हों। आज तक याचिकाए यहां नहीं पढ़ी गई। याचिका का विषय कभी नहीं पढ़ा गया। आपने रख दी यही ठीक है। यह याचिका समिति को चली जायेगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह बड़े महत्व का विषय था।

श्री अध्यक्ष—

आप विषय बता दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह जो विधेयक आया है इसको सरकार किस तरह से निष्क्रिय करना चाहती है। इस बिल को सरकार निष्प्रभावी बना देना चाहती है। इस संबंध में यह याचिका थी।

### कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 56 के अन्तर्गत एक सूचना "इलाहाबाद जनपद के बारा निर्वाचन क्षेत्र में पुलिस की सांठगांठ से चावल से भरी ट्रक मध्य प्रदेश जाते समय जनता द्वारा रोकने पर गोली चलना तथा इसकी रिपोर्ट न लिखने पर सोशलिस्ट कार्यकर्ताओं की सभा पर थानाध्यक्ष के इशारे पर असांछनीय तत्वों द्वारा हमला।"

नियम 51 में आप इसको दे सकते हैं। यह 56 का विषय नहीं है।

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

[ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ]

(माननीय सदस्य बोलते रहे।)

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। यह 51 का विषय है।

एक माननीय सत्य प्रकाश जी की सूचना है कि "वित्त मंत्री द्वारा बिक्री-कर की व्यवस्था में संशोधन करके जनता को राहत देने की घोषणा के बावजूद नोटीफिकेशन न होने से व्याप्त में घोर असंतोष"

यह भी 56 का विषय नहीं है।

एक सूचना माननीय सत्यपाल मलिक की है कि डिवाइन लाइट मिशन में आपस में बनाव और श्री बाल योगेश्वर के लखनऊ आगमन की सूचना से उत्पन्न गम्भीर परिणाम की रोकथाम का उपाय।

(श्री हरिकेवल के बराबर बोलते रहने पर)। इनका कुछ नहीं लिखा जायेगा। हम इसको मान्यता नहीं देते हैं। मैं इजाजत नहीं देता हूं। आप कृपया बैठ जाइये। आप नहीं बैठते हैं। यह नहीं लिखा जायेगा। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री हरिकेवल—

[ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ]

श्री अध्यक्ष—

अब मैं माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं से आग्रह करूंगा कि इस दिशा में क्या किया जाय। मैं उनको रोक रहा हूं।.....

श्री हरिकेवल—

[ × × × × ]

(व्यवधान)

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हरिकेवल प्रसाद जी बिना इजाजत के बोल रहे हैं, इनको आप बैठावें।

श्री अध्यक्ष—

मैं उनको चेतावनी देकर छोड़ देता हूं और उनका कुछ लिखा नहीं जायगा और मैं यह भी निवेदन करूंगा कि समाचारपत्र में उनका प्रकाशन न किया जाय। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि यहां जो-जो वाक्य मेरे जरिये से हटा दिये जाते हैं और जो समाचार पत्र उन वाक्यों को लिखते हैं, कृपया वह भविष्य में न लिखें।

श्री हरिकेवल—

[ × × × × ]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। आप कृपा पूर्वक आज अब बाहर चले जायं। आप कृपया बाहर चले जायं। आप कृपा पूर्वक दिन भर के लिये बाहर चले जायं। आप कृपा करके बाहर चले जायं। 1 मिनट में नहीं जाते तो.....

श्री हरिकेवल—

[ × × × × ] (व्यवधान एवं शोरगुल)।

---

नोटः—[ × × × × ] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन नहीं हैं। अब मैं आपको इंगित करता हूं।

श्री हरिकेवल—

[ × × × ]

(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री हरिकेवल को तीन दिन के लये हाउस से निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय हरिकेवल को तीन दिन के लिये सदन से निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अगर बैठे रह जाते हैं तो दूसरी सजा होगी। अब आप 3 दिन के लिये बाहर चले जायं। आप कृपा करके बाहर चले जायं?

(श्री हरिकेवल बैठे रहे बाहर नहीं गये।)

[ × × × ]

श्री अध्यक्ष—

मैं पांच मिनट के लिये सदन को स्थगित करता हूं।

(इस समय 11 बजकर 10 मिनट पर सदन स्थगित हुआ और 11 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपने कक्ष में चले गये। उस समय आपके मार्शल और हाउस गार्डस माननीय हरि केवल को बाहर करने गये थे। तो मैं जानना चाहता हूं कि कैसे आपके मार्शल और आपकी फौज उनके पास गई? श्रीमन्, यह बड़ी दुर्व्यवस्था है?

श्री अध्यक्ष—

मैंने स्थगित ही इसलिये केवल 5 मिनट के लिए किया था ताकि इस बीच में उन्हें समझा दिया जाय और वे सदन से बाहर चले जायं या फिर उनको बलपूर्वक निकाला जाय। जो हाउस गार्डस और मार्शल उनके पास गये, वे मेरी ही आज्ञा से गये थे। 3 दिन के लिये वे इस परिसर में नहीं रह सकते हैं।

श्री सत्य पाल मलिक (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, जब सदन स्थगित था तो उस समय कैसे आपके मार्शल और गार्डस् उनके पास गये?

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

तो श्रीमन्, तो यह बात तो आपने नहीं कही थी कि मार्शल आ रहे हैं और माननीय सदस्य सदन से बाहर चले जायं।

---

नोट:—[ × × × ] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष---

मैं तो यह कह रहा हूं कि अभी भी समय है। यह दूसरा क्रम है अध्यक्ष की आज्ञा की अवहेलना का। अगर माननीय हरि केवल बैठे हैं, सदन से नहीं जाते हैं तो फिर से उनके ऊपर दूसरी सजा के लिए सोच विचार करना पड़ेगा? (व्यवधान)

श्री सत्य पाल मलिक---

मान्यवर, आप थोड़ी सी बात से उत्तेजित होकर सदन को स्थगित करके चले गये।

श्री अध्यक्ष---

मैंने सदस्यों को और माननीय नेता विरोधी दल को मौका दिया कि वे उनको समझाएं और उनके कहने पर बाहर निकल जायं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि कल ही इस सदन के अन्दर माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था कि यदि इस सदन का अनुशासन पालन करने के लिये नियमों के अन्दर कोई कार्यवाही होती है तो माननीय नेता विरोधी दल, उसका पूरा समर्थन करेंगे। आपका इस समय एक आदेश हुआ, मैं माननीय नेता विरोधी दल से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने गुड आफिसेज को इस्तेमाल करके कुछ ऐसा करें कि माननीय सदस्य को समझा दें ताकि सदन में व्यवस्था कायम रह सके और नियमानुसार सदन की कार्यवाही आगे चल सके।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

मैंने जैसे पहले अर्ज किया था और माननीय गोविन्द सिंह नेगी ने भी उस बात को दुहराया, मेरी आज भी वही स्थिति है, वही पोजिशन है। मैं यह समझता हूं कि कोई भी सदन या मीटिंग नहीं चल सकती है जब तक उनमें नियमों का पालन नहीं होता है और जो भी अध्यक्ष या सभापति हो, वह नियमों का पालन कराये। हो सकता है कि अध्यक्ष से गलती हो जाय, इन्सान होने के नाते, तब भी हमारा फर्ज है कि हम आपकी बात माने, लेकिन अगर कोई गल्ती हो जाय तो उसकी ओर आपका ध्यान अवश्य ही आकर्षित करें। आपने उन्हें बाहर जाने के लिये आज्ञा दी और जब वे बाहर नहीं गये तो आप ने सदन को स्थगित कर दिया और अपने कक्ष में चले गये। एक को यह शिकायत है कि आपको हाउस के दौरान ही उन्हें बाहर जाने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये थी, इसमें सदन का भी कोई कसूर नहीं था और अगर वे आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते। मुझे पता चला और मेरे साथियों ने बताया कि जब आप सदन को 5 मिनट के लिये स्थगित करके चले गये तो आपने अपने कक्ष से मार्शल को उनके पास भेजा। शायद हमारे नियमों में यह है कि आप यहां पर मार्शल को उनके पास भेजते और आपकी आज्ञानुसार अगर वे न जाते तो मार्शल आपको रिपोर्ट देते। शायद नियमों में यह है कि तब उसके आगेकी कार्यवाही होती। अगर ऐसा है तो वही ठीक होता। आप मार्शल को यहीं पर आर्डर देते। वे एक दम जबरदस्ती नहीं करेंगे। वह न करके आपने.....

एक सदस्य (कांग्रेस पक्ष की ओर से)---

यही हुआ। (व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह---

यह नहीं हुआ। आपने कक्ष में जाकर आर्डर दिया, वह सदन के अन्दर ही हो जाना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष---

हां ठीक है। यह सवाल उठा था तो जो पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का फैसला है वह यह है कि अध्यक्ष बैठा रहता था पहले पुलिस आती थी, पुलिस प्रवेश वर्जित हो हम लोगों ने यह सोचा। इस सम्बन्ध में यह सोचा गया कि थोड़े समय के लिये स्थगित कर दिया जाये। इस बीच में उनको समझा बुझा कर निकाल देंगे। फिरअगरअपने सामने

यह करावें तो मान लीजिये कि वह आज्ञा नहीं मानते और हमारे पास जो रक्षक हैं वे कहते हैं 'चले चलिए'। और वह नहीं जाते हैं तो क्या हम बल-प्रयोग को अपने सामने देखें। मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं कि पुलिस को बुलाऊं और न कभी बुलाऊंगा। कैसे कार्यान्वित हो इसीलिये पीठासीन सम्मेलन में फैसला हुआ कि 5 मिनट के लिये स्थगित कर दें। इस बीच में उसको मौका मिल जायेगा 2–3 मिनट का। मैं बल-प्रयोग के बारे में नहीं सोच सकता। मुझे तो आज इतना दुख हुआ, इसके पहले कभी मार्शल को कहा ही नहीं। मैंने तो यहां तक कह दिया था कि मैं ही अपना मार्शल हूं। इस सिलसिले में कोई निबटारा होना चाहिये। कोई रास्ता तो निकले।

चौधरी चरण सिंह—

मार्शल को आप आर्डर दे सकते हैं। उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपको आर्डर यहां देना चाहिये, लेकिन आर्डर दफ्तर में दिया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं नियमावली के नियम 299 की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, "अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेंगे और किसी सदस्य को जिनका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो, अथवा अध्यक्ष के प्रति अवज्ञापूर्ण हो, सदन से तुरन्त बाहर चले जाने का निदेश दे सकेंगे और जिस सदस्य को इस प्रकार बाहर चले जाने का निदेश दिया जाये वह तत्काल सभा-मंडप से बाहर चले जायेंगे और उस दिन के उपवेशन के अवशिष्ट समय में अनुपस्थित रहेंगे।

अब श्रीमन्, आपने इस नियम के अन्तर्गत माननीय सदस्य से कहा कि बाहर चले जायें लेकिन नहीं गये तो आपको उन्हें इंगित करने के बाद नियमावली के नियम 299 (3) (क) के अनुसार कार्यवाही करनी पड़ी। जैसे ही किसी सदस्य को इंगित किया जायगा, सदन नेता अथवा उनकी अनुपस्थिति में कोई अन्य सदस्य तत्काल इस आशय का प्रस्ताव करेंगे कि इंगित सदस्य को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय और ऐसे प्रस्ताव पर प्रश्न बिना किसी संशोधन या विवाद या स्थगित प्रक्रिया के सदन के समक्ष उपस्थित कर दिया जायेगा।

श्रीमन् यही किया गया। आपने उपस्थित किया और सदन ने स्वीकृति दी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ 299 (3) (ख) में लिखा हुआ है इस प्रकार किसी सदस्य के निलम्बित किए जाने पर पहली बार निलम्बन की अवधि 3 उपवेशनों के लिये होगी, दूसरी बार 7 उपवेशनों के लिये और अनुवर्ती अवसरों पर यदि सदन अन्यथा विनिश्चय न कर, सत्र की अवशिष्ट कालावधि के लिये होगी।

जब आपने सदन को पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 5 मिनट के लिये स्थगित किया तो मैंने भी आग्रह किया कि वे हमारी बात को मान लें। हम राजी कर रहे थे। इसी बीच मार्शल पहुंचे और आपका सन्देश पहुंचाया। बल का प्रयोग नहीं किया।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

बल प्रयोग कर रहे थे।

(व्यवधान)

(श्री हरि केवल सदन से बाहर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय सदस्य नहीं हैं, चले गये, अब आगे चलिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उपनियम (घ) में लिखा हुआ है :—

"(घ) सदन की सेवा से निलम्बित सदस्य सदन के परिसर में प्रवेश करने से और सदन की समितियों की कार्यवाहियों में भाग लेने से वर्जित रहेंगे :

परन्तु अध्यक्ष किसी निलम्बित सदस्य को तदर्थ प्रार्थना किए जाने पर सदन के परिसर में किसी विशेष प्रयोजन के लिए आने की अनुमति दे सकेंगे।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

(4) सदन किसी समय प्रस्ताव किए जाने पर यह आदेश दे सकेगा कि उपर्युक्त उपनियम (3) अधीन किया गया निलम्बन का कोई दन्ड या उसका असमाप्त भाग निरस्त किया जाय।"

एक सदस्य--

यह तो प्रवेश के लिए तब है जब निलम्बित सदस्य बाहर चले जायं। वह तो यहां बैठे हुए थे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं तो चौथा भाग पढ़ रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदस्य चले गए हैं। तीन दिन की जो सजा दी है वह बहुत ज्यादा है। आप निलम्बन को समाप्त कर दें।

श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)--

मैं इसका समर्थन करता हूं।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

मेरा यह अत्यन्त विनम्र निवेदन है कि जैसे आपने आज तक सहृदयता से माननीय सदस्यों के साथ व्यवहार किया है, उन्होंने गलती जरूर की, आपका आदेश नहीं माना, मगर अब जब वह सदन से बाहर चले गए हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आप उसी सहृदयता के आधार पर उनकी सजा माफ कर दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आप तो बड़े दयामय हैं। मैं आग्रह करूंगा कि उनको एक मौका और दें और निलम्बन का प्रस्ताव समाप्त करें।

चौधरी चरण सिंह--

उपनेता सदन ने जो प्रस्ताव किया मैं उसका समर्थन करता हूं। आपके हुक्म पर तो एक तरह से अमल किया ही जा चुका है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री हरि केवल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही वापस ली जाय, उनको क्षमा किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

एक निवेदन मैं करूंगा और खासतौर पर नेता, विरोधी दल से कि जो स्थगन प्रस्ताव हों वे सही होने चाहिये जिनकी जिम्मेदारी शासन की हो। अब जैसे डिवाइन लाइट मिशन के बाल योगेश्वर अमरीका से आ रहे हैं तो यह 56 का विषय नहीं है। अगर आपके पास हम सब 56 के भेज दें तो आप स्वयं उनमें से 90 सैकड़ा तो खुद ही कहेंगे कि होने ही नहीं चाहिए। बाल योगेश्वर कार्य-स्थगन का विषय कैसे होगा? यह हो सकता है कि जैसे जयगुरुदेव के बारे में हुआ वैसे इनके बारे में प्रश्न हैं। प्रश्न करें तो 51 में मांगें। लेकिन शासन का सीधा सम्बन्ध है ही नहीं। इसलिए इसको जरा आप भी देख लिया करें तो हमारी मदद हो जाया करेगी।

श्री सत्यपाल मलिक--

हम लोग भी सदन का समय खराब नहीं करना चाहते। लेकिन जो यह नियमावली है इसमें हमारे सामने कोई और रास्ता ही नहीं है। हम चाहते हैं कि इस नियमावली में कुछ संशोधन होने चाहिए। इसमें बहुत ही कमियां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए।

जो सवाल मैंने प्रस्तुत किया है वह सरकार से सम्बन्धित है। बाल योगेश्वर को तथा उनके ग्रुप को डिवाइन लाइट मिशन से अलग कर दिया गया है। उसमें अब दो ग्रुप हो गए हैं। कुछ सामाजिक संगठन बाल योगेश्वर का विरोध कर रहे हैं और उनके आने पर ऐसा हो सकता है कि ला एन्ड आर्डर की स्थिति खराब हो जाय। उनकी मां ने कुछ चार्जेज भी लगाये हैं कि कुछ विदेशी आसूस उनके साथ आ रहे हैं। तो हमें अभी से उसकी तैयारी कर लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष——

पर यह नियम 56 का विषय नहीं है।

श्री सत्यपाल मलिक——

श्रीमन्, नियम 51 व अल्पसूचित से हम लोग इस कदर फेल हो गए हैं कि मजबूर हो कर यह लाना पड़ा।

श्री अध्यक्ष——

मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितनी अधिक सूचनायें नियम 51 के अन्तर्गत मैं स्वीकार करता हूं उतनी किसी अन्य विधान सभा में नहीं होती होंगी शासन को भी इससे कभी-कभी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, वे मुझसे कहते भी हैं, मगर मैं स्वीकार करता हूं। नियम 56 के अन्तर्गत तो किसी विशेष महत्वपूर्ण घटित घटना पर जिसका सम्बन्ध सरकार से हो, आ सकता है .....(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह——

मैं आपसे सहमत हूं, अभी कोई अवसर इसका है नहीं, आगे कोई प्राब्लम हो जाय तो उठाया जा सकता है, अभी इससे लोक महत्व का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष——

धन्यवाद।

अब एक माननीय सत्यपाल मलिक तथा अन्य ने काशी विद्यापीठ के वाइस चान्सलर श्री वी0 वी0 केसकर के त्याग-पत्र से शिक्षा जगत में असंतोष के बारे में दिया है। इस पर आप प्रश्न कर सकते हैं ..... (व्यवधान) जो भी इस्तीफा देता है वह चाहे तो सार्वजनिक तौर पर बयान दे, चाहे न दे। यह नियम 56 का विषय नहीं हो सकता। आप अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)——

बार-बार अगर मन्त्री इस्तीफा दें तो कारण तो खोजना पड़ेगा ..... (व्यवधान) यह सही है कि आप नियम 51, 52 और 56 के अनुसार सदन को काफी मौका देते हैं लेकिन जितना बड़ा यह प्रदेश है और जनता के जितने सारे प्राबलम्स हैं उस सिलसिले में हमें दिक्कत पैदा हो जाती है। अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न करने की भी एक सीमा है।

श्री अध्यक्ष——

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न करने पर प्राथमिकता हो जाती है और उसका जवाब मिलने पर देर नहीं होती है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)——

आप तो अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न स्वीकार कर लेते हैं लेकिन आप हर रोज के एजेंडे को देखें तो मालूम होगा कि गवर्नमेन्ट उसे नहीं मानती है, तारांकित प्रश्न के रूप में बदल देती है। जिसको आपने अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकार कर लिया, उसका जवाब उसी के हिसाब से गवर्नमेन्ट को देना चाहिए, लेकिन चूंकि गवर्नमेन्ट को अख्तियार है कि उसे माने या न माने, तो इस तरह के अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न करना बेकार हो जाता है। आप देखें कि इस सत्र में जिसने भी अल्प-सूचित प्रश्न किया, 2, 3 या एक,

[श्री मुहम्मद असरार अहमद]
और किसी-किसी दिन तो एक भी नहीं आया उसका जबाब गवर्नमेन्ट की तरफ से नहीं आया। आपने जब उसे स्वीकार कर लिया और गवर्नमेन्ट उसका जबाब देने के लिए तैयार नहीं होती तो हम क्या करें ?

श्री अध्यक्ष---

अगर आपको कुछ और अभीष्ट है तो फिर इन नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा लेकिन जब तक ये नियम हैं तब तक यही ठीक है। इससे आपका कोई नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को प्राथमिकता देकर मैं ऊपर कर देता हूं। इस तरह से उनका जवाब जल्दी आ जाता है। लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसा करना अभीष्ट है तो नियमों में कुछ संशोधन करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मैंने पशुपालन मन्त्री के विरुद्ध एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष---

आज नहीं, उसे दूसरे दिन दीजिएगा।

(व्यवधान)

श्री राम अधार---

मुझे भी कुछ निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष---

इस पर कोई बहस नहीं है। मैंने निवेदन कर दिया और माननीय नेता विरोधी दल भी मुझ से सहमत हैं। एक माननीय बाबू लाल वर्मा जी का है---"जरवल चीनी मिल बहराइच के बन्द होने के कारण गन्ना किसानों व श्रमिकों में असन्तोष।"

इसको आप नियम 51 में दें या इस पर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न करें।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)---

मान्यवर, किसानों का लाखों कुन्टल गन्ना खेतों में सूख रहा है और बहुत से मजदूर किसान वहां डेरा डाले पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष---

एक श्री सत्य प्रकाश, श्री मोहन लाल कपूर और श्री श्री नारायण का है---"वित्त मन्त्री द्वारा बिक्री-कर की व्यवस्था में संशोधन करके जनता को राहत देने की घोषणा के बावजूद नोटिफिकेशन न होने से जनता में घोर असन्तोष।"

एक कानून आपने पास किया और संशोधन यहां से हुआ है।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)---

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शरू हो गया है और एक सूत्री- बिक्री-कर के बारे में अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जैसा कि बजट भाषण में सूचित किया गया है, एक अप्रैल से बहुसूत्रीय बिक्री-कर के स्थान पर एक सूत्री बिक्री-कर कर दिया गया है और उसका गजट नोटिफिकेशन भी हो गया है। जिनका नहीं हुआ है उनके सम्बन्ध में व्यावसायिक संघों से परामर्श हो रहा है, उनकी भी राय ली जा रही है ताकि वे यह न कह सकें कि हमसे कुछ नहीं पूछा गया इस सम्बन्ध में। अधिक से अधिक व्यापारिक संघों से बातचीत हो सके, इस बात की चेष्टा है। और जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं होता, तब तक पुरानी दरें ही रहेंगी। जब तक कि कोई संशोधन नहीं होना है, उसके लिए कानून पारित कराना होगा और माननीय सदस्य चाहेंगे और उनका सहयोग होगा तो इस बीच भी एक बिल इस सम्बन्ध में लाया जा सकता है।

## श्री जयप्रकाश नारायण पर कलकत्ते में हुए कथित हमले के सम्बन्ध में प्रस्ताव

**श्री अध्यक्ष**—

अब कार्यसूची 6—नेता विरोधी दल (चौधरी चरण सिंह) द्वारा कलकत्ते में दिनांक 2 अप्रैल, 1975 को श्री जयप्रकाश नारायण के साथ घटित घटना के सम्बन्ध में प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण।

**श्री गोविन्द सिंह नेगी** (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है? मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**—

हां।

**श्री गोविन्द सिंह नेगी**—

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल जो प्रस्ताव रख रहे हैं यह प्रस्ताव इस सदन में आ नहीं सकता है।

**चौधरी चरण सिंह** (जिला मेरठ)—

पहले मैं प्रस्ताव पेश करूं तभी तो एतराज आ सकता है।

**श्री अध्यक्ष**—

यह बिना नोटिस का प्रस्ताव है। नोटिस की बात हो तो उसकी बात दीगर है। यह बिना नोटिस का है। मैं मानता हूं कि शायद सहमत न हों। आपत्ति होगी, लेकिन तब होगी जब यह रख देंगे।

**चौधरी चरण सिंह**—

अध्यक्ष महोदय मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं :—

यह सदन 2 अप्रैल, 1975 को कलकत्ते में श्री जय प्रकाश नारायण जी के ऊपर सुनियोजित ढंग से किए गए घातक हमले की घोर निन्दा करता है।

इस प्रकार की हिंसात्मक प्रवृत्ति पर यह सदन घोर चिन्ता व्यक्त करता है और अनुभव करता है कि यह आक्रमण श्री जय प्रकाश नारायण जी पर नहीं वरन् देश के संविधान, नागरिक स्वतन्त्रता पर प्रहार है।

इस सुनियोजित हमले के बावजूद श्री जय प्रकाश नारायण जी की जान बच जाने पर यह सदन हर्ष व्यक्त करता है।"

**श्री गोविन्द सिंह नेगी**—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि संकल्प के लिए नियम 85 देखें।

"जो असरकारी सदस्य कोई संकल्प प्रस्तुत करना चाहें वे सचिव को अपने इस मन्तव्य की लिखित सूचना कम से कम 15 दिन पहले देंगे और सूचना के साथ उस संकल्प की एक प्रति भेजेंगे जिसे वह प्रस्तुत करना चाहते हैं।

मान्यवर, इसके बाद एक नियम 110 है। माननीय नेता विरोधी दल यह कह सकते हैं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को इसमें दिया। मान्यवर, नियम 110 देखें :—

'निम्नलिखित प्रस्ताव, यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें, बिना सूचना के किए जा सकेंगे:—

समवेदना या बधाई का प्रस्ताव। तो इसमें भी यह नहीं आता है।

(शोर)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--
यह इसी में आ गया।

(शोर)

श्री गोविन्द सिंह नेगी--
मेरी बात सुन लीजिए। जय प्रकाश नारायण जी पर हमले की बात आप कह रहे हैं। लेकिन मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--
आप सदन का समय नष्ट कर रहे हैं।

(शोर)

श्री गोविन्द सिंह नेगी--
उपवेशन स्थगित करने का प्रस्ताव। इसमें भी यह नहीं आता है। अजनबियों को हटाने का प्रस्ताव। इसमें भी यह नहीं आता है। समितियों के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव, इसमें भी यह नहीं आता है। किसी विधेयक या संकल्प या प्रस्ताव या उस पर संशोधन को वापस लेने का प्रस्ताव। तो इसमें भी यह नहीं आता। किसी कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव। इसमें भी नहीं आता। वाद-विवाद को स्थगित करने का प्रस्ताव। इसमें भी नहीं आता। किसी नियम के निलम्बन का प्रस्ताव। तो इसमें भी यह नहीं आता है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--
[* * * * *]

श्री अध्यक्ष--
यह नहीं लिखा जायगा। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य कहना चाहते हैं। उनको नहीं टोकना चाहिए। मैं इनको सुन रहा हूं। चौधरी साहब को भी समय मिलेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--
तो मान्यवर, यह नियम 110 में नहीं आ सकता। इसके अलावा मान्यवर, नियम 105 देखें।

प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्तें --कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सके इसके लिए वह निम्न शर्तें पूरी करेगा, अर्थात् कि--

1--उसमें सारवान रूप से एक निश्चित प्रश्न उठाया जाएगा,

2--उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, अभ्यारोपण या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे,

तो मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसमें यह है कि :--

यह सदन 2 अप्रैल, 1975 को कलकत्ते में श्री जय प्रकाश नारायण जी के ऊपर सुनियोजित ढंग से किए गए घातक हमले की घोर निन्दा करता है।

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि यह स्पष्टतः अनुमान है। इसमें कोई इनक्वायरी नहीं हुई। बंगला की विधान सभा के अन्दर प्रस्ताव पास किया गया कि यह शान्तिपूर्ण प्रदर्शन था। इस तरीके के बगैर किसी फाइंडिंग के यह कहना है कि प्रिप्लान्ड घातक हमला था जबकि श्री जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर के कोई चोट नहीं है। यह व्यंग्यात्मक आधार पर, अनुमान के आधार पर प्रस्ताव है। जिसकी 105 नियम 2 के अन्दर अनुमति नहीं है।

---

नोट :--[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

इन तथ्यों के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि नोटिस नहीं है 110 के अन्दर आता है, 105 के अन्दर ग्राह्यता की शर्त को पूरा नहीं करता है। इसलिए यह प्रस्ताव सदन के अन्दर नहीं पास हो सकता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है। हमारे विरोधी दल के नेता ने प्रस्ताव रखा, तो मैं समझता था कि जितने प्रजातन्त्र के प्रेमी होंगे और किसी मानव समाज के लिए हृदय तथा सहृदयता रखते होंगे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। थोड़े ही दिन हुए कोई इलाहाबाद में घटना हुई जिसकी तस्वीर चौधरी साहब के पास मौजूद है। उसमें इन्दिरा गांधी और मुख्य मन्त्री जी की फोटो छपी है जो कि सम्पादक से सम्बन्धित घटना है। उनके बारे में, घटना के बारे में जांच नहीं हुई और प्रस्ताव आ गया। सभी दलों के लोगों ने राय व्यक्त की और यहां भी राय व्यक्त की गयी। तो जब वह घटना घटी तब किसी नियम की बात नहीं गयी की क्योंकि उससे कलई खुलती। नियम 105, 106 और 110 नियम को देखें जिसमें आपने राय व्यक्त की है। मैं उसकी चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि उसमें समय लगेगा। आपने नियम देखकर ही किया। इसलिए चौधरी साहब को अवसर दें और मुझे भी अवसर दें जिससे तथ्यों को रखें कि वह नियमों में आता है कि नहीं, सम्वेदना में आता है, बधाई में आता है कि नहीं। हमें अवसर दें और तथ्यों के सुनने के बाद अपनी राय प्रकट करें। आप प्रजातन्त्र के हामी रखने वाले हैं और आपकी पुलिस खड़ी रहती है और आर्डर होता है कि पत्थर से मारो और चुपचाप देखते रहते हैं। पता नहीं उनको आदमी का दिल दिया है या किस प्रकार का दिल है। चौधरी साहब जब ग्राह्यता के बारे में राय प्रकट करेंगे तो मैं भी कुछ कहूंगा।

श्री धर्म वीर (जिला इलाहाबाद) —

मान्यवर, नेगी जी ने चौधरी साहब के प्रस्ताव पर जो आपत्ति जाहिर की है वह नियमानुसार 105, 106 और 110 के अन्दर जो चौधरी साहब ने प्रस्ताव रखा है वह नियमों के अनुसार नहीं आता है। श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने इलाहाबाद की घटना का जिक्र किया है तो वह देश के अन्दर की घटना के सम्बन्ध में है और प्रदेश सरकार जो बैठी है उसके बाद में संम्वेदना हम दे सकते हैं। यदि देश के बाहर घटना होती है, तो घटना क्या है, कैसी भी, वह गलत थी या सही थी या विरोधी दल का प्रचार मात्र था, उसके प्रस्ताव पर विधान सभा में विचार करना शुरू करेंगे तो अध्यक्ष जी, जो संकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं वह सारे देश में हिंसा भड़काना चाहते हैं।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

मान्यवर, यह क्या अनर्गल कह रहे हैं?

श्री धर्मवीर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विरोधी दल शान्ति व्यवस्था को भंग कराते हैं और उसके बाद सरकार के ऊपर दोषारोपण करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप नियमों के संरक्षक हैं। आप प्रक्रिया नियमावली को देख लें। आप उसमें पायेंगे कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पेश नहीं हो सकता। चाहे भुवनेश्वर की तरफ हो या दक्षिण की तरफ हो, प्रधान मन्त्री पर हिंसात्मक प्रहार किए गए हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

माननीय सदस्य जो बातें कह रहे हैं वह तथ्य से परे हैं।

श्री धर्म वीर—

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इसको अस्वीकृत करें और दूसरे कार्यों में लें।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली))—

दुनियां में जितने भी पंचायती राज हैं उनकी आधारशिला दो बातों पर है—एक तो रिटिन कांस्टीटूयुशन और दूसरी परम्पराएं। हमारी जो असेम्बली चल रही है इसकी बुनियाद इंग्लिस्तान में है जहां कोई रिटिन कांस्टीट्यूशन नहीं है, वहां सरकार परम्पराओं पर चलती है। बदकिस्मती की बात थी कि प्रधान मन्त्री के सम्बन्ध में इस बात का शुबह हुआ कि हाई कोर्ट के कैम्पस में जो आदमी पकड़ा गया हमला करने का इरादा रखता था। प्रधान मन्त्री जो कि एक बहुत बड़ी शख्शियत है, केवल हमले की शुबहा होते ही वगैर किसी और बात का ख्याल किए हुए दिल्ली में, हिमांचल प्रदेश में और मुख्तलिफ विधान सभाओं में रेज्योल्यूशन्स पास हुए। हिंसा को कन्डम किया गया। बिलकुल उसी किस्म का वाक्या कलकत्ता में हुआ। जय प्रकाश जी भी हमारे देश के बड़े आदमी हैं, उन्होंने देश की निष्काम सेवा की है। अगर ऐसी फोर्सेज हैं जिन्होंने उन पर हमला किया और उनकी जान लेनी चाही तो हमारा सबका फर्ज है कि हम इसको कन्डम करें। हमारे माननीय सदस्य जो बातें कह रहे हैं वह शायद आवेश में आ गए। यह कोई प्रेस्टिज की बात बनाई है। हम सबको तकलीफ होनी चाहिए अगर किसी वक्त आदमी के प्रति ऐसी बात हुई है। ऐसी ही बात की हमको मजामत करनी चाहिए। भर्त्सना करनी चाहिए। ऐसी ही एक घटना प्रधान मन्त्री के सम्बन्ध में हुई और उस पर यहां रेजोल्यूशन पास हुआ तो वही बुनियाद काफी है। नियमों की बात मैं नहीं करता लेकिन यह सदन सक्षम है। महोदय, अगर परम्परा ठीक है तो आप इजाजत दे सकते हैं।

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मुझे यह देख कर बड़ी खुशी हुई कि नेता विरोधी दल जिन्होंने पारसाल राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन द्वारा हिंसात्मक तरीका अपनाने की कोशिश की थी उसे वह छोड़ रहे हैं।

श्री बांके लाल—

यह बात गलत है। नेता विरोधी दल ने तो रोका था।

(व्यवधान)

चुप रहो, मत बोलो। गलत बोल रहे हो। जय प्रकाश जी के खिलाफ बोल रहे हो। वह ऐसी हस्ती है कि जो मुल्क की आजादी के लिए बराबर लड़ते रहें। आप यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं तो यह भयभीत हो रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरी सिंह—

उनके प्रति बहुत ही आदर होते हुए भी इस बात की शिकायत थी कि उन्होंने जाने अनजाने में हिंसात्मक मार्ग अपनाने की जो बात की उसकी उनसे आशा नहीं थी। आज इस प्रस्ताव को देखकर मुझे खुशी है कि वह देश में चाहे की भी हुल्लड़बाजी हो, हिंसात्मक तरीके के हमला हो, उसकी निन्दा करना चाहते हैं। इससे मुझे एक और आशा बंधी कि उनके सहयोगी या अन्य विरोधी दल जो इस देश में हुल्लड़बाजी और हिंसात्मक रास्ते पर आना चाहते हैं, सम्भवतः माननीय नेता विरोधी दल उनके मार्ग को अवरुद्ध करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं .... (व्यवधान) के चाहे हमला किसी राजनैतिक व्यक्ति के ऊपर हो, मैं उनका विरोधी हूं, लेकिन .....

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, यहां ग्राह्यता पर बहस हो रही है और यह तो प्रस्ताव के कन्टेन्ट्स पर बोल रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

चाहे घटना बंगाल में हो या महाराष्ट्र में, जय प्रकाश जी पर हमला हुआ है, यह एक असाधारण घटना है।

श्री अध्यक्ष--

आप शांत हों। माननीय कौशिक जी इस प्रकार आप खड़े होकर क्यों बोलने लग जाते हैं? आप बैठ जायं।

श्री रामअधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं कि बहस तो ग्राह्यता पर हो रही है . . .

श्री अध्यक्ष--

हो सकता है वह ग्राह्यता मानकर बोल रहे हों। आप उनकी पूरी बात सुन लें। उनके बोलने पर आपको एतराज क्यों है?

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--

श्री जय प्रकाश नारायण स्वयं स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ने वाले हैं उनके विरुद्ध कोई बात कहना अच्छा नहीं लगता।

श्री ईश्वरी सिंह--

मान्यवर, मैं इस स्पष्ट राय का हूं कि यह जो प्रस्ताव 103 में रखा गया है, एकदम इरेलेवेन्ट है। ऐसा क्यों है, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो लिखा हुआ है कि "सुनियोजित ढंग से हमला किया गया", तो माननीय नेता विरोधी दल को इस 'सुनियोजित ढंग योजना' के सम्बन्ध में क्या जानकारी है, कौनसा सुनियोजित योजना थी और वह कौन व्यक्ति था जिसने हमला कराया, उसको स्पष्ट करना चाहिए था। लेकिन इससे ऐसा प्रतीत होता है कि राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर यह किसी भी सरकार को बदनाम करने का एक तौर तरीका निकाला है, और मैं उस भावना के विरुद्ध हूं। जहां तक हिंसात्मक हमला करने का ताल्लुक है, मैं इसके विरुद्ध हूं, लेकिन धारा 103 में जहां सुनियोजित ढंग से हमला कराने की बात है, जैसा कि कहा गया है, इससे जाहिर होता है कि आपका उद्देश्य उस घटना को लेकर सही उपाय ढूंढने का नहीं, बल्कि इस प्रकार येन-केन-प्रकारेण राजनैतिक प्रश्न को इस सदन में लाकर उपस्थित करना है। जो राजनैतिक प्रश्न माननीय नेता विरोधी दल यहां लाना चाहते हैं वह उत्तर प्रदेश प्रशासन से सम्बन्धित नहीं है और इसलिए ऐसी बात कहना है कि एक कांसपीरेसी हुई है जिससे श्री जय प्रकाश जी पर हमला हो, ठीक नहीं है। यहां ऐसी कोई कांसपीरेसी नहीं हुई है जिससे जय प्रकाश जी पर हमला हो, तो उस प्रश्न को यहां लाना उचित नहीं होगा। मेरी राय में यह इस विधान सभा के जरिडिक्शन के बाहर है। इसलिए धारा 103 के अन्तर्गत इस तरह के प्रस्ताव लाना जो कि हमारे प्रदेश के प्रशासन की सीमा के बाहर हो, जिसके बारे में आप एक निश्चित एवं सुनियोजित घटना न बतला पायें, साजिश को न बतला पायें उसकी आड़ में ऐसी घटना को लेना मैं समझता हूं कि वह एक राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है जो कि इस सदन के पुण्य कर्तव्य के अन्तर्गत नहीं आता।

*वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

माननीय नेता विरोधी दल सामान्यतया कोई भी प्रस्ताव पेश करें, किसी भी सदन में तो यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उसे गम्भीरतापूर्वक तथा ध्यान पूर्वक सुना जाय और आवश्यक हो तो विचार भी किया जाय नेता विरोधी दल के पद की गरिमा विधान मन्डलीय परम्परा के सर्वमान्य है। साधारणतया मेरे लिए उचित नहीं था कि मैं इस सन्दर्भ में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसकी वैधानिकता पर आपत्ति करूं लेकिन जब यह प्रश्न प्रस्तुत हो गया है और इसकी उपादेयता और नियमानुकूलता पर आपत्ति की गयी है तो दो प्रकार से विरोध किया जा सकता है। एक विरोध का स्थल तो यह था जब वह प्रस्ताव कर लेते और दूसरा स्थल वह है जो प्रश्न उठाया गया है वह नियमानुकूल नहीं है तो उसकी नियमानुकूलता के सन्दर्भ में उसका विरोध किया जाय। तो मैं माननीय नेता विरोधी

---

*वक्ता ने भाषण का पूनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

दल से यह अनुज्ञा चाहता हूं कि मैं इसी स्थल पर कुछ अपने विचार प्रकट करूं। आप देखेंगे स्वयं नेता विरोधी दल ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस नियम के अन्तर्गत यह प्रस्ताव लाया गया है मैंने प्रस्ताव पढ़ने की चेष्टा की है कि किस नियम के अन्तर्गत यह पेश किया गया है। प्रस्ताव में स्वयं यह नहीं लिखा गया है किस नियम के अन्तर्गत यह है। इससे यह स्पष्ट है कि यह किसी नियम के अन्तर्गत नहीं है। नेता विरोधी दल की गरिमा के अनुरूप वह किसी प्रश्न को उठा सकते हैं इसके अन्तर्गत उन्होंने उसे उठाया है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

व्यवस्था का प्रश्न है। नेगी जी ने कहा कि 110 के अन्तर्गत प्रश्न उठाया है वह गलत है। जो प्रश्न आया है वह नियमानुकूल है और आप जरा 103 को पढ़ें।

श्री अध्यक्ष—

आप को जब बोलने का अवसर आए तब आप अपने विचार प्रकट करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अगर नियम का उल्लेख है तो मैं अपनी भूल सुधारने को तैयार हूं। मैंने जहां तक पढ़ने की चेष्टा की किसी नियम का उल्लेख नहीं था। अब यह किस नियम के अनुसार है इसका कोई उल्लेख नहीं है। दो तरह से प्रस्ताव हो सकते हैं एक सरकारी और दूसरा असरकारी। सरकारी प्रस्ताव सरकार की ओर से किया जा सकता है तो मुख्य मन्त्री, कोई अधिकृत सदस्य अथवा कोई मन्त्री ही उसे पेश कर सकता है दूसरा असरकारी प्रस्ताव होता है जो इलाका के माध्यम से आता है और उसके लिए दिन निर्धारित होता है प्राइवेट मेम्बर्स के और प्रस्ताव शुक्रवार के दिन इलाका के जरिए आता है और उस पर तब विचार होता है।

श्री अध्यक्ष—

संकल्प कहिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

स्थगन प्रस्ताव और लोक महत्व के प्रस्ताव अलग हैं श्रीमन्, मैं टैक्निकल दृष्टि से इस पर नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि श्रीमन् यह विचार करें यह दूसरे प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में वहां के विश्वविद्यालय के प्रांगण में यह घटना घटित हुई बताई जाती है। जो समाचार-पत्रों में मैंने भी पढ़ा तो वहां भी चुनी हुई विधान सभा और विधान मन्डल हैं जहां पर हमारे ही दल के लोग बैठे हैं। तो जैसा मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा.....

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

तिवारी जी वहां पर विधान सभा है ही नहीं, गोली चलवाकर वहां पर विधान सभा कायम की है। वहां पर प्रजातन्त्र है ही नहीं। (व्यवधान)।

श्री जंग बहादुर वर्मा—

दिल्ली में गांधी जी पर जब गोली मारी आपने रोका नहीं (व्यवधान) आपने रोका होता तो गांधी जी की हत्या नहीं हुई होती (व्यवधान) आपको शर्म नहीं आती कायदा कानून की बात कर रहे हैं। मदन लाल ने बन्दूक मारी थी और खेद प्रकट नहीं किया। खेद प्रकट किया होता तो गांधी जी की हत्या नहीं हुई होती।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

वहां पर चुनाव सही प्रकार नहीं हुए. अगर आप यह बता दें कि चुनाव सही प्रकार हुए तो चौधरी साहब इसे वापस ले लेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि दूसरे प्रदेश में जहां पर चुनी हुई सरकार है चुनी हुई विधान सभा है यह उनके अधिकार में है कि वहां पर ला एन्ड आर्डर किस प्रकार कायम करें। तो श्रीमन्, मेरे पास रूलिंग है जो इस सम्बन्ध में दी गई है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार "कौल तथा शकधर के पृष्ठ 615 में देखें जिन संकल्पों में ऐसे विषय उठाये जायें जो मुख्य रूप से एक राज्य की जिम्मेदारी है और जिनसे राज्य की स्वायत्तता में हस्तक्षेप होता हो वे अग्राह्य हैं"।

श्रीमन्, बंगाल की यह घटना है। उनके अपने संवैधानिक अधिकार हैं जैसे यहां पर एक प्रश्न उठा, मध्य प्रदेश में या किसी दूसरी विधान सभा में उसके बारे में प्रिविलेज का प्रश्न उठाया गया था तो उसमें यह हुआ था कि वह दूसरे शासन के कार्यक्षेत्र में है। चाहें कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो देश की सेवा की हो अगर इस प्रकार की परम्परा शुरू करेंगे तो उसका अन्त नहीं होगा। कलकत्ता में कोई घटना हो वह समाचार-पत्रों में छपे और उसका चर्चा यहां पर हो तो उचित नहीं होगा। जहां तक श्री जय प्रकाश जी का सवाल है वह दीर्घायु होंगे उनके दीर्घायु होने की हम कामना करते हैं। लेकिन यहां पर जो प्रश्न है वह बिलकुल दूसरा है। युवक कांग्रेस के निरंजन दास का वक्तव्य पैट्रीआट में छपा है जिसमें कहा गया है कि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुआ और जय प्रकाश जी पर कोई आंच नहीं आई। (व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

समर गुहा जी का चोटें लगी हैं उसका ख्याल करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, इसमें बधाई प्रस्तावों के बारे में सन् 1965 में माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी बैठे हुए हैं उन्होंने एक प्रश्न उठाया था 26 अगस्त, 1965 को कुंवर श्रीपाल सिंह भारतीय सेनाओं को धन्यवाद का प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुज्ञा चाही जो पाकिस्तान की दो चौकियों पर कब्जा करने से सम्बन्धित था। इसको अध्यक्ष ने अस्वीकार करते हुए कहा कि 'ऐसे जितने प्रस्ताव होते हैं जैसा मैं आदरणीय सदन के सामने कह चुका हूं, सब नेता लोग मिल लें और आपस में पहले बात कर लें तभी यह सदन के समक्ष आना चाहिए।

तो श्रीमन्, बधाई प्रस्ताव यह है नहीं यह एक राजनैतिक प्रस्ताव है। प्रस्ताव रखने का पूरा अधिकार है, नेता विरोधी दल है उनको पूरा अधिकार है इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वह प्रस्ताव कोई नियम के अधीन होना चाहिए। इस पर श्रीमन् आप विचार करें इस सम्बन्ध में एक रूलिंग लोक सभा में दी है यह चूंकि अंग्रेजी में दी गई थी इसलिए मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहूंगा। 15 जून, 1952 को श्री ए0 के0 गोपालन ने वहां पर एक प्रस्ताव रखना चाहा जिस पर उन्होंने कहा --

"There are many newspaper reports and it is generally the parliamentary practice that questions or motions based on mere newspaper reports are not admissible कई प्रकार की समाचार-पत्रों में रिपोर्ट होती हैं और यह मान्यता प्राप्त पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस है कि जो प्रस्ताव या संकल्प किसी अखबारी सूचना पर आधारित होते हैं, उनको मान्यता नहीं दी जाती है। That is practice, That is the rule. यह नियम है। That is the convention-- यह परम्परा है। It is necessary that the hon. member tabling a question or a motion must satisfy himself in the first instance and must be in a position to say about the facts on his knowledge or on the information which he considers to be reliable and then only he can table that question." यह जरूरी है कि जो सदस्य प्रश्न या प्रस्ताव रखते हैं, उनको स्वयं अपने को पहले सन्तुष्ट कर लेना चाहिए और स्वयं अपनी निजी जानकारी में जो तथ्य हैं

[ श्री नारायण दत्त तिवारी ]

सूचनायें हैं, वे विश्वसनीय हैं, या नहीं, यह जांच कर जानकारी कर लेनी चाहिए, तभी कोई सूचना रखनी चाहिए। समाचार पत्रों की सूचनाएं हर सन्दर्भ में एक सही स्टेटमेन्ट है, यह नहीं कहा जा सकता है।

"It is an every day experience that papers are reporting giving forecasts and sometimes giving some kind of sensational information and if we were to go upon them as a basis, I do not know what else can be discussed in this House excepting the newspaper reports from day to day."

यह हमारा रोज का अनुभव है। समाचार में तरह-तरह के समाचार आते हैं, कभी काल्पनिक सूचनायें आती हैं, कभी अन्य सनसनीखेज समाचार आते हैं, और भी कुछ इमोशनल समाचार आते हैं, जो प्राय : छपते रहते हैं और इन सबको यदि हम बातचीत का आधार मान लें, तो हम इनके अलावा क्या यहां और कोई बहस कर सकते हैं। तो मैं यह आग्रह करूंगा। सम्मानित नेता विरोधी दल से कि वह स्वयं नियमों के जानकार हैं, पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस का उन्हें वर्षों का अनुभव है अत : स्वयं वह अपने को नियमों के तराजू में तौल लें कि वह जो प्रस्ताव ला रहे हैं, वह इस राज्य के नियमों के कहां तक अनुकूल है। आप सभी जानते हैं कि हम उनका कितना आदर करते हैं और उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में अपनी जिम्मेदारी को भलीभांति समझते भी हैं। जब उन्होंने इस राज्य का दौरा किया, तो उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध किया गया था। चूंकि दूसरे राज्य की घटना का इस प्रस्ताव से सम्बन्ध है, अत : मैं चौधरी साहब से आग्रह करूंगा कि वह स्वयं इस पर विचार करके इस प्रस्ताव की नियमानुकूलता पर स्वयं विचार करें।

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मुझ को अफसोस है ...

श्री ईश्वरी सिंह--

आप बोलें, इसके पहले मैं .....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपको इजाजत नहीं है। बार-बार उठकर इस तरह आपको नहीं कहना चाहिए।

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय ईश्वरी सिंह जी का बड़ा आदर करता हूं, क्योंकि उनको या मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था, हम दोनों मेरठ जेल में साथ थे। इसलिए ब मुकाबले दूसरों के उनको मेरे ऊपर ज्यादा प्रहार करने का हक है।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

चौधरी साहब यह पक्षपात नहीं होना चाहिए। हम पर भी आपकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए।

चौधरी चरण सिंह--

आपके जो इन्स्पायर्ड लोग हैं, उनके लिए हमें ज्यादा ध्यान है। इस पर एक तकनीकी आपत्ति गवर्नमेन्ट की तरफ से हुई। माननीय नेगी जी करें तो मुझे कोई ज्यादा आपत्ति नहीं थी ....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

क्यों ?

*चौधरी चरण सिंह--

क्यों ? इसलिए कि बहुत से मामले ऐसे हैं, जिनमें मुद्दई सुस्त होता है और गवाह चुस्त वाली चीज होती है। यही मामला यहां भी लागू है। (व्यवधान) माननीय तिवारी जी की तरफ से यह एतराज हुआ था या अन्य कांग्रेसी दोस्तों की तरफ से, इसलिये इस पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। आपकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह रिजूलूशन पास किया है कि देश में हिंसा और वायलेंस का वातावरण पैदा किया जा रहा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । इस सन्दर्भ में प्रस्ताव पेश हुआ, कि एक गोविन्द मिश्रा कोई सज्जन इलाहाबाद के थे, कांग्रेस मैन ही मैं उनको कहूंगा। वह हाई कोर्ट में जा रहे थे उनको पकड़ लिया गया, डिटेक्टर के जरिए और बिना इस बात की तहकीकात किए हुये कि जो हथियार लिए हुए थे, इनका मंशा आया हत्या करने का था या नहीं और अगर हत्या करने का मंशा था तो किस की हत्या करने का मंशा था। जनता ने यह रिपोर्ट बाद में सुनी है कि इस तरह का वाक्या इलाहाबाद में हुआ। लेकिन उसकी निन्दा का प्रस्ताव जनता के सामने पहले आ गया। फौरन दिल्ली में लोक सभा में प्रस्ताव पास हो गया। प्रस्ताव के शब्द क्या हैं अध्यक्ष महोदय ? प्रस्ताव यह है—

The Lok Sabha formally adopted a resolution denouncing the reported attempt to carry arms in to the court where the Prime Minister was to give evidence and desired "that sufficient security arrangements to be made both inside and outside the court to ensure her safety"

दूसरा प्रस्ताव इसमें नहीं है। थोड़ा सा है। इसमें संकेत किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर की हत्या के लिए जा रहा था। उसी पर भाषण, सारा आवेश, और सारा जोश और इमोशन कांग्रेस वालों की तरफ के खत्म कर दिया गया। और विरोधी पक्ष के सब लोगों ने समर्थन किया। श्री अध्यक्ष महोदय, एक इन्सीडेन्ट हुआ जो वायलेंस नहीं कहा जा सकता है। मेरी राय में वायलेंस का केस नहीं था क्योंकि उसकी इन्टेशन साबित नहीं हुई, वह केस इन पर चल चुका था, और उसमें सजा हो चुकी थी तो अपनी सुरक्षा के लिए रखता था, जैसा कि बाद में बयान दिया। लेकिन क्योंकि उसके पास अनलाइसेंस्ड हथियार था, वह पकड़ा गया तो नतीजा यह निकाल लिया गया कि वह किसी की हत्या करने जा रहा था और यह भी नतीजा निकाल लिया गया कि प्राइम मिनिस्टर की हत्या करने जा रहा था बिना किसी तहकीकात के, पार्लियामेंन्ट ने रेजोल्यूशन पास कर दिया और दूसरे लोगों ने, सब ने समर्थन कर दिया, जो उनको करना चाहिए, जब गवर्नमेंट की तरफ के प्रस्ताव आया।

अब यह दूसरी बात है कि जो वह अखबार निकालता है "श्री विजय" उस अखबार का 18 मार्च का अंक है "श्री विजय" यह मेरे पास मौजूद है उसके आखिरी पृष्ठ पर लिखा है--"हमें उत्तर प्रदेश को ऊंचा उठाना है" और आयरनी देखिए दिया है "जीवन के हर मोर्चे पर हिंसा की रोक" और माननीय प्रधान मन्त्री और माननीय मुख्य मन्त्री की इस पर फोटो है तस्वीरें हैं जो भी कहिए। जो आदमी इस अखबार को निकालता है कांग्रेस का समर्थन जिससे जाहिर होता है वह पकड़ा गया अनलाइसेंस्ड रिवाल्वर के साथ। उस पर सारे नतीजा निकाल लिए जाते हैं। मैं समय नष्ट नहीं करना चाहता है एक लाइन पढ़ना चाहता हूं। के0पी0 साल्वे ने कहा कि इसमें अपोजीशन लीडर्स की रेस्पांसिबिलिटी है। इस पर श्री श्यामनन्दन मिश्र ने कहा कि अपोजीशन लीडर्स या अपोजीशन की कैसे रेस्पांसबिलटी है। बस आगे नहीं पढ़ रहा हूं। यह आरोप किया गया कि अपोजीशन लीडर्स का हाथ है प्राइम मिनिस्टर की हत्या कराने में जो आदमी जा रहा था—

उसके बाद एक इन्सीडेन्ट होता है दिल्ली में। चीफ जस्टिस की कार जा रही है एक आदमी चप्पल पहन कर जाता है उसको पहले से मालूम है कि आज जीफ जस्टिस की कार जब चौराहे पर पहुंचेगी तब रेड लाइट हो जायगी। इसलिए चप्पल पहन कर जाता है ताकि भाग सके। दो ग्रिनेड डालता है दिन में। एक फूटता नहीं जिसका मतलब यह है कि डेड ग्रिनेड थे। अगर ग्रिनेड अलाइव होगा तो चार सेकन्ड के अन्दर फूट जाता है। एक के चारों तरफ कपड़ा बंधा हुआ था और कागज बंधा हुआ था इस तरह का था वह हैंड ग्रिनेड और नतीजा क्या निकाला गया जब वर्किंग कमेटी में कांग्रेस रिजोल्यूशन पास हुआ तो कहा गया कि चीफ जस्टिस के कत्ल करने की कोशिश की गयी यही नहीं अध्यक्ष महोदय जो वातावरण आज हमारी रुलिंग पार्टी की तरफ से पैदा किया जा रहा है वह इससे भी जाहिर होगा कि रेडियो ब्राडकास्ट करता है कि श्री ललित नारायण मिश्र की हत्या इलाहाबाद का इन्सीडेन्ट जो 18 मार्च को हुआ और चीफ जस्टिस वाला कांड इन तीनों के पीछे

[चौधरी चरण सिंह]

एक गुट है। और ललित नारायण मिश्र की हत्या के सिलसिले में हमारी बहिन प्रधान मन्त्री जी एक बार बयान दे चुकी थीं कि यह जे0पी0 नारायण का मूवमेंट है जिसके कारण हिंसा का वातावरण फैला हुआ है उसी का नतीजा है।

तो इस सब सन्दर्भ में मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अब कलकत्ते में यह वाकया हुआ और कहा जाता है कि इस कारण हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। यह वास्ता किसी स्टेट का है या नहीं. लेकिन यह आल इंडिया क्वेश्चन है, आल इंडिया की पोलिटिकल पार्टी जे0पी0 के आन्दोलन का समर्थन कर रही है और आल इंडिया रूलिंग पार्टी का यह कथन है कि यह फासिस्ट आन्दोलन है और यह हिंसा की प्रवृत्ति को फैला रहा है। वह वाकायदा प्रस्ताव पास करता है और रोज ही तरह-तरह के लांछन और क्रिटिसिज्म होते हैं जे0पी0 और उनके समर्थकों पर कि हिन्सा को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन जो लोग हिंसात्मक प्रवृत्ति को सचमुच बढ़ावा दे रहे हैं उनके तथा उनके साथियों की गवर्नमेंट आज कलकत्ता में है और उनका ही एक मिनिस्टर बाकायदा एक डिमांस्ट्रेशन लेकर जाते हैं और उनके ही दल के छात्र नेता, छात्रों के जी लोडर हैं श्री मुन्शी एम0पी0 वे भी जाते हैं। अब भी इसकी गम्भीरता पर आपको एतराज है क्या ?

मैं दो तीन बातें और बतलाना चाहता हूं। मैंने यह नहीं लिखा है कि किसने योजना बनायी है वह तो आपके खुद निष्कर्ष निकालने की बात है लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आज जो फैक्ट्स हैं वह टाइम्स आफ इंडिया जो वेल-नोन पत्र है और वह कम से कम प्रो-जे0पी0 नहीं कहा जा सकता और कम के कम ऐन्टी गवर्नमेंट भी नहीं कहा जा सकता तो उनकी रिपोर्ट से कहता हूं जिसकी रिपोर्ट के लिए दुनिया के अखबारों का जब असेसमेंट दो तीन साल पहले किया है तो चार रिलाइएविल इन्फार्मेशन देने वाले अखबार थे, तीन बाहर के अखबार थे और चौथा हिन्दुस्तान का टाइम्स आफ इंडिया अखबार है जिसके लिए यह कहा गया था कि इसकी रिपोर्टिंग रिलाइएविल है उसकी बात मैं कहता हूं। उसमें लिखा है :—

"At one stage of the demonstration led by the Minister of State, Mr. Subrato Mukerjee, more than." one person danced on the hood of Mr. Narayan's car.

एक मौके पर उस ऐडमिनिस्ट्रेशन जिसका नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर करती हैं उसके स्टेट मिनिस्टर ने उस डिमांस्ट्रेशन में हिस्सा लिया और कुछ लोग उनके सामने जय प्रकाश नारायण की कार पर चढ़ गए और उस पर नाचते रहे। "A stone narrowly missed him." "एक पत्थर आया और वह बाल-बाल बच गए। बूढ़े आदमी, अगर कहीं उनके लग जाता तो हो सकता है कि उनके प्राण भी चले जाते।

'Some demontrators unlocked a door of the car and tried to enter it, but security men resisted their attempt,

जो लोग गवर्नमेंट ने उनकी रक्षा के लिए दिए हैं उन लोगों ने उनको अन्दर आने से रोका। आगे वह पत्र क्या कहता है :—

"While trying to make way for Mr. Narayan, Mr. Samar Guha, M. P. and several others were injured'

वह एक रिस्पेक्टेड एम0पी0 हैं और उनके जो साथी थे उनको जो लोग जय प्रकाश जी को निकालने की कोशिश कर रहे थे उनके द्वारा बहुत चोटें आयीं। और पुलिस क्या कर रही थी ? उसके बारे में पत्र लिखता है :—

"The police, who were in force, apparently did nothing but throw a cord around the car, rendering it even more difficult for Mr. Narayan to alight."

पुलिस बाकायदा खड़ी रही। उस रोज काफी तादाद में पुलिस वहां गयी थी और खड़ी-खड़ी देखती रही। अगर जय प्रकाश जी निकलना भी चाहते तो निकलने का प्रश्न नहीं रहा। माननीय जय प्रकाश जी जो हमेशा अन्डर एस्टीमेट करते हैं, वह बड़े ठंडे मिजाज के आदमी हैं। वह स्वयं कहते हैं। उनका कहना यह है कि —

"He described the incident as a naked demonstration of Congress C. P. I. tactics. I am quite sure this kind of thing could not have happened without the clearance of the Chief Minister and Mrs. Gandhi's Government. Otherwise they would not have had the courage to do so."

उनका अपना खयाल है, उनको किल्यरेंस हो गया, मुख्य मन्त्री के बिना जो घटना घटी है वह नहीं होती। और बातों में न जाकर मैं 4 तारीख का टाइम्स आफ इंडिया देखता हूं। 3 तारीख को बंगाल असेम्बली में यह प्रश्न आता है। माननीय जे0पी0 के मूवमेंट की वजह से जीरो आवर को 45 मिनट हटाकर बहस हुई। वह इस प्रकार है कि —

"Extending zero hour by about 45 minutes, the Assembly today discussed the 'threat' posed to democracy by Mr. Jaiprakash Narain's movement especially in the context of yesterday's incident which forced the Sarvodya Leader to cancel his plan to address a student meeting. 26 Members spoke and all but one of them hailed the action of Youth Congress and Chhatra Parishad activists in organising a counter demonstration."

पहली बात यह है कि 26 मेम्बर बोले और केवल एक को छोड़ कर बाकी सब ने छात्र परिषद् और यूथ्स ने जो काउन्टर डिमांस्ट्रेशन किया था, उसकी तारीफ की। इसलिए मैंने इसको सुनियोजित कहा है। पहले से अरेंज्ड और ठीक उसी समय जाते हैं। 25 कांग्रेस के मैम्बर्स कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। एक सुनियोजित वायलेंस किया गया उनकी पार्टी की ओर से। जिसको यह नहीं कहा जा सकता है कि किसने किया और किसने नहीं किया यह ऐसा इत्तफाक है कि उनकी पार्टी की तरफ से होता है, खुल कर होता ह और पार्टी द्वारा उसकी तारीफ की जाती है और उसमें एक स्टेट का मिनिस्टर भी शामिल होता है। अगर वर्किंग कमेटी के सामने मामला आए और अगर वह अपने आर्गेनाइजेशन के प्रति ट्रू हों अपने प्रस्ताव पर अमल करना चाहते हों, तो वह खुशी के साथ मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करते और स्वागत करते।

(माननीय रामायण राय जी के खड़े होने पर।)

मैं ईल्ड करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं यह कह रहा था कि यह एक विडम्बना है। माननीय मोरारजी देसाई भूख हड़ताल कर रहे हैं। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक विडम्बना क्या है। मेरी बात सुन लीजिए। मैं अपने दोस्तों से कहूंगा कि वह मेरी बात सुन लें। आज मोरार जी देसाई आमरण अनशन कर रहे हैं। आम तौर पर यह नहीं होना चाहिए। अनशन अनकांस्टीट्यूशनल है। मैं उसके खिलाफ हूं। डिमोक्रेसी तो एक गेम है। विरोधी पार्टी नियमों से बाधित है। अगर रूलिंग पार्टी नहीं मानती है नियमों को मैं ईश्वरी सिंह जी से कहना चाहता हूं कि आप नहीं मानते हैं। 3 महीने के अन्दर एलेक्शन हो सकता था वह न करा कर आप ऐसे अवसर की खोज में हैं कि जब कि इलेक्टोरेट आपके मुवाफिक हो जायं। बावजूद इसके मैं यह समझता हूं कि आमरण अनशन का हथियार नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोग अगर मेरे बीच में बोलते हैं तो यह अच्छा तरीका नहीं है। आप लोग जब बोलते हैं और उस समय मेरी पार्टी का कोई बीच में बोलने लगता है तो मैं अपनी पार्टी के लोगों को मना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय मैं फिर दोहराता हूं, "दि अपोजीशन इज जस्टीफाइड टु आउस्ट यू" वाई आल पासिबिलिटी, तो उसमें हर तरह के मीन्स आते हैं, लेकिन जहां तक हिंसा का ताल्लुक है, हिंसा तो मैं उतना ही मानता हूं जितना पं0 जवाहर लाल नेहरू जी मानते थे।

[चौधरी चरण सिंह]

मैं माननीय ईश्वरी सिंह जी का जवाब दे रहा हूं। जब वह कहते हैं कि माननीय विरोधी दल हिंसा का प्रचार करते हैं, मैं कहता हूं कि नहीं करना चाहिए, उससे हजारों, सौ खराबियों पैदा होती हैं। अध्यक्ष महोदय, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक आदमी पकड़ा जाय इलाहाबाद में, एल0 एन0 मिश्र कत्ल हो जायं, जिसका सब को अफसोस है। अब वह स्वर्गीय हो चुके हैं, लेकिन मैं मजबूर होकर यह कहता हूं कि एल0 एन0 मिश्र जैसी विशाल मूर्ति खड़ी रहे। हमारा कोई इन्टरेस्ट हो नहीं सकता उनके खत्म होने में। आप फासिज्म को कन्डेम करते हैं और उनको कन्डेम करने के लिए माननीय जय प्रकाश जी जैसे आदमी के सिलसिले में, जिसकी पोजीशन बहुत ऊंची है, चाहे कितने ही विरोधी हों, तो आप उस पर एतराज करते हैं। बिना रूल्स के तो सदन में नहीं चल सकता। डा0 भामा की मत्यु के सिलसिले में आयी तो कौन से नियम में आया था? डा0 भामा के बारे में, जब समवेदना का प्रस्ताव आया तो उस समय कहा गया कि जो सदन का मेम्बर हो, उसी के सिलसिले में आ सकता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हाकी वालों के लिए छुट्टी करा दी गई थी, वह कौन सा नियम था?

चौधरी चरण सिंह—

आपकी तरफ के यह प्रस्ताव आना ही नहीं चाहिए था कि हाकी खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए सदन एक घंटा पहले उठा दिया जाय। सदन की एक गरिमा होती है? कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हों। डा0 भामा की मत्यु पर समवेदना का प्रस्ताव आया। यह केवल उन्हीं के सम्बन्ध में आ सकता है जो सदन के मेम्बर रहे हों। वह सदन के मेम्बर नहीं थे। महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उनकी मत्यु पर यह हो सकता है। किसी को यह बात नहीं सूझी कि यह नियम उल्लघंन हो रहा है, यह नहीं सूझा कि हाकी के खिलाड़ियों का जब आया तो यह मान्यताओं का उल्लघंन हो रहा है। इसके अलावा अखबार की सूचना पर कहा गया। जब मैंने प्रस्ताव पेश किया तो मैंने नेता जनसंघ से बात की। उन्होंने कहा कि जो कुछ इरादा है उससे भी ज्यादा कठोर शब्द इस्तेमाल किया जा सकते हैं, बिहाजा जो आपने रूलिंग पढ़ी है उसके अन्दर मेरा यह आ जाता है, इनफारमेशन इन माई पजेशन रिसीव्ड फ्राम रिलाइबिल सोर्स। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय एक रूल है। 311 में यह है कि कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाये और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वह नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जायेगा। ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, तो वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो नहीं समझता कि मेरा प्रस्ताव किसी नियम के जरिए है। मैंने तो केवल यह सूचना दी और मैं यह सोच रहा था कि मूक समर्थन उसको हासिल है, लेकिन किसी प्रस्ताव को नियम के अन्दर लाना ही जरूरी है, वैसे मैं समझता हूं कि नियम की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर यह है तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 85, जिसमें कि 15 दिन पहले सूचना देंगे .....

श्री अध्यक्ष—

यह संकल्प के लिए है। प्रस्ताव और संकल्प में अंतर है। 103 में नहीं 110 में समवेदना का प्रस्ताव हो सकता है। अगर इसके अन्तर्गत नहीं आता है तो आपका कहना है कि 311 के अन्तर्गत आ जाता है वह तो आपका दृष्टिकोण है।

चौधरी चरण सिंह—

जो प्रस्ताव है उसमें किसी विशेष व्यक्ति या संगठन का कन्डेमनेशन नहीं है। इन्डिविजुअल लिबर्टी पर यह प्रहार है। तीसरा है जब उनके बच जाने पर हर्ष का प्रकाश

किया गया। मैं समझता हूं कि यह आपत्ति रहित है। बहुत से लोग उधर बैठे हैं। जय प्रकाश बाबू ने देश की इतनी सेवा की है और इतनी अवस्था में वह देश के लिए काम कर रहे हैं।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा मैं माननीय नेता विरोधी दल का ध्यान प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्तों की ओर दिलाना चाहता हूं। नियम 105 (7) में दिया हुआ है कि "वह किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किस न्यायालय के न्याय-निर्णयन के अन्तर्गत हो"। माननीय चौधरी साहब ने एक उदाहरण दिल्ली का दिया कि वहां पर इस तरह का प्रस्ताव आया। हमारा बंगाल न्यायालय से क्षेत्राधिकार पर कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अगर कोई घटना (शोर)..

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन थोड़े ही है?

श्री रामायण राय--

माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि वह सुनियोजित था। जो कोई अपराध की श्रेणी में आता है तो निश्चित रूप से न्यायालय की सीमा का प्रश्न उठता है और ऐसे प्रश्नों पर विचार करते समय नियमों आदि की तरफ जरूर ध्यान रखना चाहिए। (शोर) हमारी प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में समवेदना के सम्बन्ध में और धन्यवाद के सम्बन्ध में नियम व्यवस्थित है। हमारा सदन इन नियमों के अनुसार धन्यवाद प्रकट कर सकता है और समवेदना प्रकट कर सकता है लेकिन किसी ऐसी घटना के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव इस किस्म का नहीं लाया जा सकता है जो हमारे राज्य के क्षेत्राधिकार के बाहर की घटना हो।

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय नेता विरोधी दल से आग्रह करना चाहता हूं कि इधर के बैठने वाले लोगों को देश के किसी भी हिस्से में यदि कोई हिंसात्मक घटना होती है तो उससे बड़ा क्लेश होता है। और जहां तक श्री जय प्रकाश नारायण के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि मौखिक सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। इधर बैठने वाले बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि जब कभी भी इस प्रदेश में उनका शुभागमन हुआ है, मैं कहना चाहता हूं कि और सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की सीमा के भीतर कोई अशोभनीय घटना तक नहीं हुई हिंसात्मक घटना की बात तो जाने दीजिए। अन्त में, मैं आपके द्वारा, मान्यवर, माननीय चौधरी साहब से एक आग्रह करना चाहता हूं चूंकि वे हमारे सदन के नेता विरोधी दल हैं, अगर वे यहां पर कोई ऐसी बात उठाते हैं तो वहां की विधान सभा के अन्दर विशेषाधिकार भंग होने का प्रश्न उठ जाय तो इस प्रश्न की ओर भी उनका ध्यान रहना चाहिए। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वे ऐसा प्रस्ताव न लायें।

जहां तक हमारी प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 311 का सम्बन्ध है जिसके बारे में कहा गया है कि नियम को निलम्बित कर दिया जाय तो उस सम्बन्ध में आप और नेता विरोधी दल हैं, आप परामर्श कर लीजिए। वैसे तो जो भाषण उन्हें करना था, औचित्य के प्रश्न पर वह कर चुके हैं और जितना मसाला अखबारों का उनके पास था, वह सारा मसाला सदन के सामने आ चुका है। आप सदन के नेता हैं विरोधी दल हैं, आप लोग अगर तय कर लें तो नियमावली को बन्द करके जैसा आप हुक्म देंगे, हम वैसे ही उसका पालन करेंगे?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मेरी प्रार्थना है कि ग्राह्यता के प्रश्न के सम्बन्ध में तथ्य रखने के लिए हमें भी अवसर दे दीजिए, हमको मौका दे दीजिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---

आपने कहा था कि चौधरी साहब के बाद मुझे मौका दीजिए ?

श्री ईश्वरी सिंह---

श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल ने जो बात कही है, मैं भी उसका जवाब देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

अभी नहीं।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

अभी माननीय तिवारी जी ने इसके विरोध में दो, एक विचार व्यक्त किए। पहले तो उन्होंने कहा कि प्रस्ताव के ऊपर नियम का हवाला नहीं है कि किस नियम के अन्दर है यह। उसके सम्बन्ध में मुझे केवल इतना कहना है, इनके लीगल विशेषज्ञ भी यहां बैठे होंगे, यदि किसी प्रकार की दरख्वास्त की जाय या प्रस्ताव दिया जाय और ऊपर सेक्शन का हवाला न हो लेकिन जो कुछ उसमें लिखा हो वह स्पष्ट रूप से किसी चीज की प्रखरता हो तो कोई आवश्यकता सेक्शन का हवाला देने की नहीं है। केवल उसी आधार पर उनका नियम का रेफरेन्स करना गिर जाता है। दूसरी बात उन्होंने कहीं कि यह तो इस प्रदेश से कोई सम्बन्ध नहीं रखता। इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की एक-एक इंच भूमि से यह सम्बन्ध रखता है। हमारा प्रदेश मिट्टी का एक बड़ा भारी देश है। अनेक चीजें इस परिभाषा में आती हैं, लेकिन सर्वोपरि वह सिद्धान्त है जिसके आधार पर हम जीवित हैं कि हम अहिंसात्मक ढंग से शान्तिपूर्ण ढंग से प्रजातन्त्रीय नियमों का पालन करेंगे और प्रजातन्त्रीय ढंग से जीवन पद्धति व्यतीत करेंगे, लोक तन्त्र हमारी शासन प्रणाली होगी। इसके अग्रदूत आज की परिस्थिति में हमारे जय प्रकाश नारायण जी हैं जबकि फासिस्टवादी प्रवृतियां इस प्रकार सिर उठा रही हैं। तो आज उनके ऊपर इतना घातक हमला होने से या उनकी जान जाने से आप भले ही मजाक कर लें लेकिन वह स्थिति ऐसी आएगी कि आप इस देश को काबू में नहीं रख सकेंगे क्योंकि आपके मन की प्रवृत्ति आपकी गति, आपकी विचारशैली का पता सब को है। आज तो ऐसा अवसर आया है जैसा हमारे चौधरी साहब ने हवाला दिया कि एक महान व्यक्ति जिसको हम अपनी बुद्धि से कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के बाद जिसका दूसरा नम्बर है, जिसका कोई लालच नहीं, जो इस देश के असन्तोष को मूर्तिमान करके अहिंसात्मक ढंग से ले चलना चाहता है आज उसके जीवन पर हमला हुआ। अगर किसी का कठोर हृदय, मलिन हृदय नहीं होगा किसी का हृदय मानवता के कोसों दूर नहीं होगा, जो राजनीति को दूर रख कर मानवता की दृष्टि से देखेगा ऐसा आदमी कभी नहीं कह सकता कि ऐसा प्रस्ताव न आए। हों, जिसका हृदय क्रूर है, निर्दयता से भरा है, जो दूसरे को पनपने न देना चाहे, जो अपनी कुर्सी को हिलते हुए देख कर सबका नाश कर देना चाहता है, जिसके अन्दर क्या का संचार नहीं होता वही इसका विरोध कर सकता है। पहली बात तो मैंने सिद्धान्त रूप से आपके सामने रख दी कि यह जय प्रकाश हैं कौन। यह प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, शान्ति, अहिंसा की मूर्ति हैं जो देश में इसी के आधार पर सर्वाङ्गीण रिवोल्यूशन करना चाहते हैं। ऐसी बिगड़ी हुई स्थिति में एक व्यक्ति है, अगर उसकी जान गयी तो सारा ढांचा उथल-पुथल हो जायगा। यह सुनियोजित ढंग से सचमुच उन पर हमला है। हमारी सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। इस प्रदेश का भी उससे सम्बन्ध है।

दिनांक 2 अप्रैल, 1975 को कलकत्ता में जो घटना हुई, जो उनके ऊपर प्राण घातक हमला हुआ वह जय प्रकाश नारायण पर नहीं बल्कि प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों को एक चुनौती है। वह सिटीजनशिप राइट्स जिसको कहते हैं, नागरिक अधिकारों पर कुठाराघात है। और हमला सुनियोजित कैसे होता है ? पुलिस जिसकी जान की रक्षा करती है उसे काबू में कर लिया जाय, प्रोसेशन को लीड करने के लिए निर्लज्जतापूर्वक एक मन्त्री को अगुवा बना दिया जाय। मिस्टर कल्यानदत्त, असिस्टेन्ट पुलिस कमिश्नर वहां खड़े थे, मिस्टर समरगुहा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी वहीं मौजूद थे, वहां लोग आवाज लगा रहे थे उनकी जान की रक्षा हो, मगर वे लोग मौन खड़े रहे। इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि एक मन्त्री अगुआयी कर रहे हों। (व्यवधान) माननीय राजनारायण के अंग रक्षक ने उनसे कहा कि आप अगर आगे जायेंगे तो मारे जायेंगे। इसके पहले पटना में युवा कांग्रेस द्वारा जो कुछ किया गया वह हमने देखा हरियाणा मे जो स्थिति हुई वह देखी, उड़ीसा में जो हुआ वह देखा। यह सब क्या है? इतना होने पर भी इनका कलेजा नहीं भरा। (व्यवधान) उन पर प्राण घातक हमला हुआ (व्यवधान) क्या इससे भी बड़ी दुखदायी चीज कोई और हो सकती है ... (व्यवधान) मैं एक बड़ी डेलीकेट चीज कहने जा रहा हूं। अखबारों में पढ़ा कि माननीय जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि एक समय आएगा जब पुलिस और मिलीटरी से कहेंगे कि वे रिवोल्ट करें। मैं इसका पक्षपाती नहीं हूं कि पुलिस और मिलिटरी रिवोल्ट करे, पर मैं सारे हिन्दुस्तान और उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करता हूं, सोचिए विचारिए कि जहां मिलीटरी और पुलिस का इस्तेमाल किया जाएगा लोकतांत्रिक उसूलों की हत्या करने के लिए, जहां उनका इस्तेमाल किया जाएगा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के कुचलने के लिए, जहां उनका इस्तेमाल किया जाएगा विरोधियों का सफाया करनें के लिए, जहां मिलीटरी और पुलिस को उनके हृदय के विपरीत इस्तेमाल किया जाएगा और अन्याय कराया जाएगा, खून की नदियां बहने की स्थिति पैदा हो जाएगी, तो भले ही मैं न कहूं, जय प्रकाश नारायण जी न कहें, उनका हृदय रिवोल्ट करेगा....(व्यवधान) हम भगवान से करते हैं कि ऐसी स्थिति न हो। (व्यवधान)

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)—

यह पार्टी के प्रचार करने का स्थान नहीं है ..... (व्यवधान)।

श्री जयराज गौतम (जिला सुल्तानपुर)—

इनके पास कहने को कुछ नहीं है, सदन का समय नष्ट कर रहे हैं ..... (व्यवधान)।

(इस समय श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री जयराज गौतम तथा श्री प्रभाकरनाथ द्विवेदी एक साथ माइक पर बोलते रहे जो समझ में न आने के कारण लिखा नहीं जा सका।)

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

कुछ लोग अकेले गद्दी पर बने रहें और किसी को बोलने का मौका भी न मिले, ऐसे ही लोग इस तरह की बातें करते हैं।

(व्यवधान)

इस पर गम्भीरता के साथ विचार करना होगा।

(व्यवधान)

श्री जयराज गौतम—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता जन संघ से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मान्यवर, इनकी नीति, चाहे बीजू पटनायक हों, चाहे पीलू मोदी हों, चाहे चौधरी साहब हों, कभी भी आपस में एक जैसी नहीं है। वे बराबर एक दूसरे की बातें इधर से उधर करते रहते हैं। क्या यह राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं है?

दूसरी बात यह कि 8 जून. को पटना के गांधी मैदान में स्वयं श्री जयप्रकाश नारायण ने स्वयं जन संघर्ष समिति के सम्मेलन में बोलते हुए कहा था और उसमें अपने संघर्ष की एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी। उसमें सबसे पहले उन्होंने यही कहा था कि विद्यार्थी—चाहे विश्वविद्यालय में हों, चाहे महाविद्यालय में हों, उनको विद्यालय छोड़ देना चाहिए।

[श्री जयराज गौतम ]

दूसरी बात उन्होंनं यह भी कही थी कि जितने भी कर व टैक्स हैं उनका देना बन्द कर दो। (व्यवधान) सेना से भी उन्होंने कहा था: (व्यवधान) (कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था।)

[ * * * * ]

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय--

प्रस्ताव की ग्राह्यता के सम्बन्ध में मेरी भी कुछ सुन लें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, नेगी जी ने प्रस्ताव की ग्राह्यता के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा है . ....(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

जो आजादी की लड़ाई के जमाने में अंग्रेजों की बूटों पर पालिश किया करते थे वे ही पालिश करने वाले देश द्रोही और गद्दार आज श्री जय प्रकाश जी जैसे महान सेनानी का विरोध कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है।

श्री अध्यक्ष--

श्री शिव प्रसाद गुप्त जी, संक्षेप में ग्राह्यता के सम्बन्ध में जो कुछ कहना हो, कहें।

श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)--

अगर इसी तरह से तालियां बजती रहेंगी तो फिर कैसे भाषण हो सकेगा? इसकी भी व्यवस्था आप कर दीजिए। अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल ने और माननीय माधव प्रसाद जी ने जो कहा वह बिलकुल मुनासिब है। मैं माननीय नेता विरोधी दल से जरूर क्षमा चाहूंगा कि उन्होंने समझने में गलती की जब उन्होंने कहा कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। उनको तो पहले समझ लेना चाहिए था कि आजकल यह जरूरी नहीं है कि आदमी वफादार हो लेकिन वफादारी का सबूत देना जरूरी है।

(हंसी)

श्री गोविंद सिंह नेगी---

जैसे आप दे रहे हैं।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

(शोर)

श्री शिव प्रसाद गुप्त---

अध्यक्ष जी, चोर की दाढ़ी में तिनका है। मैंने नाम नहीं लिया।

(व्यापक शोर)

अध्यक्ष जी, कहना यह है कि ग्राह्यता की दो बातें हैं। माननीय नेगी जी ने कहा कि उनको चोट नहीं लगी। जय प्रकाश नारायण जी पर हमला भले ही हुआ हो। तो मान्यवर, अगर किसी आदमी को गोली मारी जाय और उसे न लगे तो जुर्म तो हुआ ही। बशर्ते कि जुर्म कम हो। तो जुर्म अपनी जगह पर है। एक प्रश्न वाकई है कि उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, इसलिए यह ग्राह्य नहीं होना चाहिए। उनकी इस बात में दम है। इसके खिलाफ मैं कुछ कहना चाहता हूं। जय प्रकाश नारायण जी वह हस्ती हैं, किसी प्रान्त विशेष की हस्ती नहीं है। वह एक देश की हस्ती हैं। आज जैसे चौधरी साहब ने मोरार जी

---

नोट---[ * * * ] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

भाई का नाम लिया था और कहा कि वह अनशन कर रहे हैं। एक नागरिक के अधिकारों को साबित करने के लिए। अगर कल कोई इसी तरह की दुर्घटना हो जाय तो तब यह कहना कि नहीं, देश का नुकसान नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान की लड़ाई जीती गयी। पाकिस्तान के साथ लड़ाई की सफलता हमारे ऊपर ही नहीं थी।

(शोर)

उत्तर प्रदेश ने लड़ाई नहीं जीती। सारे देश ने . . .

श्री जयराज गौतम--

यह एक बार पहले कह चुके हैं।

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

मान्यवर, मुझे दुख इस बात का है।

श्री जय राज गौतम--

अध्यक्ष जी, इनको मौका मिल चुका है।

(शोर)

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

मान्यवर, यह विशेष प्रश्न है किसी नियम का प्रश्न नहीं है। यह आपके विशेषाधिकार का प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह सब देश से ताल्लुक रखता है। इस प्रांत की ही जिम्मेदारी नहीं है जितने और प्रांत हैं सबकी जिम्मेदारी है। मैं अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न को आप स्वीकार करें।

एक सदस्य--

मान्यवर, आपने मुझको मौका दिया था लेकिन मैं बैठ गया था।

(कई सदस्य बोलने के लिये खड़े हुये)

श्री अध्यक्ष--

अब तो यह हो गया। हर दल का इस पर दृष्टिकोण आ गया।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, ग्राह्यता के बारे में मैं भी कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष--

इस संबंध में जितने भी दृष्टिकोण थे, आ गये। एक दृष्टिकोण माननीय नेता विरोधी दल ने दिया अगर माननीय नेता सदन कहना चाहें तो मैं उनको अवसर दूंगा।

(मुख्य मंत्री जी बोलने के लिये खड़े हुये पर अन्य माननीय सदस्यों के खड़े हो जाने के कारण उन्होंने आसन ग्रहण कर लिया)

श्री त्रिवेणी सहाय--

माननीय अध्यक्ष जी, ग्राह्यता के बारे में मैं भी कुछ कहना चाहूंगा।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप एक ही दल के दोनों हैं। जनसंघ को दे दिया।

(इस पर बाबा राम नाथ जी बोलने लगे)

बाबा राम नाथ (जिला मैनपुरी)--

2 मिनट कहना चाहूंगा। यह विषय उत्तर प्रदेश का ही नहीं है। कर्नाटक, मैसूर या जो भी विधान सभायें हैं सब में इसकी चर्चा होनी चाहिये। यह मौलिक प्रश्न है। संविधान को आपने हत्या कर दी है। यह अधिकार जय प्रकाश नारायण जी का ही नहीं है। किसी भी राजनैतिक कार्यकर्ता चाहे वह कहीं भी जाय उसकी हिफाजत की जिम्मदारी . . .

श्री अध्यक्ष--

'आपने' संविधान की हत्या कर दी। 'आपसे' क्या मतलब है ?

( शोर )

आप क्या कह रहे हैं ? 'आपका' मतलब क्या है ? सरकार क्या ?

(शोर)

श्री बाबा रामनाथ----

मैं कहता हूं कि इस पर विचार होना चाहिये। हमारे मौलिक अधिकारों में लिखा है कि हम कहीं जाकर भाषण दें और सरकार हिफाजत करे, यदि सरकार हमारी हिफाजत नहीं कर सकती है तो इसलिये जो नेता विरोधी दल ने प्रस्ताव रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(व्यवधान)

(श्री त्रिवेणी सहाय और गोविन्द प्रसाद गैरोला साथ-साथ बोलते रहे।)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)--

आप (त्रिवेणी सहाय जी) बैठ जायं और हमें बोलने दें।

(व्यवधान)

श्री गोबिन्द प्रसाद गैरोला (जिला टेहरी गढ़वाल)--

राजनीति को श्री जयप्रकाश नारायण जी ने एक गंदा माहौल बना दिया है। वैसे मैं उनकी कदर करता हूं, इज्जत करता हूं उसमें संदेह नहीं है। उनको सर्वोदय के रूप में, साधू के रूप में और सेवक के रूप में देख चुका हूं लेकिन राजनीति में आकर कुछ नहीं कर रहे हैं।

(दोनों तरफ से शोर गुल)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल और विरोधी दल के अन्य नेताओं ने तथा इस सदन के माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न आपके सामने हैं उस पर विचार रखे हैं। इस प्रश्न के दो पहलू हैं--पहला ग्राह्यता को लेकर किया कि इस पर विचार कर सकते हैं कि नहीं। इस पर हमारे सहयोगी श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने जो भी बताया वह लोक सभा की कार्यविधि और इस सदन की कार्यविधि से उद्धरण लेकर कहा। माननीय नेता विरोधी दल ने जो इस संबंध में दो घटनाओं एक डा० होमी भाभा, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, वह एक बड़े साइन्टिस्ट थे और दूसरे हाकी टीम के सम्बन्ध में एक घंटे का स्थगन का प्रस्ताव रखा उसको मैंने सुना। माननीय जनसंघ नेता ने जो तर्क प्रस्तुत किये उस पर भी मैंने सादर विचार किया।

तो मान्यवर, पहला जो ग्राह्यता का प्रश्न है इसमें स्पष्ट बात यह है कि इस प्रश्न का सीधा संबंध या दूर का संबंध हमारे साथ, इस असेम्बली के साथ इसलिये नहीं है क्योंकि इस असेम्बली का कोई भी माननीय सदस्य इस पक्ष का नहीं है कि प्रजातंत्र में किसी को बोलने की आजादी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी तरफ से यह बात हुई होती, इस सरकार की तरफ से कोई बात हुई होती या कठिनाई हुई होती तब तो कोई बात थी लेकिन हमने ही पिछले १६/१७ महीनों में इस तरह की कठिनाइयां झेली हैं। हमारी नेता जब मनीराम के चुनाव के सिलसिले में गयी थीं तो नेता विरोधी दल जानते होंगे कि किस तरह से उनका रास्ता रोका गया बल्कि उनके बोलने में भी रुकावट डाली गयी।

श्री मधुकर दिघे--

किसी ने हमला नहीं किया था, किसी ने हत्या का प्रयत्न नहीं किया था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

माननीय सदस्य अपना-अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मैं तो निवेदन मात्र कर रहा हूं। मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं। वह अधिकार तो आपका (श्री अध्यक्ष) है या सम्पूर्ण माननीय सदन का। मैं ऐसी कुचेष्टा भी नहीं कर सकता कि स्वयं किसी निर्णय पर आ जाऊं। हमने, शासक दल ने कई मीटिंग्स में ऐसी कठिनाइयों को भोगा है। आजमगढ़ में जयप्रकाश जी की मीटिंग होती है तो शान्ति से हो जाती है और अखबार वाले भी छापते हैं कि बहुगुणा ने उत्तर प्रदेश में जयप्रकाश को वी० आई० पी० ट्रीटमेंट दे रखा है। शायद इसी वजह से कि मेरे प्रति चारो तरफ अविश्वास पैदा किया जाय। मैं जो करता हूं छिपा कर नहीं करता। मैं यह मानता हूं कि बोलने की स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं होना चाहिए। आजमगढ़ में जहां मैंने अपने दल वालों को शख्ती से हिदायत दी कोई ऐसी बात न करने के लिए वहां दूसरी ओर हमारी सभा मऊ में होती है और नेता विरोधी दल एक टीम बना कर वहां मालूम करवा लें कि कितनी बड़ी सभा थी और रोड़ी जैसी कि रेलवे लाइन में होती है फेंकी गयी।

श्री राम अधार —

वह सब चन्द्रजीत यादव ग्रुप ने किया। हम लोग उसमें नहीं थे।

श्री मधुकर दिघे—

हम भी ऐसी चीजों के खिलाफ हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जब राम अधार कहते हैं तो मेरा उनका कुछ हंसी-मजाक का भी सिलसिला रहता है। लेकिन दिघे जी जो वहां नहीं थे वह भी उनके साथ जुड़ गये। मैंने तो कहा कि नेता विरोधी दल टीम बना कर पता कर लें। जिसने भी किया होगा वह सामने आ जायेगा। मैं जानता हूं कि किस दल ने किया लेकिन मैंने तय किया है कि कोई ऐसी बात न कहूं जिससे माननीय नेता और सदस्यों के दिलों को दुख पहुंचे। मेरी प्रतिज्ञा रही है कि सत्य को भी बड़ी नम्रता से कहूं और इस प्रकार कहूं कि किसी के दिल को दुख न पहुंचे।

चौधरी चरण सिंह—

माननीय नेता सदन यह साबित करना चाहते हैं कि वह फ्रीडम आफ स्पीच में विश्वास करते हैं और उन्होंने किसी की मीटिंग में विघ्न पैदा नहीं किया और दूसरी पार्टीज पर यह दोष देते हैं कि उनके वर्कर्स ने कांग्रेस की मीटिंग्स को, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का भी हवाला दिया.....

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

ऐसी बात है। यह सही है।

चौधरी चरण सिंह—

सही बात तो हमेशा बहुगुणा जी कहते ही हैं वरना आप उनके साथ न होतीं। मैं दूसरी बात कह रहा था। मैं यह कह रहा हूं कि उनकी बात आधी सही है और आधी गलत है। 71 में मेरी बहुत सी मीटिंग्स को कांग्रेस और सी० पी० आई० वर्कर्स ने डिस्टर्ब किया, विघ्न डाला।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मेरे समक्ष पूरब से लेकर पश्चिम तक और पिथौरागढ़ तक ऐसे उदाहरण हैं जब हमारी सभा पर पत्थर फेंके गये और अगर माननीय चौधरी साहब दिन-ब-दिन की घटना चाहेंगे तो मैं उनके पास भेज दूंगा। मान्यवर, वैसे ही बिना झगड़ा किये मुलजिम की भांति कटघरे में खड़ा कर दिया गया है जबरदस्ती और अगर किया होता तो चौधरी साहब और माधवबाबू के रहते कोई चीज.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

क्या आपके पास ऐसी भी कोई मिसाल है कि प्राणघातक हमला आपकी पार्टी या आप पर हुआ हो और पुलिस अगर पास खड़ी हो तो वह मौन रही हो ?

चौधरी चरण सिंह---

अगर हमने किया होता तो यहां पर तूफान होता। मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर में वहों के कांग्रेस वर्कर्स की तरफ से झगड़ा हुआ और आपको विश्वास न हो तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेंडेन्ट आफ पुलिस से मालूम कर लीजिये, मैंने एक लफ्ज नहीं कहा. . . . . .

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

माननीय चौधरी साहब की बात को मैं इंकार नहीं करता क्योंकि मेरे पास तत्काल कोई तर्क नहीं है और न तथ्य ही कि मैं कुछ कह सकूं। हमारी बुनियादी नीति यह है कि कहने की सबको स्वतन्त्रता हो। अब किस्सा रह गया श्री जय प्रकाश जी के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में दो विचार हैं--एक तो विचार यह है कि वह अच्छे मूल्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों का विचार है कि वह सामन्तवादी ताकतों का और शोषणवादी ताकतों को इकट्ठा कर रहे हैं तो अन्ततोगत्वा प्रजातन्त्र को समाप्त कर देंगे। अब यह दोनों विचार हैं और अपनी अपनी तरह से उनको प्रवाहित करने का सबको हक है। दूसरी बात यह है कि लखनऊ यूनीवर्सिटी की किसी मीटिंग में मैं जाना चाहूं या चौधरी साहब जाना चाहें और वहां के विद्यार्थी उनको सुनना न पसन्द करें और विद्यार्थी उसमें अड़चन डालें और रुकावट डालें तो कोई सुनियोजित योजना का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक हमारी सूचना है जो अखबारों से हमें मिली है, बंगाल के विद्यार्थी श्री जयप्रकाश जी की समग्र तथाकथित क्रांति के आन्दोलन में हिस्सा नहीं लेना चाहते बल्कि उसका विरोध करना चाहते हैं और उसके लिये उन्होंने अगर विरोध किया तो फिर उनके उस रुकावट को दूर करने के लिये यह असेम्बली कुछ नहीं कर सकती और न करना ही वाजिब है। जहां तक प्रस्ताव का सम्बन्ध है मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह तो न जाब्ते का प्रस्ताव है और उसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में कोई तर्क प्रस्तुत किया गया है, सिर्फ इमोशनल भावना है। रह गई बात आक्रमण की, तो मैं हर विरोधी दल के नेता की शतायु की कामना करता हूं भगवान से। हमें इस बात में कोई विश्वास नहीं है कि हम एक दूसरे के जीवन को लेकर राजनीति करेंगे। जीवन लेने का काम जिन लोगों का है, उनके इतिहास के विषय में यहां की जनता पहचानती है। राष्ट्रपिता की हत्या से. . . . . (व्यवधान) . . . राष्ट्रपिता की हत्या की एक लम्बी कहानी है। हत्या की नीति की कांग्रेस हमेशा से विरोधी रही है और हम यह अस्वीकार करते हैं कि हत्या की राजनीति से देश बनने वाला नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

अच्छा हुआ, आपने चौधरी साहब को बता दिया. . . . . .

श्री मधुकर दिघे--

इस तरह से हम और आप मिलकर आइसोलेट कर रहे हैं. . .

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

माननीय दिघे जी अगर आते हों तो आये, उनका हर वक्त स्वागत है लेकिन चौधरी साहब की आज्ञा लेकर आयें वरना चार्ज लगेगा कि हमने उनका आदमी तोड़ा है। वैसे उनके और हमारे विचार करीब-करीब एक ही से हैं और उन्हें यहां हमारी तरफ रहना चाहिये, इसमें कोई संदेह नहीं है। अन्त में मैं यह कहूंगा कि आप स्वयं इसकी ग्राह्यता पर फैसला दें और इस देश के अन्दर इस प्रस्ताव की गलतफहमी से जो प्रजातन्त्र विरोधी शक्तियों को बल मिलेगा, यह सदन आवश्यकता पड़े तो इस प्रस्ताव को गिरा दे।

श्री त्रिवेणी सहाय---

इसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं. . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके अपना आसन ग्रहण करें।

अब यह जो प्रस्ताव माननीय चरण सिंह जी ने नेता विरोधी दल की हैसियत से रखा है इसमें प्रस्ताव की जो भाषा है उसे मैंने देखा था। उसका कुछ अंश तो निकल गया है। उसकी ग्राह्यता के बारे में कोई नियम है तो 110/103 के अन्तर्गत वह प्रस्ताव आ सकता है। उसके अन्तर्गत उसे आना चाहिये। अब ऐसा है जैसा माननीय रामायण राय जी ने कहा 105(7) के अनुसार इस प्रकार है "वह किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग के क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालयों के न्याय निर्णयन के अन्तर्गत हो" (व्यवधान) कृपा करके सुनिये। दूसरे, यह घटना पश्चिमी बंगाल की है। 110 के अन्तर्गत हम इसे स्वीकर भी करें तो यह समवेदना उसके अन्तर्गत आ सकती है लेकिन इस सम्बन्ध में हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने समय समय पर जो निर्णय दिये हैं उनके एक-आध अंश को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वे निर्णय इसी उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये हैं। निर्णयों का यह संहित संकलन है। इसके पृष्ठ 568 पर आप देख, इसमें लिखा हुआ है। "समवेदना अथवा बधाई के प्रस्ताव नेता सदन की ओर से ही आने चाहिये।" "बधाई और शोक आदि के प्रस्ताव मुख्य मंत्री के परामर्श से ही लाये जा सकते हैं।" जो 110 के अन्तर्गत बधाई और समवेदना का मामला है ऐसे ही मामला उठा था। 31 मई, 1952 को लंका के आदिवासी भारतीय नागरिकों के शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर बधाई के प्रस्ताव में जब श्री देवकी नन्दन विभव ने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के साथ सहानुभूति के प्रश्न को भी संशोधन के रूप में संलग्न करना चाहा तब श्री अध्यक्ष ने निम्नलिखित निर्णय दिया:—

"मैं इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। यह प्रस्ताव एक बधाई के प्रस्ताव के रूप में इस भवन के सामने आया हुआ है। माननीय सदस्य यदि और लोगों को भी बधाई देना चाहते हैं तो एक दूसरा प्रस्ताव भी अलग से साउथ अफ्रीका के सम्बन्ध में पेश कर सकते हैं।"

इसी तरह से दूसरे निर्णय अध्यक्ष ने दिया है जो इस प्रकार है:—

"26 अगस्त, 1965 को कुंवर श्रीपाल सिंह ने भारतीय सेनाओं को धन्यवाद का प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुज्ञा चाही जो पाकिस्तान की दो चौकियों पर कब्जा करने से सम्बन्धित था। इसको अध्यक्ष ने अस्वीकार करते हुए कहा कि "ऐसे जितने प्रस्ताव होते हैं, जैसा मैं आदरणीय सदन के सामने कह चुका हूं, सब नेता लोग मिल लें और आपस में पहले बात कर लें, तभी वह सदन के समक्ष आ सकता है।" इस तरह से एक तो सर्वसम्मति से होना चाहिये। यह प्रस्ताव बिना सूचना के आया है। सूचना दे कर चर्चा के विषय में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अपने अधिकार के अन्तर्गत माननीय नेता विरोधी दल भी कोई प्रस्ताव ला सकते हैं जिसमें सारे विषय की चर्चा हो। उसके लिये संसूचना समय से दी जाती है। लेकिन यह बिना संसूचना के प्रस्ताव आया है। मैं माननीय नेता विरोधी दल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा काम हलका कर दिया। अपने बयान में माननीय नेता विरोधी दल ने यह कहा और उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से कहा, टेक्निकल ढंग से चाहे यह न आये। तो मैं जानता हूं कि उनके दिल में भी सन्देह है। (व्यवधान) फिर एक सुझाव नेता विरोधी दल ने रखा।

श्री त्रिवेणी सहाय—

अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें (व्यवधान) आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री त्रिवेणी सहाय—

अध्यक्ष जी, किस नियम के अन्दर आ सकता है वह मैं बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष---

यह उचित नहीं है। मैं निर्णय दे रहा हूं आधा दे चुका हूं। आप कृपा करके आसन ग्रहण करें (व्यवधान) आप कृपा करके आसन ग्रहण करें (व्यवधान) आप कृपापूर्वक आसन ग्रहण करें। एक तर्क संगत बात माननीय नेता विरोधी दल ने कही। 311 के अन्तर्गत नियम को मुअत्तल करके अगर लेना चाहते हैं तो मैं इजाजत देता हूं।

चौधरी चरण सिंह--

मैं समझ नहीं पाया आपने क्या फरमाया ?

श्री अध्यक्ष---

आपने कहा 311 के अन्तर्गत नियम को निलंबित करने की व्यवस्था है। अगर टेकनिकल ढंग से किसी भी चीज में नियम आड़े आये तो नियम को निलम्बित करके यह ले लिया जाय यह आपने कहा (व्यवधान) यह आप की ही बात है। (व्यवधान) आप (श्री त्रिवेणी राय से) बैठिये।

चौधरी चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं समझा नहीं आपका क्या मतलब है। मैं वैसा ही करूंगा।

श्री अध्यक्ष---

हमारे और आपके विचार में समता है। जब तकनीकी में अन्तर होगा तो मुझे भी तकनीकी में जाना पड़ेगा। तब भाव नहीं देखूंगा, आत्मा नहीं देखूंगा तब 'दी लेटर आफ दि कांस्टीट्यूशन इज सुप्रीम'। तो क्या आप चाहते हैं कि हम यह कहें ?

चौधरी चरण सिंह---

मैं नहीं चाहता। वह आना चाहिये लेकिन बाद में जो कहा वह ठीक नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। सरकार ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उससे उदारता का परिचय नहीं हम सदन का त्याग करते हैं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष---

सहकारिता मंत्री।

सहकारिता मंत्री (श्री नारायण सिंह)---

अध्यक्ष महोदय.....

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)---

लोक नायक श्री जयप्रकाश नारायण पर घातक हमला किया गया (व्यवधान) इसलिये हम सदन का परित्याग करते हैं।

(श्री हरिकेवल सदन त्याग कर चले गये।)

श्री नारायण सिंह---

मैं राज्यपाल महोदय.....

श्री भगवती प्रसाद (फैजाबाद)---

जो श्री जयप्रकाश जी पर हमला हुआ उस पर प्रस्ताव जो रखा उसे सरकार ने नहीं माना। इसलिये हम सदन का त्याग करते हैं.....

(श्री भगवती प्रसाद अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

**1975-76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 41-सहकारिता, अनुदान संख्या 49-पशुपालन, अनुदान संख्या 50-दुग्धशाला (डेरी) विकास अनुदान संख्या 51-मत्स्य उद्योग, अनुदान संख्या 72-सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 79 पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 91 ऋण और अग्रिम सहकारिता**

सहकारिता मंत्री ( श्री नारायण सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41-सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,99,63,800 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49-पशुपालन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,99,66,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50-दुग्धशाला (डेरी) विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 63,14,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-51-मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 72,11,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72--सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों के चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,58,80,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 79--पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 54,56,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-91-ऋण और अग्रिम सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,40,72,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

[श्री नारायण सिंह]

अध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग खासतौर से सहयोग से सम्बन्ध रखता है, कोआपरेटिव से सम्बन्ध रखता है और अब तक जो सहकारिता विभाग ने किया या जो उसका मेन उद्देश्य या मेन परपज आम या गरीब जनता को, गरीब और छोटे काश्तकारों व मजदूरों को ऊपर उठाना है वह लगातार कर रहा है । मैं उसके आंकड़े अभी आपके सामने रखूंगा कि क्या-क्या हमने अभी या पिछले सालों में किया है जिनसे छोटे काश्तकारों मजदूरों को गरीबों को लाभ हुए हैं ।

दूसरी स्कीम दूध के सिलसिले में है, जो सहकारिता विभाग चाहता है कि तमाम प्रदेश में जगह-जगह योजनाएं खोलने के पश्चात् आम लोगों को, गरीब जनता को या दूसरे ऐसे देशवासियों और प्रदेशवासियों को दूध की पूर्ण मात्रा कम कीमत पर अच्छी तरीके से सुलभ हो सके। यह भी हमारा उद्देश्य है । इसमें बहुत सी समस्याएं भी हमारे सामने हैं। जो लगातार–हमेशा किसी न किसी वक्त पर ऐरे–गैरे समय पर हमको परेशान या तंग भी करती रहती हैं। हम सोचते भी हैं कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। जैसे एक समस्या सुपरवाइजरों की है ।

दूसरी समस्या यह है, कोआपरेटिव मूवमेंट की सबसे निचली इकाई, शुरू की इकाई जो गांव हैं, वहां के लोग ज्यादातर अनपढ़ होते हैं। बहुत सी बातों की उनको जानकारी नहीं होती है, उनमें अज्ञानता घुसी हुई है। इसलिये उन कमेटियों में बहुतों के नाम रुपया लिखा है, लेकिन उन्हें मिला नहीं, उनको दिया नहीं गया । उनके अज्ञान का लाभ उठाकर कुछ चतुर किस्म के लोगों ने उसे ले लिया। कुछ लोग इस तरह की कार्यवाही करते हैं, जो कि सहकारिता विभाग में घर कर गई है। और आहिस्ता-आहिस्ता दूर करने का प्रयत्न कया जा रहा है ।

चौथी बात सहकारिता विभाग के विषय में बहुत बड़ी, पक्ष और विपक्ष की तरफ से शायद कहें कि बड़ा भारी भ्रष्टाचार है। मैं उस पर भी यह चाहूंगा कि जो भ्रष्टाचार आप कहना चाहते हैं, मैं जहां तक समझा, थोड़े दिनों जो मैंने इस की परिभाषा समझा, शुरू की इकाइयां जो ग्राम समाज में हैं, छोटी संस्थाएं, या हमारे आदमी जो वहां पर सरपंच हैं, या खजांची हैं, या दूसरे पदों पर आसीन हैं, उन्होंने इस किस्म की कार्यवाही की। दूसरे, ऊपर चल कर बैंकों में या दूध की डेरी या कंज्युमर्स सोसाइटीज या जो हमारी मार्केट वगैरह हैं, उनमें भ्रष्टाचार कहा जाता है। मैं मानता हूं क्योंकि सहकारी ऐसी संस्था है जिसमें दोनों पक्ष और विपक्ष आम जनता के लोग ग्रामीण लोग अधिकारी दोनों मिल कर काम चलाते हैं और खास कर ग्रामीण लोग हैं जिन का सम्बन्ध कोआपरेटिव सोसाइटीज से ज्यादा रहता है उनमें बहुत सी गड़बड़ियां हो सकती हैं और होती है हमारे इस पक्ष और विपक्ष के सदस्यगण इस बात का भी सुझाव दे कि कोआपरेटिव सोसाइटीज में इस चीज को कैसे दूर कर सकते हैं। मैं तर्क में विश्वास रखता हूं। वह रीजन्स देकर अगर नहीं बताएंगे कि इस तरह से भ्रष्टाचार दूर हो सकता है, तो अकेले यह कह देने से कि भ्रष्टाचार बहुत है मैं समझता हूं कि काफी नहीं होगा। (व्यवधान) कहेंगे, आप चूकि पहले कह चुके हैं ।

अब मैं आपके सामने वह चीजें रखना चाहूंगा जो कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये गरीब मजदूरों को सुविधाएं दे रहे हैं और आगे देने का विचार है। यू० पी० लेविल पर एक लेबर फेडरेशन 1972–73 में बनाया गया है। उसके अन्दर 320 समितियां हैं। उसकी अलग अलग कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं। रेलवे कोआपरेटव सोसाइटीज 15, फारेस्ट कोआपरेटिव सोसाइटीज 18, हरिजन कोआपरेटिव सोसाइटीज 5, रिक्शा चालक सोसाइटीज 83 1,91,54,500 रुपये का मध्यकालीन कर्जा 1973–74 में दिया गया जिसमें 31,947 दुधारू पशु खरीदे गये। 45,74,000 का अल्पकालीन कर्जा चारा दाना

के लिये गरीब काश्तकार, या मजदूर समितियों को दिया गया। अब आगे के लिये ऋण देने की बात जो मैंने अर्ज किया यह सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक आफ बड़ौदा की तरफ से दिया जायगा। अब तक यह कोआपरेटिव बैंक से होता था।

दूसरी योजना छोटे कृषकों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिये है। छोटा कृषक 5 एकड़ का कृषक समझा जाता है। इन लोगों मेंजो धन वितरित किया जाता है उसका 20 परसेंट लघु काश्तकार जिन को कहते हैं उनको दिया जायगा। इसमें आधा भाग 10 परसेंट गरीब हरिजनों को दिया जायगा। साधनहीन कृषकों को सदस्य बननेके लिये मध्यकालीन ऋण दिया जाता है। इस पर ढाई परसेंट ब्याज की छूट देते हैं। एक से अधिक छोटे काश्तकारों को संयुक्त ऋण दिया जाता है। प्रतापगढ़, रायबरेली, फतेहपुर, बदायूं, मथुरा तथा बलिया को 2 लाख 51 हजार रुपया 9500 दुधारू पशु खरीदने के लिये अनुदान दिया गया।

एक समिति का गठन किया गया है जो मजदूरों को अधिक सुविधायें देने पर विचार कर रही है। इस तरह से कुल ऋण 20 प्रतिशत छोटे काश्तकारों के लिये रिजर्व कर दिया गया है। 30 लाख मध्यकालीन ऋण में दिये गये है, 15 करोड़ रुपया अल्पकालीन ऋणों में दियें गये हैं और 12 करोड़ रुपये दीर्घ कालीन ऋण में दिये गये हैं। अब हम इसको 26 जिलों में लागू करने जा रहे हैं। ये जिले हैं, लखनऊ, लखीमपुर, जौनपुर, गाजीपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बहराइच, गोरखपुर आदि-आदि।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--
यह सब कागज के ऊपर ही है।

श्री नारायण सिंह--
कागज पर नहीं है बल्कि असलियत है। लैंड डेवलपमेंट बैंक द्वारा काश्तकारों को सुविधायें दी गई हैं। इसकी 208 शाखायें हैं। इनके द्वारा दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। 31 मार्च, 1975 तक 192 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है। 97 प्रतिशत अल्प सिंचाई योजनाओं के लिये दिया गया है। इससे एक करोड़, 50 लाख, 908 कुयें, बनेंगे, 34,600 रहट लगेंगें, एक लाख 66 हजार ट्यूबवेल बनेंगे तथा 2,08,030 पम्पिंग सेट्स लगेंगे। इनके लग जाने से 65,85,000 एकड़ जमीन में इस लैंड डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो गई है। पूरे प्रदेश में इसके 66,85,000 सदस्य हैं। पहाड़ों में फल पैदा करनेकी योजना में 7,81,700 रुपये का ऋण दिया गया है। इनमें 14 जिला में जो इस प्रकार हैं--बलिया, सीतापुर, गोंडा, बहराइच, आजमगढ़, बस्ती वगैरा।

विश्व बैंक द्वारा तीन साल के लिये यह स्कीम लागू की गई है। 10 करोड़ 52 लाख रुपये का ऋण बांटा जा चुका है और 35 करोड़ रुपये का अभी बंटना है।

लैंड डेवलपमेंट बैंक द्वारा कर्जा लेने में काश्तकारों को कुछ असुविधायें तथा कठिनाइयां आती थीं इसलिये उस पर हम विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इन कठिनाइयों को दूर किया जाय। जो लोग कर्जा लेते हैं उनका कम से कम खर्चा हो। काश्तकार जिस इंजिन के लिये प्रार्थना-पत्र देता है उसी इंजिन का एक प्रमाण-पत्र उसको दे दिया जायेगा और जिस दूकान से चाहे वह खरीद ले अभी तक उसको पाबंदी थी और महकमे के द्वारा ही उसको लेना पड़ता था। इसको दूर कर रहे हैं।

हमारे विभाग में 1404 बीज भंडार हैं। इनके द्वारा 4 लाख 33 हजार क्विन्टल बीज का वितरण किया गया। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इनसे कितने लोगों को

[श्री नारायण सिंह]

लाभ हुआ। खाद के केन्द्र हमारे यहां 2647 हैं जिनके द्वारा खाद बांटी जाती है। 74–75 में 34 करोड़ की खाद का वितरण किया गया और 75–76 में 55 करोड़ के वितरण का हमारा लक्ष्य है।

(इस समय 1 बजकर 44 मिनट पर पर उपाध्यक्ष कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

गेहूं की खरीदारी के विषय में पी0 सी0 एफ0 ने 1973 में 4 लाख 22 हजार मैट्रिक टन और 1974-75 में 1 लाख 70 हजार मैट्रिक टन खरीदा भी। हमारे यहां 23 कोल्ड स्टोरेज हैं। प्रत्येक की दो हजार टन की कैपेसिटी है। 23 पुराने हैं और 19 नये बन रहे हैं। ये जिले हैं मैनपुरी, मथुरा, इटावा, गाजियाबाद, हरदोई, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, भदोही आदि-आदि। इसके अलावा कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी भी कोआपरेटिव में हैं, उनका टोटल जो है 1,438 है। इसमें बहुत ज्यादा फर्जी हैं। अगर कुछ हैं उनमें से बहुत कम जो काम कर रही हैं, आंकड़े तो मुझे 750 बताया जाता है लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी पर सदस्यों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस वक्त वे अपनी बहस करें इस पर अवश्य विचार करें। जो सुचारु रूप से नहीं चल रही हैं मैं इसको तसलीम करता हूं।

वेयर हाउसेज 68 बड़े हैं, जिनमें 18750 मीट्रिक टन तक की कैपेसिटी है और 30 हजार की कैपेसिटी के बन चुके हैं जो इरादा हमारा है टोटल सुपरवाइजर्स जो हमारे यहां 4,500 हैं पी0 सी0 एफ0 के अधीन 1,500 हैं। एल0 एस0 एस0 के 730 हैं, डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक में 2,270 हैं। मैं समझता हूं कि अलग-अलग महकमें में इनके होने की वजह से कोआपरेटिव डिपार्टमेंट को बहुत असुविधा है। मैंने यह विचार किया है कि एक सेमीनार बुलाई जाय और उस सेमीनार के अन्दर में आपस में विचार-विमर्श करें कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के अन्दर जो सुपरवाइजर्स हैं जो जिला लेविल पर सचिव होते हैं और कोआपरेटिव सुपरवाइजर्स हैं उनका दोनों का कैडर एक बन जाय, जो लखनऊ के अधीन हो जाय। अब हम किसी का तबादला भी करते हैं तो बड़ी परेशानी हो जाती है। 14 आदमियों में से 12–13 का रेजोलूशन आ जाता है हमारे पास भी कोई चारा नहीं रहता है। तो इसके लिये मैं पूर्णतः विचार कर रहा हूं। शासन विचार कर रहा है। जहां तक शासन का ताल्लुक है शासन चाहता है कि उनका कैडर एक हो जिससे सबका काम एक जगह से चल सके।

वसूली के सम्बन्ध में भी मैं माननीय सदस्यगण का सुझाव जरूर चाहूंगा क्योंकि वसूली का काम जो कोआपरेटिव का है देना और लेना है। लेने में वह पूरी वसूली नहीं हो पाती है। मैं चाहूंगा कि जिस तरह से आप लोग सुझाव दे सकें वह दें। वसूली हमारे यहां पिछले वर्ष की कुल 61 परसेंट है। वसूली आगरा, गोरखपुर, बनारस में बहुत खराब रही। बकाया के संबंध में कड़ाई बरतने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके बारे में गम्भीरता-पूर्वक विचार किया जा रहा है। कुछ धन तो ऐसे लोगों पर बकाया है, जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने वाकई में पैसे लिये नहीं थे। अधिकतर जो बकाया बड़े लोगों पर है, उसके बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

सदन में कुछ माननीय सदस्य खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। कुछ नियम हैं, व्यवस्थाएं हैं इस विधान सभा की, उसी के तहत आप काम करें।

श्री नारायण सिंह---

केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार 52 हैं। प्राइमरी सोसायटीज 1029 हैं। 73–74 में 9,84,00,000 का बिजनेस प्राइमरी सोसायटीज ने किया और 74–75 में 12 करोड़ रुपये का व्यवसाय करने का इरादा है।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष––

एक और दो के बीच में कोरम नहीं देखा जाता है।

श्री नारायण सिंह––

पांच जगहें जो हैं–लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, देहरादून में जो सुपरबाजार हैं, वे सब प्राफिट पर हैं। कपड़े का व्यापार 4,176 बिक्री केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है, जिनमें से 3,340 ग्रामों में और 836 नगरों में है। 28 फरवरी, 1975 तक 28 करोड़ रूपये का कपड़ा दिया गया।

इस विभाग में एक पुलिस सेल भी कायम किया गया है। जहां हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार है गड़बड़ है तो यह उसकी जांच करता है। इसमें टोटल केसेज 2316 हैं, चार्ज शीट 733 को और 19 को सजा दी गयी है। 1252 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा 980 लोगों ने आत्म-समर्पण किया है तथा 435 मामलों की सुनवायी विभिन्न अदालतों में हो रही है। टोटल गबन जो पकड़ा गया वह 3 करोड़ रुपये का था जिसमें से 7.50 हजार रुपया वसूल हो गया है। इस योजना को हमीं ने नहीं बल्कि इससे प्रभावित होकर कर्नाटक दिल्ली, बिहार और गोवा ने इस योजना के सम्बन्ध में हमसे जानकारी करनी चाही है। हमको खुशी है कि बिहार ने इसको पूर्णतया ऐडाप्ट कर लिया है।

डेरी योजना भी सहकारिता विभाग के अन्तर्गत चल रही है। दूध की बड़ी कीमत है और इसकी बड़ी आवश्यकता भी है। 37 मिल्क यूनियन्स हैं और 2866 मिल्क सोसाइटीज हैं। टोटल मेम्बरशिप 1 लाख 4 हजार की है।

बेबी फूड फैक्टरी मुरादाबाद में है। इसकी केपसिटी 1500 मेट्रिक टन है। 1973–74 में इसका प्रोडक्सन 775 मी0 टन था। 361 मी0 टन तथा 266 मी0 टन मिल्क पाउडर का उत्पादन हुआ। टोटल प्रोडक्सन 1402 मी0 टन हुआ। प्रतिशत के रूप में यह प्रोडक्शन 93 प्रतिशत है। लेटर इन्डेन्ट और इन्डिया गवर्नमेंट 1200 मी0 टन0 से 3000 मी0 टन होने की आशा है। इस पर एक करोड़ रुपया व्यय होगा।

कैटिल फीड फैक्टरी मेरठ और वाराणसी में है। इसकी कैपसिटी 100 मी0 टन पर डे है। इस पर खर्चा 50 लाख रुपया होगा। पांचवी योजना में दुग्ध संघो द्वारा 5.50 लाख लीटर दैनिक की क्षमता किए जाने का विचार है। यह सब दुग्ध संघ 7 करोड़ रू0 का दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं।

इसके अलावा एनीमल हसबेन्डरी की योजना है। इसमें 4 या 5 काम होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय मंत्री जी अभी कितना समय लेंगे।

श्री नारायण सिंह––

15-20 मिनट तो लगेंगे ही। मैं इसको संक्षिप्त किए देता हूं।

गायों का कृत्रिम गर्भाधान 6 लाख 39 हजार का 73–74 में किया गया। 4 लाख 61 हजार भैंसों का कराया गया। 6 लाख 56 हजार विकिन्स लिए। 50 हजार एकड़ के लिये फौडर सीड दिया गया एम0 पी0 चरी, बरसीम और जैई आदि के दिये। चारा प्रदर्शनी के लिये लखनऊ, कानपुर, मेरठ, और हल्दवानी में 687 प्लौट्स दिए गये। इसी, प्रकार से हमारे 1109 वैटिरीनरी होस्पीटल्स हैं, जिनमें से 10 नये खुले हैं, 736 ए0आई0 सेन्टर्स हैं, 1616 ए0 आई0 सब सेन्टर्स हैं जिनमें से 15 नये सैन्टर्स खोले गये हैं। 1928 हमारे स्टाकमैन सेन्टर्स हैं जिनमें से 12 नये सेन्टर्स खोले गये हैं।

[श्री नारायण सिंह]

हमारे इस समय 28 सीमेंन कलेक्शन सेन्टर्स हैं जो नस्लों की उन्नति के लिये खुले हैं 14 फार्म्स ऐसे हैं जो सांड़ पैदा करने के लिये खुले हुए हैं। ये अलग-अलग नगरों में हैं। एक कलसी, देहरादून में है, दूसरा पशुलोक देहरादून में है, हस्तिनापुर, मेरठ में—बाबूगढ़ मेरठ में, भराई (झांसी) सहसपुर (झांसी), लखनपुर, मंजरी, गंजरिया (लखनऊ), बाराबंकी निमलैट, आराजी लाइन्स बनारस, निलगांव (सीतापुर) आटा (जालौन) और मखदम (मथुरा में) हैं। इनमें से बाबू गढ़ फार्म पर 5 लाख 66 हजार 5 रूपये की आमदनी होती है और जितने दूसरे फार्म्स हैं जैसे मंजरी, गंजरिया, फार्मों को छोड़कर जहां पर मवेशी पाले जाते हैं, कुछ का प्रबन्ध ठीक नहीं है। अगर यहां का प्रबन्ध ठीक हो जाय तो जो हानि होने वाली है वह न हो। बहुत से ऐसे फार्म्स है जिनमें नुक्सान भी होता है और लाभ भी लेकिन इसके लिये कोई ऐसी तरकीब सोच रहे हैं कि जिससे हानि कम से कम हो सके और नयी-नयी नस्लों के सांड़ पैदा करवा सकें और साथ ही साथ कृत्रिम गर्भाधान के सेन्टर्स भी खोले जांय जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो सके।

प्रयाग में चित्रकूट कृषि एवं गऊ धन विकास निगम भी खोला जा रहा है। उसकी शेयर कैपिटल 50 लाख रुपये है। इस साल 12 लाख और दूसरे वर्ष इससे ज्यादा खर्च किया जायगा। इलाहाबाद, बांदा और चित्रकूट में 50 सैन्टर्स बनेंगे और प्रत्येक सेन्टर पर 2000 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान होगा। जेरी का सीमेन प्रयोग किया जायगा और उरली कन्चन महाराष्ट्र से मंगाया जायेगा। इनके सहयोग से हम कार्य बढ़ा रहे हैं।

जहां तक हमारे फिशरीज डिपार्डमेंट का सवाल है इसमें लाभ तो है ही नहीं। सिर्फ इतनी बात है कि लगातार वह बढ़ रहा है। वर्ष 1950 में इसका काम केवल 13 जिलों में था। उसके बाद बढ़ कर 1975 में वह 51 जिलों में हो गया है। इस समय 64 बड़े व मीडियम रिजरवायर्स हैं जिनका आधा भाग इर्रीगेशन विभाग का है। हम लोग बटाई पर काम करते हैं। 389 जो हमारे कन्ट्रोल में हैं व स्माल वाटर्स हैं। टोटल जो अलग-अलग गांवों में फैला हुआ है वह 1 लाख 40 हजार हैक्टर जमीन पानी वाली है जो हमारे पास है बहुत सी जगह पानी न होने की वजह से नहरों में पानी न होने के कारण उनको बहुत कम सुविधा मिल रही है लेकिन फिर भी शासन पूरी तरह से विचार कर रहा है कि मछुओं को पूरी सुविधा दी जा सके। मछलियों के लिए अगर पानी का प्रबन्ध हो जाता है तो ये बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में खूब मछली पैदा हो सकें। ताकि आप लोगों को मछली खाने के लिए मिल जायं। हम विदेशी मछलियों जैसे कॉमन कार्प, ग्रास, कार्प, सिलवर कार्प और देशी रोहू, कतला मुगल, महासीर वगैरह के प्रोडक्शन भी बढ़ायेंगे।

इसके बाद अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन दोनों विभागों के सम्बन्ध में पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों के जो सुझाव होंगे जो उनकी राय होगी उन पर विचार किया जायगा क्रिटिसाइज तो वे करेंगे ही मैं चाहूंगा कि वे एक तो जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं और एक हमारे जो कोआपरेटिव विभाग है वह कैसे अधिक जन प्रिय बन सकता है और जो गरीब मजदूर हैं और काश्तकार हैं जिन के लिए यह विभाग बनाया गया था जैसे लाभान्वित हो सकते हैं, इसके बारे में अपने अपने सुझाव देने की कृपा करें। उनको कैसे इससे फायदा पहुंच सके, मैं आपके सुझावों का बहुत आशा के साथ इन्तजार करूंगा और अन्त में मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस सब को स्वीकार करें।

*श्री काली चरण यादव (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49––, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50––, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51––, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72––, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 79––, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 91––, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग कीं राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग की बात शुरू करते ही माननीय मन्त्री जी ने शुरू ही विभाग के भ्रष्टाचार से किया।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय सदस्य को इसके साथ नीति विषयक बात विशेष रूप से कहनी है। आप उसकी नीति की चर्चा करें। कटौती का प्रस्ताव नीति से सम्बन्धित होता है, केवल भ्रष्टाचार से नहीं।

श्री काली चरण यादव––

मैं नीति की ही चर्चा करने जा रहा हूं। एक पत्र उन्होंने भेजा है कि सहकारिता के माध्यम से निर्धन और निम्न वर्ग के व्यक्तियों को किस प्रकार से सहायता की जाय, सहकारिता आन्दोलन में व्याप्त भ्रष्टाचार को किस प्रकार समाप्त किया जाय, सहकारी सुपरवाइजरों पर किस प्रकार नियन्त्रण रखा जाय, सहकारी ऋणों की विशेष रूप से वसूली के लिए कौन-कौन से कदम उठाये जायं, दुग्ध संगठनों में किस प्रकार सुधार किया जाय और सहकारिता आन्दोलन को किस प्रकार जनप्रिय बनाया जाय। एक पुस्तिका इन्होंने छपवाई है जिसमें शुरू-शुरू की लाइन है "हमारी सहकारिता या जनतांत्रिक समाजवाद के उत्थान में सहयोग।" इनका समाजवाद, आप की इनकी सहकारिता और भ्रष्टाचार, ये तीनों चीजें एक शब्द की पर्यायवाची हैं। सहकारिता बराबर कांग्रेसी शासन का भ्रष्टाचार और कांग्रेसी समाजवाद, ये तीनों एक ही चीज हैं। यह तीनों चीजें हैं।

कोआपरेटिव मूवमेंट का संचालन 8 संस्थाओं द्वारा हो रहा है। एक उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक, उतर प्रदेश कोआपरेटिव संघ, उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम आदि आदि। 8 संगठन हैं जो सहकारिता का मूवमेंट चला रहे हैं। इनकी किताबों में लिखा है कि सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है निर्बल लोगों की सहायता करना, गरीबों की ऋण से मुक्ति दिलाना, उनकी आर्थिक सहायता करना। विदेशों से कर्ज लेकर जिस तरह से आज हमारा देश कर्ज-खोर बन गया है, उसी तरह से सहकारिता विभाग ने कर्ज दे देकर लोगों को कर्ज से ऐसा जकड़ दिया है कि वे उससे निकल नहीं पा रहे हैं। उद्देश्य तो यह था कि सूद खोरों के चंगुल से गरीब किसान छूटे, पर एक सूद-खोर से उसका पीछा छूटा, दूसरे सूद-खोर के शिकन्जे में वह जकड़ गया जिस गरीब आदमी ने एक बार सहकारिता विभाग से कर्ज ले लिया, वह कभी उससे उद्धार नहीं हो पाया, बराबर ब्याज की रकम बढ़ती

[श्री कालीचरण यादव]

चली गयी। कर्जा बराबर बढ़ता गया। जो हमारा उद्देश्य था कि गरीब किसान को कर्ज से छुटकारा मिलेगा, सहकारिता विभाग द्वारा उसको कुछ सहायता मिलेगी, वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। मन्त्री जी ने भी कहा है कि खुद जो हम बांटते हैं वह गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है। वह कुछ लोगों की जेबों में जाता है। यह जो उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक है, इसमें जो महन्त लोग या दादा लोग अपना कब्जा जमाये बैठे हैं वही कुछ लाभ उठा पाते हैं, गरीब तो उस लाभ से वंचित रह जाता है। सहकारिता विभाग पर महन्त और दादा लोग ही हर वक्त छाए रहते हैं जिनका सम्बन्ध राजनीतिक दलों से और विशेष कर सत्ता पक्ष से रहता है।

भूमि विकास बैंक द्वारा ही जो गरीब किसान है उसको कोई लाभ नहीं मिल पाता। कुछ इने गिने लोगों को भी उसका लाभ होता है जिनकी पहुंच होती है। कहा गया कि गरीब किसानों के लिए भूमि विकास बैंक खोले गए हैं, मगर वास्तव में देखा जाए तो उनको कतई लाभ नहीं हुआ है। हर साल यह बात सामने आती है कि भूमि विकास बैंक द्वारा जो कर्ज मिलता है उसका 1/8 भाग तो वहीं पर मैनेजर आदि मिल कर किसी न किसी रूप में खा जाते हैं। बाकी पैसा जो जो मिलता है वह चाहे पम्पिंग सेट्स के लिए हो या अन्य किसी काम के लिए हो, वह नकद नहीं मिलता, उसमें भी एक शर्त लगा देते हैं। कहते हैं कि फला दुकान से खरीदनी है, हम उसी दुकान को चेक दे देंगे जिस दूकान से उनका सौदा तय होता है उस दुकान से उनको कुछ परसेंट कमीशन मिलता है। आप कहते हैं कि हम इसको खत्म करने की सोच रहे हैं। भले ही आप यहां यह बात स्वीकार कर लें लेकिन जो उनकी एक आदत पड़ गयी है, जो सम्पूर्ण विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वह कभी छूटेगी नहीं, वे कोई न कोई उपाय निकाल लेंगे, जैसे ट्रांसफर एन्ट्री वाला उपाय निकाल लिया है। मान लीजिए, किसी ने भूमि विकास बैंक से कर्जा ले लिया और उसने पम्पिंग सेट खरीद लिया और बोरिंग भी करा ली, लेकिन अब उसे कनेक्शन बिजली का नहीं मिलता है। बिजली का पम्प उसने ले लिया और कर्जे का सूद भी बढ़ रहा है लेकिन बिजली न मिलने की वजह से उसका पम्प बेकार है। उसे बेचना भी चाहे तो उसे कोई खरीदेगा नहीं, फिर आप निश्चय ही उसका खेत कर्जे में नीलाम करा लेंगे। और बाकी जो चीजें हैं, मैं आपको बतलाऊं कि बैंक है, फर्जी लोन लेने की बात आपने स्वीकार की। फर्जी लोन इस तरह से कि काश्तकार से दस्तखत करा लिया गया, उसने लोन लिया नहीं, उसका नाम खाते के नीचे चढ़ा दिया गया। बेचारे के पास जब वसूली जाती है तब वह जानता है कि हमारे जिम्मे इतना रुपया बाकी है। काश्तकार ने पैसा लिया, जिसे उसने अदा कर दिया लेकिन रसीद नहीं ली क्योंकि सरपंच, खजांची, सुपरवाइजर आदि, सब वहीं के रहते हैं, उसे कागज पर चढ़ाया नहीं, जब वसूली गयी तब जानता है कि हमसे वसूली होनी है।

जहां तक कर्जा देने की बात है, गरीब आदमी को मामूली नाम-मात्र का कर्जा मिलता है। आपने रिपोर्ट में दिखलाया है कि इतना कर्जा बांटा गया, लेकिन उस कर्जे में से कितने परसेंट वसूल होता है कितना वापस पाते हैं? आपने भी स्वीकार किया है कि इस प्रकार जो कर्जा बांटा गया है, उनमें से अधिकांश धनी लोगों के ऊपर ही बाकी है, गरीब लोगों के पास बाकी नहीं है। उसके पहले एक योजना बनी थी कि चेक सिस्टम लागू किया जाय, इसमें ट्रांसफर एन्ट्री की गुंजायश नहीं है। लेकिन जब पूरा विभाग, लखनऊ और जिले की छोटी सहकारी समितियां एक बनी हुई हैं, जब सचिवालय के सब विभाग एक बने हुए हैं, जब ऊपर के मन्त्री स्तर से नीचे के मन्त्री स्तर तक सब एक बने हुए हैं तो यह सवाल ही नहीं हो सकता कि किस तरह से उसको रोका जा सकेगा, किस तरह से उसे मना किया जा सकेगा। ट्रांसफर एन्ट्री का जहां तक सवाल है जैसा पहले होता था, वैसा ही आज भी हो रहा है। किसी गरीब आदमी ने हजार रुपया ले लिया या 500 रुपए ले लिया। उसका सूद बराबर देता जाता है, ट्रांसफर एन्ट्री होती है लेकिन समय से उसे कागज पर चढ़ाया नहीं जाता, वह उसके नाम में दाखिल होता रहता है जिससे कर्जा बढ़ता जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा––मैं दादागीरी के कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। जो दादागीरी करते हैं, जो महाजन गीरी करते हैं या जो सहकारिता विभाग में कुंडली मार कर बैठ गए हैं उनके लिए कोई कानून बनाना चाहिए। क्योंकि वे हर समय किसी न किसी संस्था में बने रहते हैं जैसे दो साल तक पी0 सी0 यू0 में रहें, वहां से निकले तो पी0 सी0 ओ0 में गए और इस तरह से इसमें से उसमें, उसमे से इसमें कुछ ही लोग बराबर बने रहते हैं। एक तरह से पूरे प्रदेश के ऊपर इन्होंने कब्जा जमा लिया है। आप उनको खत्म करने की बात तो कहते हैं लेकिन किस तरह से आप उनको खत्म कर पायेंगे मैं एक उदाहरण दादागीरी का दूं। एक उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन है। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी इलाहाबाद के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री कृष्ण कुमार जी यह भी इलाहाबाद के रहने वाले हैं। गांव सभा के सदस्य का चुनाव लड़े हैं और सदस्यता के चुनाव में यह हार गए सभापति के चुनाव में नहीं, ग्राम सभा की सदस्यता के चुनाव में यह हार गए इनकी लिखाई पढ़ाई के बारे में लोग कहते हैं कि यह जीरो हैं ? मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन कहना पड़ रहा है। उनको उपाधि मिली है, 'गुण्डा और बदमाश' की।

एक सदस्य––

कहां मे मिली है ?

(हंसी)

श्री कालीचरण यादव––

जहां के रहने वाले हैं वहां से मिली है। और यह हमारे मुख्य मन्त्री जी के चहेते हैं। दोनों आदमी। इनको संस्थाओं का अध्यक्ष बना दिया गया है। और आप कहते हैं कि विभाग में भ्रष्टाचार न हो। कैसे भ्रष्टाचार नहीं होगा। कैसे गरीब को पैसा मिलेगा ?

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)––

मान्यवर, आप एक व्यवस्था दें। जो लोग यहां पर उपस्थित होकर अपना उत्तर नहीं दे सकते हैं। उनका नाम लेकर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष––

यह सही है, लेकिन वह संस्थाओं के अध्यक्ष बनाए गए हैं इसलिये माननीय सदस्य नाम ले रहे हैं। माननीय सदस्य नए सदस्य ह।

(शोर)

श्री राम सुन्दर पांडेय––

तो मान्यवर, उनको भी सफाई देने का अवसर मिलना चाहिए।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष––

शांत रहे, माननीय वर्मा जी आप शांत रहें।

श्री कालीचरण यादव––

कोआपरेटिव बैंक का दूसरा उदाहरण मैं देवरिया जिले का दे रहा हूं। देवरिया जिले का कोआपरेटिव बैंक भंग कर दिया गया। भंग करके कोआपरेटिव विभाग में वहां एक अध्यक्ष मनोनीत किया था। हमारे माननीय परिवहन, न्याय श्रम मन्त्री श्री राजमंगल पांण्डेय जी की धर्म पत्नी जो एम0 एल0 सी0 हैं उनको अध्यक्ष

[श्री काली चरण यादव]

बनाया गया। मनोनीत किया गया। जो संचालक मंडल बनाया गया, उनके सहयोग के लिए उनमें से या तो डिफाल्टर हैं या चुनाव में हारे हुए लोग हैं। तो अगर आप इन संस्थानों में, कोआपरेटिव में ऐसे लोगों को जो चुनाव हारे हुए हैं, जिनमें चुनाव में जीतने की ताकत नहीं थी, ऐसे लोगों को इन जगहों पर बैठायेंगे, और चाहेंगे कि हमारे विभाग में भ्रष्टाचार न हो, सुधार हो तो मैं समझता हूं कि विभाग में सुधार नहीं हो सकता है।

दूसरी चीज कोआपरेटिव में जो सबसे गडबडी है वह है फर्जी सहकारी समितियों की। सहकारी समितियां नहीं हैं, केवल कागज पर हैं। आदमी नहीं है, कर्ज फर्जी समितियों के नाम से ले लिया गया है। जब आदमी नहीं है तो आप किससे कर्जे वसूल करेंगे। आपने देखा कि इलाहाबाद में एक सहकारी समिति बनी। नव भारत सहकारी समिति। इसकी पिछली बार चर्चा हुयी थी। जिसके सदस्य थे, श्रीमती कमला बहुगणा जो मुख्य मन्त्री जी की धर्म पत्नी हैं। श्री उमाशंकर दीक्षित थे। और बहुत से लोग थे। मान्यवर, इस समिति से एक पैसा भी कर्ज वसूल नहीं हो सका है। फर्जी समिति बनाकर उद्योग विभाग से कर्जा ले लिया गया। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। बाजरा कांड की जो बात आयी थी तो वह भी एक सहकारी समिति थी। फर्जी समिति बनाकर इतना बड़ा घपला 'बाजरा कांड' किया गया जिसमें बड़े-बड़े लोग शामिल थे। यहां के लोग थे।

दूसरा उदाहरण, कीटगंज इलाहाबाद में दियासलाई बनाने वाली एक समिति बनी थी। 2 लाख रुपया अभी बाकी है। इसमें भी कमला बहुगणा जी थीं। प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी इस समिति में हैं। इसके बाद एक हरिश्चन्द्र जी जो रिटायर्ड अफसर हैं। इस समिति में रहे हैं इस पर 2 लाख रुपया बाकी है। तो जिसमें मुख्य मन्त्री जी सम्बन्धित हों। आपके मन्त्रि-मन्डल के मन्त्री सम्बन्धित हों, जिस हिन्दुस्तान की प्रधान मन्त्री सम्बन्धित हों और वह सहकारी समिति फर्जी संस्था हो तो स्थिति क्या होगी। फिर आप कहेंगे कि इसको वसूल होने का उपाय बताइए। इसको वसूल किया जाय, हम क्या बतायेंगे। नतीजा यह है कि आपका नारा था हरित क्रान्ति का, खेत क्रान्ति का, बड़े लुभावने नारे थे गरीब किसान बढ़ेंगे, आगे जायेंगे सहकारिता लेकिन यह हुआ नहीं और न होगा।

एक योजना लघु सिंचाई की चाल की नयी जिसका मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं जो कि पर्याप्त होगा। बलिया जिले में रसड़ा है उसका उदाहरण है। वहां योजना लागू है और जो अढ़ाई एकड़ के काश्तकार हैं उनके लिए योजना है। दूधारू पशु, गाय, भैंस और मुर्गी वालों के लिए व्यवस्था है कि जो अढ़ाई एकड़ के काश्तकार हैं उन्हें कर्जा दिया जाता है। रसड़ा में मेला लगता है तो यह नहीं है कि किसान कर्जा ले अपनी मनपसन्द पशु खरीद ले। जिले का प्रोजेक्ट अधिकारी, भूमि विकास बैंक का मैनेजर बी0 डी0 ओ0, कोआपरेटिव ए0 डी0 ओ0 यह सब लोग साथ में जाते हैं और खरिदवाते है। यदि एक हजार रुपए भैंस का दाम है तो यह लोग भैंस वाले से मिलकर 1500 रुपया की वह भैंस किसान को खरीदवाते हैं। 500 रुपया अधिक लेते हैं जो कि आपस में बांट लेते हैं। जो छूट मिलनी चाहिये किसान को वह भी यह लोग उसको नहीं देते हैं और किसान को तब पता लगता है जब उससे वसूली होती है। इस तरह का आपका कोआपरेटिव विभाग है।

श्री राम सुन्दर पांडेय--

मान्यवर, यह नीति की आलोचना करें।

श्री कालीचरण यादव--

यह नीति की ही बात है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से सारे विभाग में भ्रष्टाचार करके, सारा पैसा खाकर वह गरीब किसानों के पल्ले पड़ा है। मेरा सुझाव है कि कोआपरेटिव विभाग में सबसे पहले जो दादागीरी है उसको समाप्त किया जाय।

दूसरे भ रसक कोशिश यह की जाय कि इस विभाग को राजनीति से अलग रखा जाय तो अच्छा होगा। तभी यह किसानों के भले के लिए संस्था हो सकेगी। दूसरी चीज फर्जी कर्ज वाली जो संस्था है उसको भी खत्म करना चाहिये कि लेकिन उसको आप नहीं खत्म करेंगे क्योंकि वह आपकी जानकारी में संस्था बनाते हैं। आपने स्वीकार किया है कि सबसे ज्यादा बकाया बड़े लोगों के ऊपर है। उनको पता नहीं कैसे पैसा मिल जाता है। आपने दो मदें बना रखी हैं--एक मद बट्टा खाता के लिए है और दूसरी मद गरीब किसानों के लिए हैं। जो गरीब किसान नहीं कर्जा दे पाते हैं तो उनको आप जेल में बन्द करके कर्जा वसूल कर लेते हैं लेकिन बड़े लोगों की वसूली जब नहीं हो पाती है तो उसे बट्टा खाते में डाल देते हैं। कंर्जा दिया है उसकी वसूलयाबी नहीं हो पा रही है और उसको आप कागज में दिखाए चले जा रहे हैं। इस प्रकार यह सरकार दिवालिया होने वाली है। काजल की कोठरी में कितना ही स्याना व्यक्ति जाय तो उसको काजल अवश्य लगेगा।

अब मैं सुपरवाइजर कैडर की बात कहना चाहता हूं। किसी भी सुपरवाइजर को देख लें उसकी इतनी हैसियत है कि वह एक कलेक्टर से भी अच्छा रहता है। क्यों अच्छा रहता है? कारण यह है कि उस पर किसी का नियंत्रण नहीं, वह एकदम स्वतंत्र है। उसकी तनख्वाह कम है लेकिन वह खुदमुख्तार है और इसलिये सोचता है कि जितनी लूट-खसोट कर लें उतना ही अच्छा है। यह बराबर मांग रही है कि उनका सरकारीकरण कर दिया जाय, उनका एक कैडर बना दिया जाय जिससे कि उन पर नियंत्रण हो सके लेकिन आजतक इस पर गौर नहीं किया गया। मैं अपने जिले का एक उदाहरण बतलाता हूं। एक है विन्धवासनी उपाध्याय। उनके बड़े-बड़े गुन्डे पले हुए हैं। बनारस में उनकी दुकान चलती है कोआपरेटिव के पैसे से और जो पैसा उन्होंने कमाया है उससे। कोई उससे कुछ नहीं कह सकता। क्षेत्र के लोग भी उससे त्रस्त रहते हैं। मेरा सुझाव है कि इनका सरकारी नियंत्रण होना चाहिये। इसी प्रकार आपके कोआपरेटिव बैंक्स है लेकिन वहां की ऐसी व्यवस्था है कि लोगों को कोई सुविधा नहीं होती। यूनियन बैंक है, किसानों की अच्छी सेवा कर रहा है। कोआपरेटिव बैंक्स की व्यवस्था सही न होने का एक कारण यह है कि वहां पर जो नेता लोग है, मंत्री लोग हैं उनके भाई भतीजे, दामाद लोग भरे पड़े हैं। जब तक इन लोगों से छुटकारा नहीं दिलायेंगे बैंक ठीक नहीं चल सकेंगे। जैसी व्यवस्था यूनियन बैंक या स्टेट बैंक में है वही व्यवस्था कोआपरेटिव बैंक में होनी चाहिये। दूसरे जो अनुदान हैं उन पर भी थोड़ा सा बोलने का समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप एक चीज पर बार-बार कहते हैं। आपको बीस मिनट बोलना चाहिये था। और आपको आधा घंटा हो गया।

श्री कालीचरण यादव--

दुग्धशाला की बात है। 72/73 की जो महालेखाकार की रिपोर्ट है उससे एक उदाहरण सुनाये देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

पढ़िये नहीं। दो तीन मिनट में समाप्त करें।

श्री कालीचरण यादव--

सन् 67 से लेकर 73 तक दूध जो सप्लाई हुआ वह क्रमश: इस प्रकार है : 4.45 लाख लीटर, 3.16 लाख लीटर, 2.70 लाख लीटर, 2.06 लाख लीटर, 2.79 लाख लीटर, 2.22 लाख लीटर, 1.87 लाख लीटर। सप्लाई बराबर घटती गयी है। इसका कारण

[श्री काली चरण यादव]

यह कि कभी दूध फट गया, कभी बांटने की ठीक व्यवस्था नहीं रही, कभी दूध महंगा शुरू किया। यह हाल सिर्फ यहां का नहीं है, हर डेरी का है। जो हानि हुई वह 202.21 लाख रुपये की हुई।

अब रही पशुपालन की बात। यह बात सही है कि हमारे यहां पशुओं का विकास नहीं हुआ है। जितना अमेरिका, नीदरलैण्ड, डेनमार्क की गायें दूध देती हैं उसका 1/20 हिस्सा भी हमारी गायें दूध नहीं देती हैं। यह सही है कि हम अपनी जनता को दूध की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमने अपने पशुओं की नस्ल सुधारने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है और हम यह भी नहीं कर सकते कि विदेशों से अच्छे अच्छे पशुओं को यहां मंगायें। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि हर जिले में आप कृत्रिम गर्भाधान के केन्द्र बनावें तथा जहां पर अच्छे किस्म के सांड़ रखें। इससे वर्ण शंकर जाति के जो नस्ल पैदा होंगे उनसे काफी सुधार होगा। यह बहुत जरूरी है।

अन्त में मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। मंत्री जी पहले ही बता चुके हैं कि विभाग में भ्रष्टाचार है ऊपर से लेकर नीचे तक। मान्यवर, इलाहाबाद में एक बैरगिया नाला है वहां पर 3 ठग 9 पथिकों को लूटना चाहते थे। जब वह नाले के पास पहुंचे, नाले को देहाती भाषा में 'नारा' कहा जाता है, तो ठगों में से एक ठग ने कहा 'नारायण' 'नारायण'। दूसरे ठग ने कहा 'बांसदेव' 'बांसदेव' यानि डंडे से मारो। तो पहले मंत्री कोआपरेटिव के श्री कृष्णानन्द राय आये, फिर गोपीनाथ, फिर लक्ष्मीशंकर यादव और अब आप 'श्री नारायण' तो कहीं ऐसा न हो, मंत्री जी कि 'नारायण' और 'नारायण' कहकर जो कोआपरेटिव विभाग में रह गया है। वह बांसदेव कहकर सब कुछ लूट लें क्योंकि आप सीधे-सादे हैं, जैसा मालूम हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि आप मेरे प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

*श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोआपरेटिव विभाग का बजटपेश हुआ था तो पारसाल श्री मुलायम सिंह यादव ने कटौती का प्रस्ताव रखा था, तो उस समय मैंने कहा था कि श्री मुलायम सिंह जी को कोआपरेटिव का ज्ञान नहीं के बराबर है, लेकिन आज जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, तो श्री मलायम सिंह जी ने मालूम पड़ता है कि काफी मेहनत की है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव कटौती का रखा है उससे कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि क्या कहा। सबसे पहली बात यह है कि सहकारिता विभाग से गरीबों को कोई राहत नहीं मिली। मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूं, जो हिमालय की गोद में बसता है, बस्ती जिला और वह जिला तराई का इलाका है और बहुत ही गरीब जिला है पूरे उत्तर प्रदेश में। हमारे बचपन में ठगिया नाम का व्यक्ति आता था, यह व्यक्ति उसी प्रकार से था जिस प्रकार से रस्तोगी सदर्स होते हैं। वह लोगों को कर्जा देता था और 80 प्रतिशत सूद लेता था। जब वह गांव में आता था तो बड़े जोर की आवाज लगाता था जिसे सुनकर हम बाहर आते थे और कहते थे कि 'ठगिया' आ गया और वह खड़े-खड़े लोगों से पैसा वसूल करता था। आज हमारा वही जिला है जहां ठगिया का पता नहीं कि कहां चले गये और उसका सारा श्रेय सहकारिता विभाग को है। सारे गरीब किसानों को सहकारिता से कर्जा मिलना शुरू हो गया। जैसा अभी सरकार ने ऐलान किया है, कि एक एकड़ से कम वाले किसानों पर सारा कर्जा माफ कर दिया जायेगा, इससे बड़ी राहत मिली है। हमारे यहां नवगढ़ एक तहसील हेडक्वाटर भी है वहां पर आपको विश्वास नहीं होगा कि वहां का प्रशासन ठगिया का एजेन्ट है और इस तरह से वहां के लोग शिकंजे में हैं।

यादव जी ने यू0 पी0 सहकारी बैंक के बारे में बातें कहीं। यह बैंक जिला सहकारी बैंक्स को कर्जा देता है और जिला सहकारी बैंक सहकारी समितियों को कर्जा देते हैं। अ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुस्तिका देखें कि यू0 पी0 सहकारी बैंक ने क्या प्रगति की है ? ऐसी बात नहीं है कि सहकारिता खत्म हो रही है जो उसके खत्म होने की रट लगा रखी है। उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की कार्यभार पूंजी 1961 से 1974 तक चार गुनी हो गयी। जिस दिन से सहकारिता विभाग को प्लानिंग के साथ जोड़ दिया गया उस दिन से सहकारिता की प्रगति रुक गयी। प्लानिंग विभाग के बी0 डी0 ओ0 अथवा ए0 डी0 ओ0 कोआपरेटिव सुपरवाइजर्स से नसबन्दी का काम कराते हैं और कोआपरेटिव की वसूली का कार्य रुक जाता है। लिहाजा प्लानिंग को सहकारिता से अलग कर दिया जाय तभी सहकारिता की प्रगति हो सकेगी और वह आगे बढ़ सकेगी।

सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार की बातें कहीं जाती है। इसमें दो रायें नहीं हैं। जहां रुपए का लेन-देन है और जनता के प्रतिनिधि उन समितियों में हैं वही इस रुपए के बांटने व वसूली के काम को देखते हैं जिसमें गड़बड़ी होती है तो समाज में जिस तरह के लोग हैं वे हर जगह छाए हुए हैं। जहां तक नामिनेशन की बात है बी0 के0 डी0 को तो मौका नहीं मिला लेकिन जनसंघ को एक बार मौका मिला। जनसंघ को जब कोआपरेटिव मिनिस्ट्री मिली थी तो हर बैंक में जनसंघ के आदमी नामिनेट हो गए थे। उस समय गंगा भक्त सिंह मिनिस्टर थे।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यक्तिगत भाषण न दें।

श्री राज बहादुर चन्द—

मुझे क्षमा कीजिएगा। जनसंघ को जिस समय कोआपरेटिव मिनिस्ट्री मिली थी तो चौधरी साहब तथा जनसंघ में बड़ी नोंक झोंक हुई थी। जनसंघ ने कहा कि उसे कोआपरेटिव मिलनी चाहिए और वह उसे मिली।

एक दो सुझाव मैं देना चाहता हूं। अप्रैल, मई तथा जून का महीना कोआपरेटिव की वसूली का महीना होता है। उस समय जिलाधीश सहकारी सुपरवाइजर्स से गल्ले की वसूली कराते हैं और वह बेचारे गल्ले की खरीद फरोख्त में लग जाते हैं। इससे कोआपरेटिव के कार्य में बाधा पड़ती है। इस साल भी सरकार लेवी लगा रही है। अगर सुपरवाइजर्स को मुक्त नहीं रखा गया तो कोआपरेटिव का जो गरीब सेक्टर है वह लाभ नहीं उठा सकेगा और नतीजा यह होगा कि वसूली 40 परसेंट हो सकेगी तो गरीब किसान को लोन नहीं मिल सकेगा और समितियां सी क्लास में चली जायंगी। इस तरह से गरीबों को मदद मिल रही है वह नहीं मिल सकेगी। इसलिए मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इसमें रुचि लें और आदेश जारी करें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री राज बहादुर चन्द—

थोड़ा समय और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

दो मिनट ज्यादा दे दिए हैं।

श्री दल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कालीचरण जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सहकारिता विभाग निस्सहाय, निर्बल और कमजोर वर्ग के आदमियों को उठाने के लिए प्रारम्भ किया गया इसमें दो राय नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इस विभाग की और प्रदेश की सरकार की भी इच्छा थी कि कमजोर और निर्बल वर्ग के जो लोग हैं उनको ऊंचा उठाया जाय। परन्तु इस विभाग की सफलता असफलता में बदल गई। हमारे इस विभाग में जितनी गड़बड़ी हुई है उतनी अन्य विभागों में नहीं हुई है उसके 20 परसेंट भी नहीं हुई है। सोसाइटीज में हर साल गड़बड़ी दिखाई देती है। मैं अपने ही जिले की बात कहना चाहता हूं अपने ब्लाक की बात कहता हूं वहां पर 43 कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उसमें 41 डिफाल्टर हैं, मिर्जापुर ब्लाक शाहजहांपुर में जो सोसाइटीज हैं वह लोगों को कर्ज देती हैं। और चार पांच साल बाद डिफाल्टर हो जाती हैं उसके बाद दूसरी सोसाइटी बन जाती है। इन से सहायता जो है वह बड़े-बड़े लोगों को ही मिलती है जो होशियार आदमी होता है उन्हीं को पैसा मिलता है गरीब आदमी को नहीं मिलता है। और गरीब आदमियों को 100 रुपया दिया तो उससे 1000 रुपया वसूला जाता है। बड़े-बड़े आदिमयों पर करोड़ों रुपया बकाया है जो वसूल नहीं हो रहा है। इस मन्त्रिमन्डल में एक मन्त्री हैं जिन्होंने लगभग 25 हजार रुपया कोआपरेटिव सोसाइटी से लिया है वह अभी तक अदा नहीं हुआ। इसी तरह से जिनको मंत्रियों का या मुख्य मन्त्री का संरक्षण मिला है उनसे वसूल नहीं किया जा रहा है। उन्हीं लोगों से पैसा वसूल नहीं होता है जिनको सरकार का संरक्षण मिला हुआ है।

हमारे यहां शाहजहांपुर के डी0 सी0 डी0 एफ0 के एक सेक्रेटरी थे जो कांग्रेसी हैं इस समय जिला परिषद् के अध्यक्ष हैं उनके नाम लाखों रुपए का गबन का मामला है जो विधान सभा में भी उठाया गया था उसकी अभी तक जांच नहीं हुई है। मि0 डी0 एन0 सिंह कोआपरेटिव सोसाइटीज के इन्सपेक्टर थे उनकी किसी तरह से रहस्यमय मत्यु हुई, वहां पर छोटी-छोटी बातों में नागरवाला कांड हो जाता है। उस आदमी ने रिपोर्ट लिखाई थी। तो वह कांग्रेस दल के एम0 एल0 ए0 भी रहे हैं। श्री शिवकुमार जी के बारे में श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह ने मामला उठाया था लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और वह दबा दिया गया अगर विजिलेंस से इन्क्वायरी कराई जाय तो एक लाख रुपए के ऊपर का घोटाला निकलेगा अगर ऐसा न हो तो मुझे जो भी सजा चाहें दी जाय। मुझे पूर्ण जानकारी है किस प्रकार डी0 एन0 सिंह जी की रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई जिसकी आज तक जांच नहीं कराई गई।

उपाध्यक्ष जी, सुपरवाइजर के सुधार के बारे में कहता हूं। मन्त्री जी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं उनके पास यह नया विभाग आया है तो मैं कहूंगा कि जितने भी सुपरवाइजर हैं उनको 20–20 साल हो गए हैं एक स्थान पर रहते हुए लेकिन उनका ट्रान्सफर नहीं होता है। हमारे यहां एक वीरेन्द्र शर्मा हैं। 100 बीघा जमीन उन्होंने खरीद रखी है इस तरह से 4 गांवों में उन्होंने जमीन ली है। वह कांठ ब्लाक में सुपरवाइजर हैं। कांठ कद डंगा नगर, हरीपुर एवं इन्द्रपुर में जमीन उन्होंने खरीद ली है। इसी प्रकार एक सुपरवाइजर श्री महाबीर चौहान, पुवायां में हैं, उन्होंने क्रैशर लगा रखा है। तो आपको अपने सुपरवाइजरों पर कोई नियन्त्रण नहीं है, उसका नतीजा यह है कि सुपरवाइजर लोग एक ही स्थान पर 15-15-16-16 साल से रुके हुए हैं। लैन्ड डेवलपमेंट बैंक से जो कर्जा किसानों को मिलता है, उसमें किसानों को चेक दिए जाते हैं कि अमुक फर्म से पम्पिग सेट खरीदो। जिसमें उन्हें 31 सौ का जो बाजार में पम्पिग सेट मिलता है, वह 41 सौ और 42 सौ में मिलता है। उनकी गरीबी और लाचारी का फायदा लैण्ड डेवलपमेंट बैंक के मैनेजर उठाते हैं। इस तरह से एक एक पम्पिग सेट पर वे लोग हजार-हजार रुपए का बेजा फायदा उठाते हैं। ऐसा ही

एक केस मेरे सामने आया तो मैंने जिलाधीश को लिखा। इस पर उन्होंने कार्यवाही की और उन्होंने मैनेजर को बुलाकर डांटा और उसको फिर कम दामों पर मिला। अब एक आदमी या कुछ आदमी तो इस तरह की दौड़ कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश आदमियों को यह सुविधा नहीं हो सकती है, उन्हें मैनेजर लोग ठगते रहते हैं। इस व्यवस्था में होना यह चाहिए कि उनको सीधा एक चेक दी जाय और उसमें यह लिखा जाय कि इस अवधि के अन्दर आप अवश्य खरीद लो, नहीं खरीदोगे तो लम्पसम में यह रुपया तुमसे वसूल लिया जाएगा यह गड़बड़ सारे प्रदेश में है और उसमें लोग परेशान हैं। कई बार इसको शासन के सामने रखा गया है, लेकिन अभी तक किसी तरह का उसमें सुधार नहीं हो पाया है। सभी जनता परेशान है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से एक लघु कृषक विकास योजना चली है। उसमें कुछ जिले लिए गए हैं। हमारा जिला शाहजहांपुर भी उसमें लिया गया है। मेरे जिले में दो ऐसे ब्लाक्स–मिर्जापुर और कलान हैं, जो कि घोर सैलाबी ब्लाक्स हैं। वहां पर किसानों की हालत बहुत खराब है। आप उस योजना में इन दो ब्लाकों को लें, तो मैं मन्त्री जी का बड़ा आभारी रहूंगा। (लाल बत्ती होने पर) मुझे केवल दो मिनट समय और चाहिए ....

श्री उपाध्यक्ष––

मैं यदि व्यवस्था तोड़ दूंगा तो मेरे सामने दिक्कत आ जाएगी।

श्री दलसिंह यादव––

आप मुझे समय दे दीजिए मेरे दल का एक आदमी है भी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष––

इस तरह से दल के सदस्य परस्पर एक दूसरे को समय देने लगें तो काम नहीं चलेगा। अच्छा आप जल्दी करें।

श्री दलसिंह यादव––

श्रीमन्, पशु और कृषि का सीधा और घनिष्ठ सम्बन्ध है। हमारे प्रदेश में पशुओं के विकास के लिए जो सभी लोग दुहाई देते हैं, मैं उसके सम्बन्ध में कुछ तथ्य सदन के सामने रखना चाहता हूं जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि इस दावे में कितनी सच्चाई है हमारा कृषि और गोवंश का अटूट सम्बन्ध है, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। तो आप गोवंश के सम्बन्ध में इस सच्चाई को तीन वर्ष से नीचे के मादा बच्चों की संख्या से इसे देखें। 1951 में 3 वर्ष से नीचे मादा बच्चों की संख्या 27.48 लाख थी, 61 में 30.93 लाख हुई और सन् 1972 में यह संख्या घटकर 27.61 लाख हो गई।

श्री उपाध्यक्ष––

यह तो आंकड़े सरकार के पास हैं, यह आप क्यों कह रहे हैं?

श्री दल सिंह यादव––

तो इन उपयोगी पशुओं की संख्या घटी है और गदहों की संख्या बढ़ी है। 1956 में इनकी संख्या .88 लाख थी, जो सन् 1972 में बढ़कर .97 लाख हो गई। इससे स्पष्ट है कि सरकार की दृष्टि में गदहों का ज्यादा महत्व है अपेक्षाकृत गोवंश की महत्ता के। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए और सहकारिता विभाग की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस वक्त सहकारिता एक तोप के सामने खड़ा हो रहा है, चारों ओर से उसके ऊपर इलजाम हैं। लेकिन जी करता है इस तस्वीर की, जो अपनी सुन्दरता अपने आप बयान करती है, पूजा करूं। महानता और परस्पर-बल और सहयोग की यह तस्वीर हमें सन् 1904 में मिली 1912 में जो कर अधिनियमों के अनुसार इसने आर्थिक जीवन के अन्दर अपना पदार्पण किया। क्या शान है इसकी। इसने लक्ष्मी का रूप ले कर निर्धन को, निर्बल को, किसान को, रिक्शा पुलर को, हमारे हर वर्ग को, हर प्राणी को इसने छाती से लगाया, शक्ति दी। उस शक्ति देने के साथ जो खानें वाले हैं उनको मदद दी, जो उत्पादन करने वाले हैं उनको मदद दी। कौनसा ऐसा क्षेत्र है जिसमें इसने अपना हिस्सा नहीं भरा। (व्यवधान) मैं बिना कोई शिकायत के अपने विचार देना चाहता हूं हाउस को। उसमें कोई कटुता नहीं है। मेरे विचार सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। कोरम का अभाव है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुन: आरम्भ हुई।)

श्री अजीत सिंह सेठी—

श्रीमन्, मैं यह विचार रख रहा था कि ऐसा कोई समाज का अंग नहीं जिसमें इसने पदार्पण नहीं किया। इस सहकारिता के विषय में जिसने मानव जाति के अन्दर कार्य शुरू किया, उसके ऊपर हाउस में आलोचना आना स्वाभाविक है। पर उस आलोचना की तह में जो चीज है उसको मैं दो शब्दों में पेश कर दूं। प्रथम शब्द है, हमारी नौकरशाही की कशमकश। दूसरा शब्द है, हमारी शक्तियों का अधिक बांट। हमने इतनी अधिक शक्तियां बांट दी हैं जिनके आधार पर समस्या खड़ी हो गई है। मेरा अर्ज करना है कि मेरे वह साथी जिनका भूतकाल से अभी दिमाग जुड़ा हुआ है, वह सोचते हैं कि मिनिस्टर क्यों नहीं आर्डर दे देता है अपने कर्मचारियों को कि आपके पास कोई भ्रष्टचार न हो। वह सहकारिता जैसी रानी को मानव जाति के लिए संवार कर, कम्प्लीट बना कर, क्यों नहीं रख देते हैं। लेकिन भूल जाते हैं कि मिनिस्टर भी, मन्त्री भी एक उस यूनिवर्सिटी के चांसलर या कारपोरेशन के प्रबन्धक की तरह अपने कर्मचारियों के सवालों का जवाब देता है। और वह मामूली कर्मचारी अपने फैसलों को इतने शानदार तरीके से लिखता है क्योंकि वह जानता है मिनिस्टर की कमजोरियों को और वह मिनिस्टर को भी बांधे रखता है। तो ऐसी अवस्था में जो हालत कर्मचारियों की होती है, मिनिस्टर को उसको सम्भाल कर चलना पड़ता है। ब्रिटेन में ब्रिग्टन एक वकील हुआ है। उसने अंग्रेज राजाओं की कुछ मजबूरियां देखीं और यह महसूस किया कि इन राजाओं को वसीयत करने के लिये कचहरी की ताकत चाहिए। कुछ ताकत राजाओं को मिली लेकिन ब्रिग्टन ने कहा कि जो व्यक्ति किसी को शक्ति देता है वह मालिक भी होता है। तो दो रूप में है उस शक्ति के और किसी व्यक्ति की शख्सियत का अन्दाजा उसके साथी, उसके अधिकारी, उसके अनुयायी उसके विरोधियों के अन्दर से निकलने के बाद जो उसकी लाइन निकलती है उससे ही हो सकता है। (लाल बत्ती जलने पर)।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जल्दी से समाप्त करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजीत सिंह सेठी––

अब मैं अपने विचार रखना चाहता था लेकिन इस रेड लाइट की तोप के सामने खड़े होकर मैं अपने विचार नहीं रख पाऊंगा। इसलिए कुछ सुझाव ही देता हूं।

एक तो मेरा कहना है कि इस सहकारिता को सेहतमन्द करने के लिये इसको सही रूप बेने के लिए हमे यह देखना होगा कि हमारा जो 75 फीसदी समाज का हिस्सा है उसके अन्दर यह इतना फैल चुका है कि यह गन्दला पानी सा बन गया है। हमें इस गन्दले पानी को साफ करना है और ऐसा पानी इसमें लाना है गंगोत्री की तरह पवित्र पानी इसको देना है जो हम दे सकते हैं, इसके लिए मेरा सुझाव है कि इसको केन्द्रित करें। यह इतना फैल चुका है कि गली-गली में, देहात-देहात में कि लखनऊ से संदेश और आदेश वहां तक पहुंचने में समय लगता है और वहां तक पहुंचते-पहुंचते इन आदेशों और सन्देशों का विचार ही खत्म हो जाता है? तो इसको केन्द्रित करके डिस्ट्रिक्ट लेविल पर कर दें।

इसके साथ मैं समझता हूं कि सहकारिता के सारे आन्दोलन को समेट कर सिर्फ एक आन्दोलन को पकड़ ले। जैसे दूध की बात मेरे साथी ने कही थी। दूध का ही काम लें ले और दूध की नदियां बहा दें लेकिन इसको चारों तरफ जो फैला दिया गया है सहकारिता को तो वह हम नहीं कर पावेंगे।

तीसरे ऋण देने की पालिसी की बात है, उसमें भी सुधार हो सकता है। जैसे 1 लाख रुपया वितरण करना है तो हमको यह देखना चाहिए कि जो हम वितरण कर रहें हैं वह सही कर रहे हैं या नहीं। जो हम यहां बोलते हैं उसके बारें में हमें सोचना है कि यह भी एक यूजफुल एक्सपेंडीचर है तो हमें सोचना चाहिए क्या हम उस खर्चे का सही वितरण करते हैं। हम दूसरों को दोषी बनाते हैं लेकिन हमें भी देखना चाहिए कि हम क्या कर रहें हैं। तो हमें इसी तरह से ऋण देने वाली पालिसी के अन्दर भी कुछ तरमीम करना जरूरी होगा। हम पंचायतों में या कहीं भी जहां जिस एजेंसी से उसको बांटे लेकिन उसका इन्दराज होकर होना चाहिए, पास बुक के अन्दर उसकी एन्ट्री होनी चाहियें।

श्री उपाध्यक्ष––

अब आप समाप्त करें।

श्री अजीत सिंह सेठी––

चौथी बात यह है कि हमारे आफिसर्स ज्यादातर एक्जीक्यूटिव राइट्स को लिए बैठे रहते हैं। उसके लिए कम्प्लेन्ट्स सेल बननी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे सहकारिता अनुदान पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके द्वारा अपने नए मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने कलमदान सम्भाला है और हालात और पैचीदगियां उनके नजर में आ चुकी होंगी और उसकी रोशनी में हम उनसे तवक्कुह रखते हैं कि वह सफलता पूर्वक अपने फर्ज को अन्जाम देंगे। हम सब जानते हैं कि जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल था कि इस देश का विकास किस तरह से हो, किसानों की गुरबत को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ श्री जफर आजमी ]

कैसे दूर किया जाय, किसानों को महाजन की लूट से कैसे बचाया जाय ? इस तरह के जीवन के हर क्षेत्र में पंच वर्षीय योजनाओं के जरिए मुल्क के नेताओं ने देश के विकास काम शुरू किए।

कोआपरेटिव एक बेहतरीन चीज है और यह यूरोपीय देशों में, सोवियत यूनियन में, हालेड और स्विटजरलैन्ड में बहुत ज्यादा पौपूलर है। वहां हर रोज चुनाव होते रहते हैं। वहां इस पर अवाम का यकीन है। इसी के साथ हमारे देश में भी कोआपरेटिव का आन्दोलन चला लेकिन बदकिस्मती यह हुई कि जब आन्दोलन चला तो इसके दो जानी दुश्मन थे। एक तो वे महाजन जो गांवों में किसानों को कर्जा देते हैं या दूसरे वह दुश्मन थे जो ईमानदारी से कोआपरेटिव में यकीन नहीं रखते थे। इन दोनों ने मिल कर इसको नाकामयाब बनाने की भरसक कोशिश की और उनको कामयाबी हासिल हुई।

जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है वह पूंजीवादी व्यवस्था है। जब तक पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जा सकता है चाहे हाउस में लाखों बार आवाज बुलन्द क्यों न कर लें ? पूंजीवाद इसकी जननी है। इसको इससे अलग नहीं किया जा सकता है। हां पैबन्द लगाते रहिए, कड़े कदम उठाते रहिए। लेकिन इससे छुटकारा तभी मिलेगा जब गैर पूंजीवादी रास्ते पर हमारी योजनायें चलेंगी।

मैं एक दो सुझाव देना चाहता हूं। कोआपरेटिव जहां तक एक अच्छी चीज है वहा इसको बुरी चीज इसलिए किया गया जिनको इसमें यकीन नहीं है उन्होंने इसको नाकामयाब बनाने में काफी कोशिश की। हमारे पड़ोस में एक चीनी सहकारिता मिल है उसने बहुत फायदा करके दिखाया है। सोसाइटियों की वसूली की हालत यह है कि रुपया किसी ने लिया है और चढ़ा किसी और के नाम में है। इसमें सुपरवाइजर ने गलती की है या जाहिल पंचों के कारण गड़बड़ी हुई है ? जिन लोगों को कर्जा दिया गया है उसका सही पता लगाया जाय। ऐसे बहुत से लेने वाले हैं जो पैसा नहीं दे सकते हैं तो सरकार को यह चाहिए कि यह कर दे कि इतने दिनों में जो लोग अपना कर्जा अदा कर देंगे उनको सूद में छूट दी जाएगी तो लोगों को काफी राहत मिल जाएगी और गवर्नमेंट का पैसा भी वसूल हो जाएगा।

जहां तक पशुपालन का सवाल है हमारे देश को इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है बछड़ा हो, बैल हो, हमारी गायें हों, हमारी भैंसें हों, इसके लिये जैसे अपने तमाम केन्द्रों पर जहां से हम अच्छी नस्ल के जानवर दे सकें, अच्छी नस्ल के सांड़ अच्छी नस्ल के भैंसें, जो हमारे कृषि के काम में आ सकें जिससे हम दूध, मक्खन आदि पैदा कर सकें, जाहिर है कि हमारा देश जब कृषि का देश है, तो इसमें जब अच्छी नस्ल के जानवर होंगे, तो हम कृषि का काम अच्छी तरह से चला सकेंगे और इस तरह से हम अच्छी तरह से गल्ला भी पैदा करके अपनी जनता को दे सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं समर्थन करता हूं।

(कई सदस्य, आप किसका समर्थन करते हैं ? )

*श्री जय नारायण सिंह (जिला फतेहपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं आपने जो मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं प्रस्तुत बजट का अनुमोदन करने केलिये खड़ा हुआ हूं। सहकारिता आंदोलन ही एक ऐसा आन्दोलन है जिसके माध्यम से हम गरीबों को उठा सकते हैं और देश में समाजवाद ला सकते हैं। अगर आज देश में गरीबों को उठाने की आस्था है, तो हमें समाजवाद देश में लाना होगा। मान्यवर, सहकारिता आन्दोलन जैसा कि हमारे पूर्व

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वक्ताओं ने बताया केवल ऋण प्रणाली को लेकर प्रारम्भ किया गया था, लेकिन आज सहकारिता आन्दोलन जीवन के हर क्षेत्रों में व्यापक रूप धारण कर चुका है। आज सहकारिता की 36,000 समितियां हैं। आज सहकारिता के माध्यम से 6 अरबके ऊपर का कर्जा बांटा जाता है। तो इतनी बड़ी व्यवस्था में अगर कहीं एक थोड़ी सी खराबी है तो उससे यह नहीं कह सकते कि सहकारिता आन्दोलन खराब है। वैसे तो यह पहले था कि कोई कर्जा लेता था या नहीं लेता था, लेकिन उसके नाम से कर्जा आ जाता था परन्तु जब से चेक प्रणाली हो गई, वह प्रणाली करीब-करीब दूर हो गई है। अब जो खराबियां इस सहकारिता आन्दोलन में हैं, भ्रष्टाचार की नहीं हैं,लेकिन मशीनरी के खरीदने में या दुधारू पशुओं के खरीदने में खराबियां हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि व्यापक भ्रष्टाचार इसमें है। मैं स्वयं फतेहपुर जनपद की सहकारिता आदोलन का सेवक हूं। मुझे अच्छी तरह से जानकारी है कि यदि कोई भैंस वगैरह खरीदता है, तो उसे हर भैंस पर चौथाई छूट मिलती है, लेकिन वह छूट जो मिलती है, उसको सहकारिता के लोग बांट लेते हैं। उस पर मैंने एतराज किया, जिससे लोगों में बड़ी राहत मिली। अगर किसी को इंजन लेना होता था, और 3 हजार का इंजन है तो उसको 4 हजार में खरीदना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें भी काश्तकारों को छूट मिलनी चाहिये। यह स्वतंत्रता अगर हो जायगी तो यह जो बड़ी भारी शिकायत की जाती है वह भी दूर हो जायगी।

मान्यवर, यह बात सही है कि सहकारिता विभाग के सुपरवाइजर्स आज बिलकुल बेनकाब हो रहे हैं। पहले पी0 सी0 यू0 पर्यवेक्षकों का नियंत्रण करता था। वह भी खत्म हो गया है। कहीं जिला बैंक है और कहीं समितियां है और एक सुपरवाइजर 12-15 साल से एक ही जगह पर मौजूद रहता है। इसलिये आप एक कैडर बनावे जो सभी सुपरवाइजरों पर लागू हो। कहा जाता है कि इसमें धन लगेगा। आज भी पी0 सी0 एफ0 के पास इतनी आमदनी है कि वह इनका स्वयं इन्तजाम कर रहा है। पी0 सी0 यू0 के माध्यम से पर्यवेक्षकों का इन्तजाम हुआ करता था। अब यह सब जितनी पुरानी बाते हैं इनको समाप्त करके हर समिति को यह अधिकार दे दिया गया है कि अपना पर्यवेक्षक रखे। इसका फल यह हुआ है कि आज एक-एक सुपरवाइजर 12-12 साल से एक ही जगह पर पड़ा हुआ है। यह आन्दोलन बिना शिक्षा के नहीं बढ़ा पायेगा। इसमें जो भ्रष्टाचार है वह नासमझी के कारण है। हमारे काश्तकारों को इतना ज्ञान नहीं है या उनकी इतनी योग्यता नहीं है कि वह कर्ज ले सकें। शिक्षा की ओर हमारी सरकार कोई पैसा नहीं खर्च करती है। एक साहब ने कहा कि काश्तकार जो एक बार ऋण ले लेता है उसको फिर मुक्ति नहीं मिलती है। यह गलत है। चेक प्रणाली से रुपया मिलता है। थोड़ा बहुत जो गड़बड़ होता है वह उसी के मन से होता है, लेकिन अब वह बात नहीं है। बगैर कर्जा लिए और बिना समितियां बनाये हुए कैसे देश का उद्धार हो सकता है? धन्यवाद

*श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे देश में सहकारिता आन्दोलन के सम्बन्ध मे 2 बाते बहुत महत्व की हैं। एक तो बहुत पहले यह विवाद चला था कि सहकारी संस्थाओं में सरकारी इन्टरफियरेन्स नहीं होना चाहिये। बड़ी घोषणायें हुईं। फिर यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिव प्रसाद]

तय हुआ कि इनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाये और सरकारी इन्टरफियरेंस बहुत कम रहे, तभी यह काम कर सकती हैं। जो भी भ्रष्टाचार दिखायी पड़ता है वह सरकारी इन्टरफियरेंस के कारण है। जब सरकारी इन्टरफियरेंस कम होगा तो ये संस्थायें स्वतंत्र होगी। इनको लोकतांत्रिक होना चाहिये। लेकिन वह स्वतंत्र नहीं बन सकी।

प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज हैं। वहां पर आप देखें कि निजी स्तर पर जो कर्मचारी होता है वह ग्रुप एकाउन्टेंट है उसके बाद सुपरवाइजर, ए0 डी0 ओ0 और ए0 आर0 होता है। जो क्रेडिट एकाउन्टेन्ट होता है वह सब कुछ होता है और वही सब काम करता है इस तरह से जो कुछ वह चाहता है वहीं पास करा लेता है। जो सभापति होता है, खजान्ची होता है, उनके जो अधिकार हैं, वहां पर जो कमेटी होती है,—उसमें वे लोकतांत्रिक ढंग से अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जो सुपरवाइजर चाहेगा, वह ही प्रस्ताव पास होगा। जब ग्रुप एकाउन्टेन्ट और सुपरवाइजर की चलेगी तो जो उनका स्वभाव है, जैसा है, उनका प्रभाव उसमें बना रहेगा जिसके कारण अनेक प्रकार के संकट वहां बने रहते हैं। हमारी सहकारी समितियां जो हैं, उनका स्वरूप बिलकुल लोकतांत्रिक है, उनका स्वतंत्र अस्तित्व है, उसमें मत देने का अधिकार है, प्रस्ताव करने का अधिकार है लेकिन वहां पर सभापति आदि को अपने अधिकार का प्रयोग करने का मौका ही नहीं मिलता है बल्कि सरकारी कर्मचारियों की सांठ गांठ से सारा काम होता है जिससे इनका जो उद्देश्य है वह ही विफल हो जाता है।

इस विभाग में जो सुपरवाइजर हैं वे समझते हैं कि हमारी ड्यूटी तो केवल निरीक्षण करनी है, वे कागजों पर केवल दस्तखत करते हैं हालांकि उसकी ड्यूटी चार्ट में यह बात नहीं है। जबभी सोसाइटी में गबन होता है तो सुपरवाइजर पकड़ में नहीं आता है, उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। वह साफ बच जाता है जबकि उसका एक अच्छा खासा हिस्सा होता है। तो इस तरह से इस सिस्टम में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उस पर उसका उत्तरदायित्व डाला जाय। जब वह उसको देखता है तो हर जगह उसका उत्तरदायित्व भी उसके ऊपर रहे। हमारा लक्ष्य था कि हम गांवों में किसानों को खाद, बीज देंगे लेकिन वह पूरा नहीं हो पाया है। आज आप देखेंगे कि जितने परिवार हैं किसानों के, उनमें से हर परिवार कोआपरेटिव सोसाइटीज से सम्बद्ध नहीं हुआ है। इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई है। आज किसी भी गांव में मंत्री जी चलकर देखें, 10 गांवों में चलें और देखेंकि उनको क्या-क्या सुविधा मिली है। तो जो हमारा एचीवमेंट था, वह बहुत कम है। आज हम अपने कृषक परिवारों को इन कोआपरेटिव सोसाइटीज से नहीं जोड़ सके। इस दिशा में जो प्रगति हुई है उसमें 10–20 मैम्बर बढ़ जाते हैं, मेम्बरशिप बढ़ जाती है लेकिन वास्तविकता नहीं है।

सहकारिता विभाग से सम्बन्धित जो पुस्तिका है इसके पृष्ठ 31 पर दिया गया है कि हमारे सरकारी विभाग में जो पुलिस सैल कायम हुआ है, उसके बारे में लिखा गया है कि इतने-इतने मामले इस समय इन्वेस्टीगेशन में हैं जिनमें कुल 4,913 मामले 3 साल के हैं। इनमें से कितने गबन के मामले हैं, इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है। कितने भ्रष्टाचार के मामले हैं, इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है। इसमें यह भी लिखा है कि मामले में चार्ज शीट भेजने की गति अभी सन्तोषजनक नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि अभिलेख अंगुल छाप शाखा में विशेषज्ञ की राय हेतु भेजे जाते हैं जिसकी वजह से तफतीश नहीं हो पा रही है। अंगूठे या तो गरीब लगाते हैं या अनपढ़ लगाते हैं। ये सारे गबन के मामले हैं जिनमें अंगुल छाप विशेषज्ञ के यहां पर देर होती है। मालूम होता है कि इसमें 6 करोड़ 20 लाख, 67 हजार 627 रुपये के गबन के मामले हैं। क्या उन अंगूठे लगाने वालों ने ही सारा गबन किया है जिनके यहां पर देर होने की वजह से तफतीश नहीं हो पा

रही है ? ऐसा बता कर सदन को गुमराह किया गया है। जो बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं वे इस भ्रष्टाचार में नहीं हैं, अंगुल छाप वाले लोग ही हैं। मैं समझता हूं यह गरीबों पर एक लांछन है, एक निरर्थक दोष है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के लक्ष्यों के विषय में माननीय मंत्रीजी ने और माननीय सदस्य, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, काफी विस्तार से कहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि सहकारिता आन्दोलन उस निर्बल वर्ग के लिये है जिसका महाजन लोग सैकड़ों वर्षों से शोषण कर रहे थे। सौ–सौ रुपये दे कर हजारों के कागज लिखवाते थे। इस शोषण को दूर करने के लिये एक नये उत्साह से सहकारिता का आन्दोलन चलाया गया और उस निर्बल वर्ग ने विश्वास के साथ उसमें हिस्सा लिया। परन्तु बदले में उसको मिला क्या ? मिला यह कि वे किसान भाई जिन्होंने सहकारी भंडार की शक्ल तक नहीं देखी उनके नाम खाद व बीज की फरजी खरीद दिखाकर कागज तैयार किये गये और उस गरीब को पहली बार उनको तब मालम होता है जब उनके पास अमीन वसूली करने के लिये जाता है। दूसरे सहकारिता के जो कानून बनाये गये सब के सब कोआपरेटिव के अधिकारियों ने ड्राफ्ट किये अपनी निजी स्वार्थ सिद्धि के लिये, उसमें आर्बिट्रेटर की व्यवस्था रखी गयी। और कौन आर्बिट्रेटर होगा ? वही भ्रष्ट अधिकारी जिसके माध्यम से वे सब फर्जी कागज तैयार किये गये। उसकी पहली कड़ी ए0 डी0 ओ0 कोआपरेटिव है जो ब्लाक स्तर पर रहता है। जिन किसान, मजदूरों के ऊपर वह फर्जी कर्जा दिखाया गया है क्या कभी उनको अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है ? तमाम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पूर्ण होने के बाद उनको पता चलता है। उसकी अपील ए0 आर0 के यहां होती है। वह खुद इस विभाग का अधिकारी है क्या आशा की जा सकती है न्याय की ? क्या माननीय मंत्री जी इस व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयत्न करेंगे। क्यों नहीं यह मुकदमें सिविल कोर्ट में भेजते हैं ? आपके पास साहस नहीं है क्योंकि तमाम वह करतूत जो आपके विभाग के अधिकारी कर रहे हैं दीवानी अदालतों में जब दूसरे पक्ष को भी कहने का मौका दिया जायगा, खुल जायगी।

इस विभाग के भ्रष्टाचार के बारे में माननीय सदस्यों ने और मंत्रीजी ने भी फरमाया। मंत्री जी ने बताया कि एक विशेष पुलिस शाखा खोली गयी है जो इस विभाग में हुए अपराध व गबन की जांच करती है। परन्तु सहकारिता की प्रगति के विषय में जो पुस्तक छपी है इसमें लिखा है कि सिर्फ वह अपराध जिनको आपके सहायक निबन्धक या ए0 आर0 इस पुलिस शाखा को प्रेषित करेंगे उन्हीं की विवेचना यह पुलिस अधिकारी कर सकेंगे। यदि गबन का कोई केस है तो किस प्रकार हम यह आशा रखें कि निष्पक्षतापूर्वक सब रिपोर्टस आप उनको भेजेंगे। एफ0 आई0 आर0 का प्राविजन आपने रखा नहीं। क्यों न हर आदमी को अधिकार हो कि वह इस अनुसंधान शाखा में एफ0 आई0 आर0 लिखा सके ? और इसके आधार पर अपराध की विवेचना हो सके ? मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी स्तर से ऊपर उठ कर इस पर निर्णय लेगे। भ्रष्टाचार के बारे में माननीय मंत्रीजी ने कहा कि उन्हें खुद जानकारी है और साथ ही साथ सुझाव भी मांगें भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये। सब से पहला सुझाव तो मैं वह देना चाहता हूं कि उनमें व उनके उच्च अधिकारियों में नेक नियती आये। भ्रष्टाचार मिटाने में आप दो स्टैन्डर्ड एप्लाई नहीं कर सकते कि यदि देवरिया जिले में समय समाप्त हो जाय जिला सहकारी बैंक संचालक मंडल का तो वहां तो संचालक मंडल निलम्बित हो जाय परन्तु जहां के मंत्री जी खुद रहने वाले हैं मजफ्फरनगर जनपद वहां समय

[श्री हुकम सिंह]

समाप्त होने पर संचालक मंडल बना रहे। 69 में वहां भी चुनाव हुआ था--वहां के लिये कोई दूसरा मापदंड अख्तियार किया जाय तो क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? इससे प्रतीत होती है आप की स्वयं की नियत, कि आप कितना विश्वास रखते है विभाग के सुधारने में और भ्रष्टाचार मिटाने में। क्या मुजफ्फरनगर सकहारी बैंक का संचालक मंडल ठीक तरह से काम कर रहा है? आपके विभाग द्वारा 3 बार नोटिस देने के बाद भी मुजफ्फरनगर में संचालक मंडल का चुनाव नही किया गया क्यों और किस की आड़ में यह सब हो रहा है? मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसका हर बार समय बढ़ा दिया जाता है। 3 मार्च को फिर आखिरी नोटिस दिया गया, चुनाव कराने का परन्तु कोई चुनाव नहीं कराये गये। इसके बावजूद उसको निलम्बित नहीं किया गया और बोर्ड का टाइम फिर 27 मार्च तक बढ़ा दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि जो नियम या नीति आप देवरिया, बाराबंकी आदि जिलों में अपनाते हैं वही नीति मुजफ्फरनगर में क्यों नहीं अपनाते? मुझको स्मरण है जब माननीय मंत्री जी दूसरे राजनैतिक दल से सम्बन्ध रखते थे उन्होंने खुद इस फर्जी चुनाव के खिलाफ आवाज उठायी थी उन्होंने स्वयं कहा था कि कोई चुनाव नहीं हुआ और संचालक मन्डल के अध्यक्ष ने अपने निजी मकान के कमरे में बैठकर एक ही रात में चुनाव की सारी प्रक्रिया को पूरा कर लिया। उस वक्त इन्होंने स्वयं वीरेन्द्र वर्मा जी के साथ मिलकर आवाज उठाई थी तत्-कालीन सहकारिता मंत्री तक को अवगत कराया था मगर उनको कामयाबी नहीं मिल सकी। आज भी उसी संचालक मंडल के वही पुराने अध्यक्ष चले आ रहे हैं। मुझे बड़े ही दुखी व भारी हृदय से यह बात कहनी पड़ रही है। उन महोदय की जो कार्य प्रणाली पहले थी वही आज भी है। सहकारी बैंक की कोई शाखा ऐसी नहीं बची जिसका उद्घाटन उन्होंने भूतपूर्व सहकारिता मंत्री जी से न कराया हो। और पुनः वर्तमान मंत्री जी से कराना आरम्भ न कर दिया हों। क्या इसी प्रकार के जाल में फंसकर आप सहकारिता में सुधार लायेंगे? परन्तु फिर भी मैं आशा करता हूं कि इस सहकारिता विभाग में जो भी भ्रष्टाचार-व्याप्त है उसे समाप्त करने में मंत्री जी हर सम्भव प्रयास करेंगे।

श्री प्यारे लाल वर्मा (जिला एटा)--

उपाध्यक्ष जी, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, इस सहकारिता विभाग में बड़ा घपला है। मैं कुछ सच्ची बातें इस विभाग के बारे में आपके सामने रखूंगा। कानपुर के जिला सहकारी बैंक के प्रशासक सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों पर गलत ढंग से 42 हजार रुपये की कीमत के लोहे के फर्नीचर का मामला थाना रामपुरवा में दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 6 सितम्बर, 1974 को बैंक के तत्कालीन प्रशासक श्री आर0 एम0 द्विवेदी को स्थानान्तरण आदेश मिला। इस आदेश के बावजूद अगले दिन 7 सितम्बर को उन्होंने 42 हजार रुपये के फर्नीचर की खरीद का आदेश दिया। 20 सितम्बर, को सामान की प्राप्ति दिखा कर 42 हजार रुपये का भुगतान भी कर दिया गया और यह कहा गया कि 24 अलमारी व लोहे के 20 बक्से बैंक को पुखरायां डेरापुर-बिल्हौर-घाटमपुर-कानपुर आदि 18 शाखाओं को भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहली अक्टूबर को कुछ शाखाओं को सामान पहुंचा दिया गया, किन्तु उन शाखाओं को सामान के बारेमें कोई सूचना नहीं दी। यहां तक हुआ कि 4 कर्मचारी जो थे वे उस गलत फेहरिस्त को लेकर भाग गये। उनके नाम हैं श्री अनन्त कुमार, श्री आर0 के0 वैश्य, श्री ए0 पी0 शर्मा और श्री पी0 एल0 खन्ना। उनके ऊपर मुकदमा भी कायम हुआ है। पता नहीं उसके ऊपर सरकार आगे क्या करेगी।

अब मैं एक दूसरी घटना बतलाऊंगा। जो हमारे अधिकारी हैं वही अगर उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो यह जनता कैसे आगे बढ़ सकती है और कैसे उसको फायदा मिलेगा। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि जनता को राहत देने के लिये यह सहकारिता बनी थी लेकिन मेरा यह विचार है कि इसके पदाधिकारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिये यह संस्था बनायी

गयी है। गरीबों को इससे कोई फायदा नहीं है। उनको जो बीज दिया जाता है वह भी ठीक नहीं दिया जाता। खराब बीज दिया जाता है, जिसकी अच्छी तरह से कोई जांच नहीं करायी जाती है। खाद जो दिया जाता है वह भी समय पर नहीं दिया जाता, बाद में दिया जाता है। खेतों में जो खाद पहले देना चाहिये वह बाद में मिलता है। यह पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में हो रहा है। वहां किसानों के लिये समय से कोई चीज नहीं मिलती। खाद जो मिलता है उसमें से कुछ निकाल लिया जाता है, अधूरा मिलता है और काटा हुआ मिलता है। वही खाद ब्लैक में पूरा मिलता है और सही मिलता है। यह है हमारे सहकारिता को चलाने का ढंग।

इलाहाबाद में केन्द्र के बिना विभाग के मंत्री श्री उमाशंकर दीक्षित ने नवभारत सहकारी समिति लिमिटेड प्रयाग के नाम से एक कथित फर्जी सहकारी समिति बनायी। उस सहकारी समिति से धनराशि की वसूली की नोटिस के सम्बन्ध में यहां के उद्योग विभाग के सारे अधिकारियों का बुलावा कानपुर में दिया गया था। उसके नीचे जो पोल है वह मैं आपको बतलाऊंगा। समाचार पत्रों में बतलाया गया है कि नवभारत सहकारी समिति लिमिटेड 18–कानपुर रोड के नाम से रजिस्टर्ड है। इस संस्था में नगर के जिन 20 मुख्य लोगों के नाम शामिल हैं उनमें सहकारी समिति की अध्यक्ष श्रीमती कमला बहुगुणा भी शामिल हैं। यह संस्था 1960-61 में किसी समय गठित की गयी थी। उस समय उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य मंत्री श्री हेमवती बहुगुणा, प्रदेश के उद्योग मंत्री थे और श्री उमाशंकर दीक्षित पंडित जवाहर लाल नेहरू के मुख्तियार थे। इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में बतलाया गया है कि उस समिति के लिये दिये कर्ज की वसूली के उद्देश्य से श्रीमती कमला बहुगुणा, श्री उमाशंकर दीक्षित सहित अन्य डाइरेक्टरों के विरुद्ध गत दो वर्ष पूर्व ही वसूली का नोटिस जारी हो चुका है किन्तु किन्हीं कारण उसका कोई प्रभाव नहीं हो पाता रहा और न अभी तक हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष––

अब जो शेष रह गया है, कागज मंत्री जी के पास भेज दीजिये, वे उसे देख लेंगे। अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री प्यारे लाल वर्मा––

मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं। हमारे प्रदेश से गाय के बाहर जाने पर रोक लगा दी गयी है। यह जो पशुपालन है, हमारे किसानों के लिये कृषि का ही एक अंग है, इसलिये गायों के बाहर जाने पर रोक लगायी जाय। गायें बाहर जा रही हैं, साथ ही साथ गायों का बध भी हो रहा है। इसे रोका जाय।

दूसरी बात में गोवध की कहना चाहता हूं। गोवध हो रहा है। इस पर बड़े कड़े तरीके से इसकी रोक करें।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय सदस्य बंद करें, समय समाप्त हो गया।

श्री मान बहादुर सिंह (जिला गोंडा)––

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे समय दिया। मंत्री जे ने जो बजट इस सदन में पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं मंत्रीजी को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का बजट प्रस्तुत करके बड़े साहस से काम लिया है। जो इसमें बुराइयां हैं उनको उन्होंने स्वीकार किया है। अगर सहकारिता आन्दोलन को इस प्रदेश में सुदृढ़ बनाना है जिससे निर्बल और गरीब आदमियों

[श्री मान बहादुर सिंह]

को सुविधा हो सके तो यह जरूरी है कि जो बुराइयां इसमें हैं उनको दूर किया जाय। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि इसमें भ्रष्टाचार है।

मान्यवर, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में रोशन लाल कमेटी की रिपोर्ट सरकार के सामने है। दूसरी बात विजिलेंस हुआ। विजीलेंस सेल है उसने अब तक करीब-करीब 2000 केसेज को पकड़ा है जिसमें 3 करोड़ रुपये का गबन हुआ है। जैसाकि मंत्रीजी ने स्वीकार किया है, यह बात सामने आयी है। मान्यवर, अगर समाचार पत्रों को देखा जाय तो अक्सर देखेंगे कि सहकारिता के बारे में कभी कोई अच्छी चीज नहीं दिखती है। कुछ दिनों पहले ब्लिट्ज में एक चीज छपी थी। विशन कपूर साहब ने लिखा है, साफ कहा गया है कि सहकारिता आन्दोलन में करोड़ों रुपयों का गबन हुआ है और यह रुपया ऐसे तबके के पास चला गया है जिसको कि कुछ मानों में बेस्टेड इंटरेस्ट या जो इसको प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको कह सकते हैं। मान्यवर, इसमें अन-आथराइज्ड लोग बहुत ज्यादा दिनों से कब्जा किये हैं। इनको दूर किया जाय। अगर यह कहा जाय वहां पर इन्फिल्ट्रेशन है तो गलत नहीं होगा।

मान्यवर, आये दिन यह ख्याल होता है कि भ्रष्टाचार है। हर साल यह बजट प्रस्तुत होता है, हर साल यह शिकायतें की जाती हैं। कोई कदम या कोई कार्यवाही सरकार नहीं करती है। प्रशासनिक स्तर पर होती है, विजीलेंस सेल को दे दिया जाता है लेकिन जब कोई राजनैतिक डिवीजन लेना होता है या कोई ऐसी चीज जिसमें हिम्मत की जरूरत होती है तो सरकार हिचकिचाती है। अभी एक हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि देवरिया में भंग किया गया मुजफ्फर नगर में भंग क्यों नहीं किया गया। तो मान्यवर, मैं इस पर कहना चाहता हूं कि ऐसे संचालक मंडल जिन्होंने नियत समय पर चुनाव नहीं कराये हैं, सालों हो गये हैं मौजूद हैं। जो अनियमित हैं उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये। मैं गोंडा जिले की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। कई साल हो गये अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। समय दिया जाता है लेकिन चुनाव नहीं होता है और फिर भी कार्यवाही नहीं की गयी।

भ्रष्टाचार के बाद एक बात दूसरी जो आती है वह सुपरवाइजर्स की है। सुपरवाइजर्स पर कड़ी निगरानी की जानी चाहिये लेकिन कोई कदम उठाने में सरकार हिचकती है। पिछली बार सदन में इस पर काफी चर्चा हुयी थी। साल हो गया है लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया है। यहां पर कहा जाता है कि सुझाव दीजिये। सुझाव देने का क्या मतलब अगर उस पर अमल नहीं होता है।

दूसरी बात स्टाफ के संबंध में है, जो लोग, जैसा स्टाफ रखा गया है वह इफीशियेंटली या अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। जो लोग रखे गये हैं पक्षपातपूर्ण और गलत तरीके से रखे गये हैं। और जब वह हो गये हैं तो ऐसा करना चाहिए जिससे वह आनेस्टली और इफीशियेंटली काम कर सकें।

दूसरी बात इलेक्शन के सम्बन्ध में है। इलेक्शन जो कोआपरेटिव में होता है। उसमें जो ऐक्ट है उसमें आप परिवर्तन करिये जिससे इलेक्शन में मैनीपुलेशन न हो सके। सुपरवाजर और अध्यक्ष मिलकर मैनीपुलेट करके इलेक्शन कराते हैं किसी के लड़ने का सवाल नहीं है। ज्यादातर डेलीगेट हो जाते हैं। आप डेलीगेट हो सकते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालन और मत्स्य विभाग पर भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं मंत्री जी का आभारी है कि मंत्रीजी ने साहस के साथ स्वीकार किया कि प्रबन्ध में कुछ कमी है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कई साल की फीगर्स स्टेट मेकेनाइज्ड फार्म की लें और देखें कि उसमें लासेंज क्यों है? 30 लाख से ऊपर लासेज हों यह कोई जरूरी नहीं है। लासेंज इतने हैवी होने का क्या कारण है? मैं निवेदन करूंगा कि यदि ठीक

समझें तो कोई कमेटी बिठा दें जो इसकी छानबीन करे कि लाइसेंज इतने क्यों होते हैं ? यह भी जांच वह करे कि जो स्कीम लेते हैं उनकी फिजीबिल्टी क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मत्स्य विभाग इस प्रदेश में काफी पुराना हो चुका है। लिटरेचर में दिया है कि 1944 से शुरू हुआ और 1966 से सेपरेट विभाग है और यह भी स्वीकार किया गया है कि यहां मत्स्य को बढ़ावा देने के लिये काफी स्कोप है लेकिन इतने दिनों में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। यदि इतनी ढीली प्रगति होगी तो कैसे काम चलेगा। मैं इन सुझावों के साथ बजट का समर्थन करता हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने बोलने का समय दिया। मैं कटौती का प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं। शुरू में जैसा मन्त्री जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार सभी विभागों में है लेकिन कोआपरेटिव का भ्रष्टाचार देखकर रोमांच हो उठता है। कोआपरेशन करप्शन का पर्यायवाची शब्द है। कहने के लिए प्रथम योजना में ग्रामीण ऋण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बहुधन्धी संस्थाओं का निर्माण हुआ, दूसरी योजना में ऋण वितरण का क्रय-विक्रय को योजना से सम्बद्ध कर नियंत्रित वसूली शुरू किया, तृतीय योजना में सहकारिता को व्यापक बनाकर भूमि विकास बैंक, सहकारी शीत गृह, उपभोक्ता भन्डार और प्रक्रियात्मक इकाइयां शुरू कीं। चतुर्थ योजना में ज्यादा विस्तार किया और उर्वरक, उन्नतिशील बीज किटाणुनाशक दवा और दुग्ध योजनायें तथा पी० सी० एफ० का बनाया, मान्यवर यह सहकारिता विभाग क्या है—ग्रामीण स्तर में पाइप लाइन फिट है और हर गांव में रहने वाले निर्धन और छोटे कास्तकारों का खून पाइप लाइन द्वारा पिया जा रहा है, प्रान्त में और केन्द्र में भी वही किया जा रहा है। चूंकि पाईप लाइन है इसलिए खून का निशान नहीं है लेकिन वह पीते हैं। इसमें व्यापक भ्रष्टाचार है।

मान्यवर, इसी की एक शाखा भूमि विकास बैंक है जिसने नत्थानाश किसानों का किया है। मन्त्री जी यदि आपके दिल में रहम हो तो इस भूमि विकास बैंक को समाप्त कर दें : मन्त्रि-परिषद् से परामर्श कर के इसको समाप्त करें। जिन किसानों की जमीन की कीमत 10 और 20 हजार रुपए होती है बड़े काश्तकारों से बैंक दुर्भि संधि करके उनकी जमीन को मुश्किल से 2500 रुपये या 3 हजार में निलाम कर दी जाती है। यह भ्रष्टाचार 87-88 प्रतिशत है और 10-12 प्रतिशत ईमानदारी बरती जाती है। मैं आपको एक हृदाहरण देता हूं उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की पड़रौना शाखा का। मैं आपके विभाग के हर अधिकारी से मिल चुका हूं। लेकिन एक ही चीज दिखाई दी और वह यह कि वह भी डरते हैं राजनैतिक हस्तक्षेप से। यदि मन्त्री जी आप में जरा भी स्वाभिमान हो तो इस घटना का पता लगाइयें। जुलाई के महीने में शाखा प्रबन्धक का ट्रान्सफर हुआ लेकिन एक विशिष्ट व्यक्ति ने पैसा लेकर उसका ट्रान्सफर रोक दिया। मैं चेलेन्ज करता हूं। अगर साहस हो तो पता लगा लीजिये। दूसरा व्यक्ति वहां गया और 40 दिन तक बैठा रहा और उसको चार्ज नहीं मिला। 26 अगस्त को जाता है कि चार्ज दो और 27 को फिर जाता है कि ट्रान्सफर रोक दिया जाय।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

अगर आप नाम बतला दें तो मन्त्री जी को कार्यवाही करने में आसानी होगी।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

उनका नाम हरिश्चन्द्र गुप्त है।

मैं अब आपका ध्यान पशुपालन की ओर ले जा रहा हूं। यह इस देश का दुर्भाग्य है। लोग कहते हैं कि कंस के राज्य में ....

श्री उपाध्यक्ष—

आपको कंस का राज्य बहुत याद आता है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

इन कंसों को देखकर वह कंस याद आ जाता है । आज कल पद्मश्री, पद्म-भूषण की पदवी दी जाती है । अंग्रेजों के जमाने में सर, नाइट, राय बहादुर और फलां-फलां उपाधियां दी जाती थीं । कंस के काल में नंद, उपनन्द और वृषभानु कहा जाता था । जिसके पास 9 लाख गोवंश होता था, उसको नन्द कहा जाता था, जिसके पास 5 लाख गो वंश होता था उसको उपनंद और जिसके पास एक करोड़ गोवंश होता था उसको वृषभानु कहते हैं । लेकिन मान्यवर, इन्होंने क्या किया ? इन्होंने यह किया कि गोपाष्टमी के ऊपर जो बहुत दिनों से समारोह होता चला आ रहा था उसको बन्द कर दिया चूंकि पैसे की कमी थी । मान्यवर, कृषि का आधार केवल पशुपालन है । इस विभाग ने जो किया है उसका एक नमूना आपके सामने रख रहा हूं । किस प्रकार का फ्राड, किस प्रकार का जाल यह कर रहें हैं और जनता की आंख में धूल झोंक रहें हैं । इनकी जो प्रगति रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि प्रदेश में पशुओं को पोंकनी रोग से मुक्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर 7 एवं अन्तर प्रदेशीय सीमा पर 12 सतर्कता यूनिट राग रहित क्षेत्र बनाने में कार्यरत हैं । इस के अतिरिक्त मुख्य-मुख्य आवागमन के मार्गों पर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर 6 वैक्सीनेशन स्टेशन एवं अन्तप्रदेशीय सीमा पर 11 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं जहां पर भ्रमणकारी पशुओं की जांच की जाती है तथा पोंकनी रोग का टीका लगाया जाता है । मान्यवर, यह बिल्कुल असत्य है : 28 फरवरी को सेवायें समाप्त कर दी गयीं । यह कितना फ्राड और फरेब है । इसी तरह के रिंडरपेस्ट कितना घातक रोग है । इसमें भी केवल प्रान्तीय स्तर का फ्राड नहीं बल्कि इन्टरनेशनल फ्राड किया गया। लाखों पशु पिछले 6 महीनों में रिंडर पेस्ट से उत्तर प्रदेश में मरें हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया । मैंने इस आशा और विश्वास के साथ समय दिया था कि आप समय के अन्दर ही अपनी बात समाप्त कर लेंगे ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

एक बात मत्स्य पालन के बारे में और कहना चाहता हूं । मान्यवर, जिनका यह पेशा है जैसे धीमर, केवट, मल्लाह उनको इसका ठेका नहीं देते, बल्कि सम्पन्न लोगों को देते हैं । तुरहा जाति इस प्रदेश में है जिनके जीवन का एक मात्र आधार मत्स्य पालन है किन्तु तुरहा जाति को कोई सुविधा मत्स्य पालन की नहीं दी गई है । यही नहीं, शारदा सागर, नानक सागर में पकड़ने का अलग ठेका और बेचने का अलग ठेका दिया जाता है । इन सब में अधिकारी लोग शामिल हैं । मेरा निवेदन है कि पकड़ने और बेचने के लिये एक ही ठेका होना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सहकारिता विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया । समयाभाव के कारण मैं केवल मत्स्य विभाग पर ही अपने विचार प्रकट करूंगा । मान्यवर, मन्त्री जी ने बजट पेश करते हुए यह कहा कि मत्स्य विभाग से कोई लाभ नहीं है । लेकिन, मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी यह सरकार सोसल वेलफेयर स्टेट में विश्वास रखती है जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि जो गिरे हुए और कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं । उनका विशेष रूप से कल्याण करना है और उनका उत्थान करना है । लेकिन जब मैं मत्स्य पालन और उससे सम्बन्धित मछुआ समुदाय को देखता हूं तो बड़ी निराशा होती है । मान्यवर, जो पुस्तिका शासन की तरफ से उत्तर प्रदेश में "मत्स्य विकास" जारी की गई है उसके पृष्ठ 13 पर मछुआ समुदाय की संख्या 50 हजार लिखी है । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आंकड़ा बिलकुल गलत है । इस समुदाय की उत्तर प्रदेशीय निषाद महासभा का अध्यक्ष होने

के नाते मैंने पूरे प्रदेश का दौरा किया है और विभिन्न जिलों में गया हूं। मेरी यह जानकारी है कि प्रदेश में 50 हजार के बजाय 50 लाख से अधिक मछुआ समुदाय की संख्या है। इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों को भी मालूम होगा कि सभी के क्षेत्रों में इस मछुआ समुदाय के लोग काफी संख्या में पाए जाते हैं। इसलिए यह जो आंकड़े हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस आंकड़े को ठीक किया जाय और उसके अनुसार कार्यवाही की जाय। जो बजट मत्स्य विभाग को दिया गया है, वह बहुत ही कम है। इतनी बड़ी जनसंख्या को देखते हुए इतनी कम धनराशि में न तो इस विभाग का काम ठीक से चल सकता है और न इस प्रदेश के अन्दर जो मछुआ समुदाय है, उसके कल्याण की कोई योजना समुचित रूप से चलाई जा सकती है। इस सम्बन्ध में मान्यवर, मेरे कुछ सुझाव हैं।

पहला सुझाव यह है कि जो जलाशय हैं उन पर मछुओं के आसामी और सीरदारी अधिकार होने चाहिए। लेकिन मान्यवर, जो जलाशय नीलाम किए जाते हैं वह बड़े-बड़े ठेकेदारों और पूंजीपतियों को दे दिए जाते हैं। वह ठेका लेकर मछुओं का शोषण करते हैं और उनको कम मजदूरी देकर मछली बिकवाते हैं और ऊंचे दाम पर बाजार में बेचकर लम्बा मुनाफा कमाते हैं। ग्राम सभा के मैनुअल की धारा 115(सी) में यह दिया हुआ है कि स्थानीय मछुओं को और मछुओं की सहकारी समिति को 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लेकिन होता यह है कि उसका पालन नहीं होता। हम चाहते हैं कि उसका पालन शासन की तरफ से विधिवत् कराया जाय। मछुओं के बच्चों को फ्री एजूकेशन दी जाय क्योंकि यह जाति अब तक उपेक्षित रही है। इन मछुओं के पास जमीन नहीं है इसलिये इनको भूमिहीन की श्रेणी में रखा जाय और उत्तर प्रदेश की सरकार जो जमीन का बंटवारा की बात कर रही है, हम चाहते हैं कि वरीयता की श्रेणी में इनको रखकर इनको जमीन देने की सुविधा कराई जाय। मान्यवर, इस समाज के कल्याण के लिए फिशरमैन डेवलपमेंट कमीशन बनाया जाय जो अध्ययन करके एक रिपोर्ट दे कि इस पिछड़े समाज का किस तरह से उत्थान किया जाय। एक मत्स्य बोर्ड बनाया गया है उसको पशु पालन के साथ जोड़ दिया गया है। इसका निदेशालय अलग है और फिशरीज बोर्ड भी स्वतन्त्र रूप से अलग बनाया जाय ताकि ठीक तरह से वह काम कर सके।

मध्य प्रदेश में मछुओं को ठेका देने के लिये यह व्यवस्था है कि 500 रुपए की रकम जमानत के रूप में जमा करा ली जातीं है, उनको लाइसेन्स दे दिया जाता है। सरकार की तरफ से रेट फिक्स है और विभाग मछली तौल कर उनसे पैसा ले लेता है। मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इसी तरह की व्यवस्था करे मछुओं के लिए, जैसी कि मध्य प्रदेश में है। इससे मछुओं को लाभ होगा और सरकारी खजाने को भी लाभ होगा। बाहर जो मछलियां भेजी जाती हैं उस पर 5 रुपए फिशमैन कम्युनिटी डेवलपमेन्ट फीस लगा दी जाय प्रति क्विन्टल पर जिससे करोड़ों रुपए का लाभ होगा जो सरकार को मिलेगा। उससे मछुआ समुदाय के बच्चों को स्कालरशिप दी जाय, पढ़ाई के लिए पुस्तकें दी जायं और ट्रेनिंग सेंटर खोले जायं और मछुआ समुदाय के लोगों को उसमें रखा जाय। मछुओं के योग्य छात्रों को देश व विदेश में छात्र-वृत्ति दे कर भेजा जाय। जब तक मछुआ समुदाय के योग्य लोग अवेलेबिल हों तब तक फिशरीज एवं नेवी विभाग में उन्हीं को जगहें दी जायं। इस तरह से मछुआ समुदाय के लिए अधिक से अधिक तरक्की की व्यवस्था की जाय। इन शब्दों से साथ मैं जो अनुदान सहकारिता विभाग के अन्तर्गत रखे गए हैं, उनका समर्थन करता हूं।

*श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)–

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है। मैंने कुछ सुझाव उनके सामने रखे थे लेकिन उन पर कतई ध्यान नहीं दिया गया। बाराबंकी जिले के बारे में मैं बतलाना चाहता हूं कि एक ही परिवार के लोग सर्वेसर्वा हैं। समाज कल्याण मन्त्री, मोहसिना किदवाई के सगे ससुर चेयरमैन के पद पर पदासीन हैं। पहले नोटिस दिया गया कि 90 दिन के अन्दर चुनाव करा दिया जाय। 26 तारीख उसके लिए मुकर्रर हुई लेकिन चुनाव टाल दिए गये। फिर 18 मार्च को नामिनेशन हुआ। 30 मार्च के लिए चुनाव रखा गया लेकिन वह भी टाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष––

आपका माइक काम नहीं कर रहा है। दूसरे माइक पर आप आ जायं।

श्री जंगबहादुर वर्मा––

प्रस्ताव पास करना कमेटी का काम है। ए0 आर0 तथा डी0 आर0 ने मिल कर रजिस्ट्रार से स्वीकृति नहीं कराई। 18 तारीख को नामिनेशन हो गया जब कि 16 तथा 17 को ए0 आर0 तथा डी0 आर0, बाराबंकी में साथ-साथ घूमते रहे। 18 तारीख की नामजदगी होने पर नफीसुल रहमान साहब ने अपने लड़के को ही चेयरमैन बना दिया और उनको डायरेक्टर बनाया गया जिन पर कर्जा बकाया था। पुत्तूलाल जी कांग्रेसी हैं। उनके दामाद क्लर्क हैं। नियम के अनुसार उनको डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता था लेकिन उनको डायरेक्टर बना दिया गया और इस तरह से पक्षपात किया गया जब कि लाखों रुपये का गबन वहां पर था। इस बात को दबाने के लिए ऐसा किया गया। गबन रिश्वत-खोरी होती है और गरीब के पैसे का शोषण हो रहा है। जहां-जहां आपने समझा कि चुनाव में हम हार रहे हैं वहां आपने उनको भंग कर दिया और उसके स्थान पर नामिनेशन कर दिया। तो फिर कैसे सुधार होगा।

दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं फर्जी लोगों का नाम लिखकर रुपया खा गए उससे आज लोग हैदरगढ़, रामनगर में परेशान हैं। कहते हैं कि हाई कोर्ट में अब निशान की जांच हो रही है। तो इस तरह के अधिकारी और ए0 आर0 मिल कर रुपया खा गए। बाराबंकी में उपभोक्ता भंडार है वहां पर तीन क्विन्टल लोग का पता नहीं है। इसी तरह से और चीजों का भी पता नहीं है। चेयरमैन और ए0 आर0 मिल कर खा गए और बेचारे क्लर्क उसमें फंसाए गए, किसी का ट्रान्सफर कर दिया गया। तीन क्विन्टल लौंग जो सौ रुपए किलों के भाव से बिकना चाहिए वह ब्लैक में चला गया। इसी तरह से सहकारी कपड़ा भंडार, हैदरगढ़, त्रिवेदीगंज, कोलाहदा, चौबीसी है, वहां पर मैनेजर और दूसरे लोग मिल कर खा रहे हैं। किसी को कपड़ा मिल नहीं रहा है।

श्री उपाध्यक्ष––

यह आपकी पुरानी शिकायत है।

श्री जंगबहादुर वर्मा––

आप जांच कराते नहीं हैं और तानाशाही करते हैं तो फिर भ्रष्टाचार दूर कैसे होगा?

पशुपालन विभाग में अस्पताल खुले हैं वहां पर आप पता लगा ले कुछ दिन तक तो अच्छे पशु की नस्ल मिलती थी लेकिन अब वह अवनति की ओर जा रहें हैं। हम कहते हैं कि लोग 5, 6 दफे बीज छुड़वाते हैं लेकिन वह गाय भैसों में रुकता नहीं है। इसका क्या कारण है? इसकी आपने कभी जांच करवाई है। वहां पर हरे चारे का इन्तजाम नहीं है। पानी का इन्तजाम नहीं है, ट्यूबवेल आप नहीं दे रहे हैं। अस्पतालों में जानवरों के लिये दवा नहीं है। डाक्टर पर्चा लिख देते हैं और बाहर से लाने के लिए कहते हैं और उसके लिए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रिश्वत भी लेते हैं। जब जानवरों में बीमारी लग जाती है तो आप उसके लिए गुजरात की तरह क्यों नहीं करते हैं कि फौरन डाक्टर जाय। यह लोग 15, 16 रुपया फीस लेते हैं और जो पर्चा लिखते हैं उसके लिए दुकाने भी खास होती है अगर दूसरी दुकान से दवा लाएं तो कहते हैं यह खराब है। तो उसमें भी कमीशन लेते हैं।

मछली विभाग की बात कहता हूं हैदरगढ़ में तालाब खोदा है लेकिन उसमें मछली गायब है इसी तरह से कोटवा सड़क भिटरिया के पास तालाब बना है, मछलियां वहां पर नहीं पलती हैं। आपके अधिकारी नदियों से मछलियों को पकड़ कर उत्पादन दिखा देते हैं, जो आपकी नहरें हैं उनकी मछलियों को दिखा देते हैं और उसकी आमदनी को दिखाते हैं। एक भी तालाब में मछली उपलब्ध नहीं है। जो पहले मछुवे थे उनको रोटी रोजी भी छीन ली, नीलामी के वक्त दूसरे लोगों को दे देते हैं, जो बड़े-बड़े लोग हैं उनको देते हैं।

डिपार्टमेंन्ट में ईमानदारी से काम हो इसके लिए आपके यहां जो एकाउन्टेंन्ट हैं, उनको मुस्तकिल किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय वर्मा जी आपका समय हो गया है।

श्री जंगबहादुर वर्मा––

नीचे से ऊपर तक जो क्लर्क या बाबू हैं या एकाउन्टेन्ट हैं उनको एक दो साल से ज्यादा नहीं रखा जाता है। उनका ट्रान्सफर होता रहता है और चेयरमैन तथा ए0 आर0 मिल जुल कर पैसा खा जाते हैं और आप कुछ कर नहीं पाते हैं .....

श्री उपाध्यक्ष––

वर्मा जी समय समाप्त हो गया है।

श्री जंगबहादुर वर्मा––

मैं अब वसूलों के बारे में बता दूं। बड़े-बड़े लोगों पर कर्जा बकाया पड़ा हुआ है ....

श्री उपाध्यक्ष––

समय समाप्त हो गया है।

श्री जंगबहादुर वर्मा––

छोटे आदमियों को तो बन्द कर दिया जाता है लेकिन पं0 कमलापति त्रिपाठी के लड़के, लोकपति त्रिपाठी के नाम लखनऊ कोआपरेटिव बैंक का 30 हजार रुपए का कर्जा बाकी है, किन्तु इनसे वसूल नहीं किया गया, इन्हें बन्द नहीं किया गया। दूसरी तरफ छोटे-छोटे किसानों की जमीनें नीलाम की जाती हैं। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन कर रहा हूं।

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने समाजवाद को स्वीकार किया है, इसलिये सहकारिता को धर्म के रूप में स्वीकार किया है। सहकारिता के बुनियादी सिद्धान्तों पर किसी ने एतराज नहीं किया है। लेकिन इसमें भ्रष्टाचार अवश्य है। यह सामाजिक कोढ़ है और कोई भी विभाग इस कोढ़ से मुक्त नहीं है। अब तो भ्रष्टाचार के मामले में इस विभाग का नम्बर बदल गया है। हाइडिल विभाग का अब नम्बर ऊपर पहुंच गया है। फिर प्रश्न यह है

[श्री अम्बिका प्रसाद सिंह]

कि सहकारिता विभाग के भ्रष्टाचार का शोर अधिक क्यों है ? इसका कारण यह है कि इसमें दो वर्ग हैं---सरकारी अधिकारी और जनता। इसीलिए इसके भ्रष्टाचार का ज्यादा शोर होता है। मुझे अपने ही जिले के बारे में मालूम है कि 40 लाख का गबन है। लेकिन उससे अधिक एग्रीकल्चर विभाग में है, परन्तु उसको कोई नहीं जानता, क्योंकि उसमें नीचे से ऊपर तक सरकारी कर्मचारी ही हैं। कितने इसमें निलम्बित हुए बैठे हैं, किन्तु उनको कोई नहीं जानता। फिर भी थोड़े से समय में मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से चन्द सुझाव मंत्री जी को दे दूं। मेरे जिले में 259 लाख रुपया सिंचाई का बंटना है, लेकिन उस संबंध में एक घटना इस सदन में बता देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे सहकारिता मंत्री जी साफ हैं और ऊंचे हैं, और मैं उनसे छिपाकर कुछ नहीं रखना चाहता हूं। एक दुकान में मैं बैठा था, एक सज्जन पम्प सेट लेने आए तो उन्हें बताया गया कि यदि तुम लैण्ड डेवलपमेंट बैंक के लोन से लोगे तो तुम्हें साढ़े सात सौ रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। यह सुल्तानपुर का जिक्र है। और नगद लोगे तो साढ़े सात सौ रुपये कम देने पड़ेंगे। यह करप्शन भयानक रूप से फैला हुआ है। ऐसे करप्शन में ग्रामसेवक से लेकर लैण्ड डेवलपमेंट बैंक के मैनेजर तक मिले हुए हैं। इसका कोई उपाय किया जाए। जो भी कर्ज दिया जाता है कि फलां से पम्पिंग सेट लो, उसके लिये आप हुण्डी दें, प्रेस्क्राइब्ड पम्प सेट वह कहीं से भी मिले। लेकिन उसमें यह भी हो कि वह अमुक समय में लगा ले। इस संबंध मे वेरीफिकेशन भी किसानों के लिये एक समस्या है और होगी, यह एक बड़ा प्रश्न है कि वेरीफिकेशन कितनी जल्दी हो। आप इसके लिये स्टाफ तथा मैनेजर को मजबूर कर दें कि एक हफ्ते के अन्दर अवश्य वेरीफाई कर दे। ऐसा प्रतिबंध लगा देंगे तो ठीक होगा नहीं तो वह उन्हें इसी में मार डालते हैं। मैंने डी0 सी0 डी0 एफ0, सुल्तानपुर से कहा देना चाहा किन्तु किसान लेने नहीं पाये। अच्छा यह हो कि इनके वितरण की व्यवस्था संस्थाओं के द्वारा हो जाए, जिससे किसी को भी शिकायत न रहे, कोई गड़बड़ी न हो।

दुग्ध योजना मेरे जिले से उन्नाव चली गई है। इसका मुझे खेद है। पिछली बार जब मैंने इस पर अपने जिले के लोगों का असन्तोष व्यक्त किया और इसे यहां उठाया तो आश्वासन दिया गया कि यह योजना सुल्तानपुर को दी जायगी। किंतु फिर भी मुझे वहां कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। वहां की जनता इस बारे में मुझसे पूछती है, मैं क्या उत्तर दूं ? सहकारिता के सरकारी और गैरसरकारी दो वर्ग हैं। मैं चाहता हूं कि सरकारी लोगों को इस बात का पूरा अधिकार हो कि वह जब कभी किसी गैर सरकारी व्यक्ति की कोई गड़-बड़ी देखे, तो उनको जेल भेज दें। ऐसे लोगों को एक दिन बाहर रहने का अधिकार नहीं है। घुरहू ने कर्ज लिया और वह मेड़ऊ से वसूल लिया गया, लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने जो खाया वह संस्थाओं को वापस नहीं मिला। हमारे यहां एक ए0 आर0, श्री बृजेन्द्र सिंह बरखास्त हुए इसी में। उनके संबंध में मैंने तत्कालीन सहकारिता सचिव, श्री भगवन्त सिंह को एक पत्र लिखा कि 16 हजार रुपया जिला सहकारी बैंक, सुल्तानपुर का वह ले गये, इसको वापस दिलाएं, इनकी जमानत से। तो उन्होंने मुझको बड़ी (humerous) ह्यूमरस चिट्ठी लिखी कि आप नहीं जानते हैं कि गेजेटेड आफिसर की जमानत नहीं होती है। उनकी सर्विस टर्मिनेट हो गयी आप संतोष कर लें। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां भी अंकुश लगाया जाय। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने महत्वपूर्ण विभाग की स्टैंडिंग कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं बुलायी गयी, जब कि दूसरे विभागों की स्टैंडिंग कमेटी की दो दो मीटिंगें बुलायी गयीं, सरकार अफसरों पर भी अंकुश लगाये, सरकारी अफसरों को अधिकार दीजिए कि पब्लिक के लोगों को जरूर जेल भेज दें अगर दोषी पाये जायं। ऐक्ट में काफी अधिकार दिया गया है। लेकिन राजनीतिक दबाव न पड़े, मैं यह मांग करता हूं। परन्तु सरकारी कर्मचारी यदि गड़बड़ी करे तो उसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिये।

मेरे जिले में कोल्ड स्टोरेज बड़ी तेज से बन कर तैयार हो गया 31 जनवरी को, एक चैम्बर रह गया था। लेकिन प्लांट और मशीनरी ब्युरो क्रैसी के झंझट में पड़ी हुई है।

सरकार से कोई फैसला नहीं हो रहा है। मुझे मजबूर किया जाता है कि ऊंचे दाम वाले से एग्रीमेन्ट कर लिया जाय, क्यों ऐसा वाजिब नहीं है ? आप जांच कराएं। पब्लिक की गलती हो तो उसे दबाया जाय और अफसरों की गलती हो तो उनसे पूछा जाय। जिस तरह से हर जिले से शिकायत आयी है, उसी तरह से मेरे जिले में भी बैंक का चुनाव हटता चला जा रहा है। चुनाव हटाने का कोई कारण नहीं है। या तो चुनाव करवा दें या नामिनेट कर दें। इन शब्दों के साथ मैं सहकारिता मंत्री के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव ( जिला इटावा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं बोलना चाहता था। लेकिन ऐसी उम्मीद है कि मंत्री जी गांव के हैं, किसान हैं और उनके सम्बन्ध में बहुत ईमानदारी की बात कही जाती है, तो शायद कुछ हो जाय, जो उत्तर प्रदेश में सहकारिता में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, उसको दूर करने के लिये प्रयास करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बहुत बड़ी निराशा हुई कि मंत्री जी जब मुजफ्फरनगर का यह हाल है तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन में आप क्या करेंगे। पिछले वर्ष जब मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा था तो यहां के कुछ अधिकारियों पर मेरे गम्भीर आरोप थे। उस वक्त तत्कालीन सहकारिता मंत्री ने कहा था कि अगर माननीय सदस्य लिख कर दे दें तो हम जांच कराएंगे और यदि मेरा लड़का या बाप भी होगा तब भी माफ नहीं करूंगा। मैंने लिख कर दिया। आपकी नोटिस में आया। वह जो 22 आरोप थे उन आरोपों को भी छिपा लिया गया। इस तरह से सारे उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है और मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जिस जिले को सबसे कम भ्रष्ट समझते हों उसको ले लीजिये और उसकी जांच करा लीजिये। सारा भ्रष्टाचार उभर कर आ जायेगा। पिछले वर्ष मैंने अपने जिले के सम्बन्ध में रखा था। इस वर्ष भी रख रहा हूं। आपके जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, चौधरी रघुराज सिंह। जबसे वह अध्यक्ष हुए हैं इटावा कोआपरेटिव बैंक के, तब से जो ए क्लास का बैंक था यह सी क्लास का बैंक बन गया। 1968-69 में बैंक की बकाया 40 लाख 88 हजार थी और इस वक्त 1973-74 में 91 लाख 43 हजार हो गयी। दूसरी तरफ सात गुना खर्चा पैट्रोल का बढ़ गया। 1968-69 में पैट्रोल का खर्चा 6 हजार था और और अब है 42 हजार। उस समय कर्मचारी थे 28 और अब हैं 68। सारे अपने रिश्तेदार और भाई भतीजे भर लिये हैं। जो सेवा मंडल के आधार पर सेलेक्शन करना चाहिये, नियमों का उल्लंघन करके, हाई कोर्ट से स्टे ले कर सब कर लिया। अपने रिश्तेदारों को रख लिया और अपने भाई, कैलास नारायण चौधरी को बैंक में सहायक कार्य अधिकारी भी नियुक्त कर दिया।

इस तरह से आप देखें कि मैं पूरा रिकार्ड रख रहा हूं। यदि मंत्री जी इटावा जिले में करप्शन मिटाना चाहते हैं तो तुरन्त इस बैंक के संचालक मंडल को भंग कर दें। वह इस तरह से लूट रहे हैं जैसे कोई विदेशी लूट रहा हो। उसका देश था राष्ट्र से कोई मोह नहीं है। इस तरह से संचालक मंडल और चौधरी रघुराज सिंह उसको बुरी तरह से लूट रहे हैं। 68-69 में कर्मचारियों का वेतन 1,50,000 था जो बढ़कर अब 4,34,000 हो गया है। इसी तरह से सुपरवाइजर का वेतन 76,000 रुपये था जो बढ़कर 2,26,000 हो गया है। पहले पेट्रोल का खर्चा 6000 रुपया था जो अब बढ़कर 43,000 हो गया है। टेलीफून का बिल 2,000 रुपया था जो अब 6,000 हो गया है। कुल खर्चा इसका 4,60,000 था जो अब बढ़कर 9,40,000 हो गया है। अब केवल एक लाख 15 हजार का लाभ है यानी कुल 3 हजार का मुनाफा है। खर्चा सात गुना बढ़ गया है। इस बैंक के संचालक मंडल को तुरन्त भंग कर दिया जाय। एक जीप थी फिर 43 हजार रुपये में नई जीप

[श्री मुलायम सिंह यादव]

खरीदी गई है। वसूली का बहाना लगाकर 5 जीप और एक कार किराये पर ली गई हैं। लेकिन वसूली पहले से कम हुई है। 30 जून को वसूली बन्द हो गई फिर 60 रुपये रोज पर 15 मार्च तक एक कार को रखा गया। अपने साथियों तथा दोस्तों की शादियों में खूब पेट्रोल फूंका गया। लेकिन इतने साधन जुटाने के बावजूद वसूली हर साल से कम हुई। जहां जहां यह रहे हैं सब जगह इन्होंने गड़बड़ किया है। इस बैंक के संचालन मंडल को तुरन्त भंग कर दिया जाय।

दूसरे, मैंने पी0 सी0 एफ0 और कोआपरेटिव के संयुक्त सचिव, श्री श्यामबिहारी लाल के ऊपर काफी आरोप लगाये थे। एक फीज, हामिद, माल रोड, कानपुर के नाम से खरीदा गया जो विदेशी है और उसकी कीमत 8/10 हजार रुपये है, वह 3400 रुपये में लिया गया और उनके घर पर रखा हुआ है। इसी तरह से पी0 सी0 एफ0 में जब कोयले की कमी हुई तो सरकार ने निर्णय लिया कि कम कीमत पर उपभोक्ताओं को कोयला बेचा जाय। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा में कोयले का स्टाक रख दिया गया। लेकिन वह आज तक नहीं बेचा जा सका। इसका कारण यह है कि यह बहुत महंगा खरीदा गया और घटिया किस्म का है और इसकी ढुलाई भी दुगनी दी गई है। कोयला बिलकुल नहीं बेचा गया है और लाखों रुपयों का घाटा हुआ है। सदन के खत्म होने पर आप इसको पकड़ सकते हैं। इसी तरह से पी0 सी0 एफ0 में करप्शन रहा है। इसी तरह से रोशनलाल रिपोर्ट का मैंने हवाला दिया है। दूसरी रिपोर्ट थी आपके विभाग में बहुत ईमानदार अफसर थे कृपानाथ धुसिया। उनकी रिपोर्ट तीन भागों में थी और जो अधिकारी बेईमान थे वे इस कोशिश में थे कि उनको किस तरह से बदनाम किया जाय। श्री धुसिया की रिपोर्ट गायब कर दी गई। मार्च, 72 और जनवरी, 73 के बीच में 3 हिस्सों में यह रिपोर्ट सरकार के समक्ष भेजी गई। माननीय गोपी नाथ दीक्षित ने उस रिपोर्ट को भूत पूर्व माननीय मुख्य मंत्री, श्री कमला पति त्रिपाठी के पास भेजा, परन्तु नाटकीय ढंग से उस रिपोर्ट को छिपा लिया गया। यहां के मंत्रियों ने धुसिया को धमकी दी कि रिपोर्ट वापिस लो अन्यथा हम सस्पेंड कर देंगे। उसके बाद श्री धुसिया बीमार पड़ गये। उनके दिमाग पर इतना टेंशन पड़ा कि वह बलरामपुर अस्पताल में दाखिल हो गये। उसका नतीजा यह हुआ कि अन्त में वह अस्पताल में मर भी गये। वह ईमानदार अफसर थे।

तो मैं आपसे यह आशा करूंगा कि माननीय मंत्री जी आपकी हिम्मत है, आप करना चाहते हैं मुझे मालूम है। आपने मुझसे कई बार कहा कि इटावा के रामजीत, सुपरवाइजर का ट्रान्सफर का आदेश हो गया। लेकिन मान्यवर, अभी तक उस ट्रान्सफर आदेश का कार्यान्वियन नहीं हुआ है। पी0 सी0 एफ0 का एक सुपरवाइजर जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने पकड़ा। शराब पीते हुए पकड़ा गया। वहां पर एक सुपर-वाइजर जिसका नाम है लाखनसिंह यादव, उसके खिलाफ केस भी कायम हुआ, परन्तु पुलिस वालों पर दबाव डाला गया और मुकदमा भी नहीं चलने दिया गया। श्रीमन्; आप इस सुपरवाइजर का ट्रान्सफर भी नहीं कर सकते हैं, तो आपसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि आप इस विभाग से भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करेंगे। भूमि विकास बैंक में कौन नहीं जानता है कि उस बैंक से जब कोई रुपया लेता है, तो इंजन उसको 1 हजार रुपये में ज्यादा मिलता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि किसानों को इसकी छूट होनी चाहिये। आपको यह छूट देनी चाहिये कि किसान जहां चाहे वहां से इंजन अपना खरीदे और आप इस तरह से अपना आदेश करें कि 10 दिन के अन्दर रुपयों का भुगतान शाखा मैनेजर द्वारा भुगतान कर दिया जाय।

(इस समय 4 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

शाखा मैनेजर का रवैया यह है कि अगर किसान उनके निर्देश के अनुसार उस स्थान से इंजन नहीं खरीदेगा तो उसको चेक देने में अड़ंगा लगायेंगे। इस प्रकार से आपका

नियम होना चाहिये कि 10 दिन के अन्दर वह शाखा मैनेजर उस किसान तक चेक पहुंचा दे। आप भूमिहीन को जमीन देने की बात करते हैं लेकिन भूमि विकास बैंक किसानों को बहुत चौपट किये हुए हैं, दूसरी तरफ भूमि हीन की जमीनें बिकती हुई चली जा रही हैं। आपकी नोटिस पहुंचती है और एक नोटिस के पहुंचने पर आप कहते हैं कि जीप का सब खर्च 300-400 और बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आप नियम बनावें किसी किसान की जमीन को कुर्क न किया जाये। यदि आवश्यकता पड़े तो उसकी फसल को कुर्क किया जाये।

श्री अध्यक्ष--

समाप्त करें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैं निवेदन करूंगा कि जो इटावा की रिपोर्ट है वह आडिट रिपोर्ट है। अगर मंत्री जी चाहेंगे तो मैं उसको पेश कर सकता हूं।

*श्री मन्नू लाल द्विवेदी (जिला रायबरेली)--

आपने मुझे सहकारिता के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो बजट माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं इसका समर्थन इसलिये नहीं कर रहा हूं कि मैं इस तरफ बैठा हूं। अगर आप गौर करें तो देखेंगे कि इस सम्बन्ध में कितना काम हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में साढ़े पांच करोड़ रुपया अल्पकालीन ऋण में दिया गया था और अब 65 करोड़ रुपया अल्पकालीन ऋण में देने के लिए रखा गया है। इस वर्ष 82 करोड़ रुपया बांटने का प्रविधान किया गया है। इसलिये मैं कहता हूं कि यह बहुत ही क्रान्तिकारी कदम है। यह जो बजट आपके सामने आया है यह बहुत ही क्रान्तिकारी है। बहुत से काम कोआपरेटिव के माध्यम से करने के लिये रखे गये हैं। कोआपरेटिव के माध्यम से कहीं पर कताई मिल और कहीं पर सूती मिलों की स्थापना की गयी है। हरदोई में सहकारिता के माध्यम से एक सूती मिल की स्थापना की गयी है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से कि हम जिस समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं, उसकी रचना के लिये सहकारिता आन्दोलन सबसे आगे है। इसमें और भी कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि देश के और प्रदेश के लोगों के सामने एक नयी चीज रक्खे उनको चाहिये कि समाजवादी समाज की रचना हो सके। तो वह घोषणा करें कि जो भत्ता आदि एम0 एल0 ए0 को मिलता है वही सहकारिता मंत्री जी लें और जो शेष धन है वह सहकारिता कोष में जमा कर दें। अगर वह ऐसा कर सकें तो मैं समझूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। वह नये आदमी हैं और बहुत ही ईमानदार हैं। तो मैं समझता हूं कि इस ओर वे अवश्य ध्यान देंगे।

भूमि विकास बैंक बड़ा पैसा बांट रहा है लेकिन इसके माध्यम से किसानों की बड़ी लूट हो रही है। यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। हमारे उच्च अधिकारी जो सहकारिता आन्दोलन में हैं वे अच्छे और ईमानदार हैं। तो इस आन्दोलन में नया रूप आना चाहिये। किसानों की जमीन नीलाम होती है। किसान को यह मौका देना चाहिये कि वह जिस दुकान से चाहे उस दुकान से सामान खरीद सके। किसान की जो लूट होती है वह लूट बन्द होनी चाहिये। किसान जब अपनी किश्त को नहीं दे पाता है तो बैंक उसकी सूचना अखबार में दे देता है। अखबार में देने से किसान को अधिक रुपया देना पड़ता है। मैं लालगंज गया था तो मुझे मालूम हुआ कि अमुक किसान ने अपनी किश्त नहीं अदा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मन्नूलाल द्विवेदी]

की है और उसका नाम अखबार में निकल गया है इसलिये उसको 400 रुपया अधिक देना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मैनेजर साहब यह तो ठीक नहीं है, यह बहुत ज्यादा लगता है तो उन्होंने कहा कि चूंकि आप आये हैं, तो इसको कम कर देंगे। तो मेरी प्रार्थना है कि एडवरटिजमेंट के मामले में भी मंत्री जो ध्यान दें। अगर किसान को 4-5 सौ रुपया इस प्रकार से देना पड़ गया तो जो लोग केवल 4000 या 5000 रुपया उधार लेते हैं, उनकी तो रीढ़ ही टूट जायगी। मेरी मंत्री जी से यह भी प्रार्थना है कि जो लोग ऋण लेते हैं अगर किसी किस्म की दैवी आपत्ति उन पर आ जाय तो उनकी जमीन को कुर्क न किया जाय बल्कि जो देय धनराशि है, उसे आसान किस्तों में लिया जाय।

जहां तक किसानों को ऋण मुक्ति का प्रश्न है, इसमें ऐसा है कि किसानों को मौका नहीं मिलेगा उसके लिये केवल 20 प्रतिशत की व्यवस्था की गई है। सवाई पर कोआपरेटिव विभाग का बीज बांटा जाता है, हालांकि वह अच्छा नहीं होता है। डलमऊ में सावन भादों के महीने में किसानों का जो गल्ला है, वह सवाये पर दिया जाता है। उस समय उसके पास खाने को नहीं होता है। एक बार हम भी ढाई सौ मन गल्ला मिल करके सीड स्टोर पर रखा और उसका परिणाम यह हुआ कि आज वह 2 1/2 हजार मन गल्ला हो गया है और वह किसानों के खाने में इस्तेमाल में आ सकता है।

सुपरवाइजरों की तो शिकायतें कुछ कम हुई हैं। मैं भी एक बैंक का डायरेक्टर था। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि वहां पर जो एकाउन्टेन्ट है, आज उनके हाथ में सत्ता आती जा रही है, न उनका कोई दफतर है, अगर रजिस्ट्रार साहब भी चाहें तो उसका दफतर ढूंढ़ नहीं पायेंगे। तो जो एकाउन्टेन्ट हैं, उनको उस ब्लाक में न रखा जाय और दूसरे उनका एक दफ्तर हो, चाहे वह पंचायत घर में हो और उसके द्वारा जो शासन होता है, वह बंद हो। छोटे-छोटे किसानों के नाम से वह खाद ले लेता है और उसे ब्लैक मार्केट में बेच देता है। मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार के कार्य नहीं होने चाहिये।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता का चुनाव और काम मिल जुल कर होता आया है, यह एक नयी बात रही है। अतः मैं इधर और उधर बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे सब लोग मिल कर बजट का समर्थन करें और विरोध पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव आया है, उसे वापस ले लें।

श्री सत्यपाल सिंह यादव—

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आप ने मुझे श्री काली चरण यादव द्वारा कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये अवसर दिया।

सहकारिता सिद्धान्तः एक अच्छी योजना है। इसमें गरीब और अमीर सब को बराबरी के साथ, एक दूसरे के साथ कार्य करने का मौका मिलता है। हमने सोचा था कि हर वर्ग के लोगों को सहाकारिता के द्वारा कार्य करने से सुन्दर सपना साकार होगा लेकिन 25 वर्ष के उपरान्त भी उत्तर प्रदेश के अन्दर साकार होता नजर नहीं आया है। न जाने कितने अधिकारियों और बेईमान लोगों ने इस विभाग में अपनी अपनी कोठियां बना ली हैं और न जाने कितने गरीब लोग हैं जिन्होंने सहकारिता से कर्ज लिया है। उनके साथ इन बेईमान कर्मचारियों और अधिकारियों ने कितने अत्याचार किए हैं। उनके घर तबाह हो गये हैं, बरबाद हो गये हैं। आज विभाग में अधिकतर लोग बेईमानी करने वाले मिलेंगे, चन्द ही लोग ऐसे हैं जो बेईमानी नहीं करते हैं। लेकिन जनता पर उनकी बेईमानी और भ्रष्टाचार का इतना प्रकोप छाया हुआ है, वे इतने डरे हुए हैं कि किसी भी हालत में ये अधिकारी लोग यह नहीं कह सकते हैं कि हमारा दामन जनता के सामने साफ है और आज जनता उन पर तनिक भी विश्वास नहीं रखती है।

गांधी जी ने कहा था :

". . . . . in Co-oreration"] The sucessful co-operative effort is that members must be honest and know the great merit of Co-operation and it must have a definite progressive goal. Cooperative farming or dairying is undoubtedly a good goal promoting national interests. Such interest can be multiplied. Without character there is no co-operative is a sound maxim."

गांधी जी ने जो उद्देश्य बताया है उसके मुताबिक सहकारिता विभाग काम नहीं कर रहा है। आज कोआपरेटिव बैंक के द्वारा रिक्शा दिये जाते हैं। दस रुपये देने पर रिक्शा चालक मेम्बर बन जाता है। डेढ़ रुपया प्रतिदिन के हिसाब से अदा करना पड़ता है। देखने में बड़ी सुन्दर योजना है परन्तु उसके अन्दर आप देखिये तो मालूम होगा कि 600 रु0 का रिक्शा 800 रुपये में रिक्शा खरीदवाते हैं और वह रिक्शा इतने घटिया किस्म का होता है कि 7-8 महीने में ही बेकार हो जाता है और रिक्शे वाले के लिये किस्त देना मुश्किल हो जाता है और वह बरबाद हो जाता है।

आज हमने माननीय मंत्री जी का वक्तव्य सुना और उनके वक्तव्य के आखिर में हमने यह जरूर देखा कि उनकी यह कामना है कि विभाग से इन दोषों को दूर करें। इसके लिये उन्होंने सुझाव भी मांगे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके विभाग में भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है। आज अभी नये-नये मंत्री बने हैं। आपसे जनता कुछ उम्मीदें रखती है। जो पुराने मंत्री रह चुके हैं उनकी कार्यक्षमता एवं कार्य पद्धति से जनता परिचित हो चुकी है लेकिन आप की ईमानदारी आपकी विशेष कार्य क्षमता और कर्मठता अभी जनता को देखनी बाकी है कि इस विभाग की बेईमानी और भ्रष्टाचार को दूर करने में आप कहां तक सक्षम होते हैं और मंत्री जी इस साल के बाद जब दोबारा इस विभाग का बजट पेश करेंगे तब मैं उनको धन्यवाद दूंगा। भले ही मंत्रीजी को अपने पद की कुरबानी करनी पड़े लेकिन इस विभाग से भ्रष्टाचार को दूर करने में उन्हें बड़े साहस से कदम उठाने चाहिये। आप सुझाव चाहते हैं। मेरा पहला सुझाव तो यह है कि सुपरवाइजरों को ठीक कीजिये। उनके ट्रांसफर वगैरह अपने हाथ में रखिये। पशुपालन के विषय में आपकी सब से ज्यादा उपेक्षा रही है। सन् 47 से पहले हिन्दुस्तान के अन्दर 10 करोड़ से भी अधिक बैल थे और 71 में 1 करोड़ से भी कम बैल रह गये हैं। मैं अपने कांग्रेसी बन्धुओं और मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि जिस गाय और बछड़े के नाम पर आप जीत कर आये हैं उन्हीं गाय और बछड़ों की बहुत बड़ी उपेक्षा हो रही है, उन्हें काटा जा रहा है। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि इस गोधन की उन्नति के लिये आप विशेष प्रयास कीजिये जिससे इस प्रदेश की प्रगति हो सके। खेती ट्रैक्टरों से सुचारु रूप से न हो कर बैलों से होगी।

इसके अतिरिक्त हमारे सांड़ों की व्यवस्था जैसी पहले थी वैसी अब नहीं है। इसलिये सांड़ों की व्यवस्था उचित ढंग से होनी चाहिये। कोआपरेटिव बैंक हर जिले में काम कर रहे हैं। बरेली में भी कोआपरेटिव बैंक हैं। बरेली के कोआपरेटिव बैंक की शिकायतें आपके पास भेजी जा चुकी हैं। वह बैंक नियमों का उल्लंघन करता है। आज कारण क्या है मंत्री महोदय कि आपने इन चीजों को नहीं देखा है। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि अगर आपके पास कोई शिकायत आती है तो आप उसको देखेंगे और अपराधी को सख्त से सख्त सजा देंगे। जिस तरह से संविद सरकार में मंत्री लोगों ने छापे मारे थे उसी तरह

[श्री सत्यपाल सिंह यादव]

से आप भी दौरे कीजिये और अनियमितताओं का पकड़ने में कोई रियायत न कीजिये। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो सपना है, वह साकार होगा बशर्ते कि आप अपने सिद्धान्त पर अडिग रहें और अपनी प्रशासनिक कार्यक्षमता का परिचय देते रहें।

कोआपरेटिव से जो पम्पिंग सेट दिये जाते हैं उसमें सारे अधिकारी और कर्मचारी दोषी होते हैं, वे सब उसके अन्दर हिस्सा पाते हैं। इसलिये इसमें कोई ऐसी योजना बनायी जाये जिससे कि गरीब मारा न जाय। अभी हमारे जिले में एक ऐसे व्यक्ति के नाम से जाली चेक पर दस्तखत बना कर एक आदमी ने रुपया ले लिया। जिस आदमी ने कभी कोई कर्जा लिया नहीं उसके नाम से कर्जा दर्ज हो गया और आखिर में वह उससे वसूल होने लगा और वह नौबत आ गयी कि उसका खेत तक बिकने को हो गया। तब मैंने जाकर मंत्री जी को नोटिस में उस मामले को रखा। उनके आदेश पर भी अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं चाहता हूं इस तरह से जो भ्रष्टाचार है, उसे रोका जाय और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता विभाग से संबंधित अनुदानों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस विभाग के अलावा गरीबों को कर्ज देने वाली और कोई संस्था नहीं है। इस विभाग में गरीबों की सुनवायी होती है। मान्यवर, डा0 लोहिया साहब रिक्शे पर नहीं चढ़ते थे। मुझे याद है कि जब एक बार वे हमारे आजमगढ़ में आये तो हम लोग उन्हें लेने के लिये स्टेशन पर गये। रिक्शे पर सामान तो रख दिया गया, मगर वे खुद उस पर नहीं चढ़े। वे पैदल ही हम लोगों के साथ 2 मील तक गये। मैं उधर के लोगों से, जो लोग समाजवादी विचाराधारा के हैं और जिन पर चौधरी चरण सिंह जी का प्रभाव नहीं पड़ा है, पूछना चाहता हूं कि क्या रिक्शे चलाने वाला सबसे गरीब आदमी नहीं होता है ? जिसको मान्यवर, गांव में मजदूरी नहीं मिलती, वह इस काम को करता है। घोड़े का काम यह करता है। (व्यवधान) इन रिक्शा चलाने वालों को सहकारी बैंक कर्ज देता है। 302 सोसाइटियां पंजीकृत हुईं और इनको 1 करोड़, 91 लाख, 54 हजार 500 रुपये का कर्ज दिया गया। इन रिक्शा चालकों को जो कर्ज दिया गया उसका 98 फीसदी पैसा वापस हो गया। आज तक किसी और समुदाय से इतना अधिक पैसा वसूल नहीं हुआ है। इस गरीब वर्ग की इन्हीं सहकारिता बैंकों द्वारा सहायता मिली है। दूसरे लोग कुछ ऐसे भी हैं जो गरीब नहीं हैं, पर सहकारिता बैंक से कर्ज लेकर दूसरों को देकर खुद सूद कमाते हैं। ऐसे लोगों से रुपया कम वसूल हो रहा है। इन लोगों से 61 फीसदी ही वसूल हो पाया है। वे किसी न किसी बहाने कर्ज अदा नहीं करते और सूद भी नहीं देते हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी कोई ऐसा तरीका अपनायें जिससे ऐसे लोगों से कर्जा शीघ्र वसूल हो पाये।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग में अधिकारियों का हाथ कुछ कम करना चाहिये। हो सकता है कि मेरी बात से कुछ आफिसर लोग नाराज हों, लेकिन मैं भी इसे कबूल करता हूं कि अगर वे नेताओं और आफिसरों का हाथ इसमें से हट जाय तो गांवों के अन्दर काम करने वाले जो गरीब आदमी हैं, जिनका सम्बन्ध इन कोआपरेटिव सोसाइटीज से है, वे उसको साफ करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कितने भी आई0 ए0एस0 व पी0 सी0 एस0 आफिसर हैं, वे कभी अच्छी नजर से नहीं देखे जाते हैं। आज तक जितने भी समाजवादी विचाराधाराओं के आन्दोलन हुए हैं वे सभी आन्दोलनों के वे खिलाफ रहे हैं। सारा काम उसके विपरीत करते हैं। मेरी बात को सुन कर आपको नाराज होंगे, और आफिसर लोग भी नाराज होंगे कि सबसे बड़ें आफिसरों ने, बड़े-बड़े लोगों ने कोआपरेटिव सोसाइटीज को अपना चारागाह समझ रखा है। अभी अभी सात आठ माह पहले की बात है, लखनऊ उपभोक्ता सहकारी समिति, लखनऊ के लिये जर्मनी से 3 हजार रुपये का एक फ्रीज मंगाया गया। बम्बई इसको लाने के लिये दो आफिसर गये, जिन पर 500 रुपया खर्च

हुआ। वहां जाने पर मालूम हुआ कि उसमें कुछ टूट फूट है जिस पर 300 रुपया अगल से खर्च हुआ। इस तरह से कुल 4500 रुपया खर्च हुआ और फ्रीज दिया जिसको, उसका हस्ताक्षर नहीं है। कानपुर का कोई महमूद नाम का आदमी है जिसके नाम उसकी बेंची लिखी गयी है। फर्जी बेंची लिखी गयी और कोआपरेटिव के कोई बड़े आफिसर हैं, शायद स्पेशल सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम श्री श्यामबिहारी लाल है, उनके घर पर वह फ्रीज आज भी मौजूद है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस तरह के भ्रष्टाचार अगर इस विभाग के बड़े आफिसर करते हैं जिनको हम लोग जानते हैं और देखते हैं और फिर हमी लोग छिपाते हैं, तो उधर के लोग कुछ टीका टिप्पणी करते हैं तो हमें उसे भी बर्दाश्त करना चाहिये। उसे बर्दाश्त कर लेने का मतलब यह नहीं है कि हम उस टीका टिप्पणी के करने में मदद करते हैं या गलतियों के खिलाफ नहीं हैं। उसकी स्वच्छता के लिये, स्वस्थ प्रशासन के लिये हमारा भी कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उन त्रुटियों को सख्ती से दूर करें।

कोआपरेटिव विभाग में जो सबसे खराब हैं और जिनके जरिये भ्रष्टाचार फैलता है, वे सुपरवाइजर्स हैं। और सुपरवाइजर्स क्यों हैं? सुपरवाइजर का स्थान तीन विभागों में मौजूद है और तीन जगहों से उनको वेतन मिलता है। एक पी0सी0एफ0 से, एक कोआपरेटिव बैंक से और एक सहकारी बीज भंडार से। इन सुपरवाइजरों के सम्बन्ध में बहुत दिनों से मांग की जा रही है। अगर सरकार भ्रष्टाचार को खतम करना चाहती है और गांव-गांव में कोआपरेटिव की शाखायें ईमानदारी से सरकार फैलाना चाहती है तो सुपरवाइजरों के पदों का राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिये और सरकार को उनको अपने हाथों में ले लेना चाहिये। नहीं तो भ्रष्टाचार हटने वाला नहीं है।

चौथी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके कुछ नियम हैं कि कोआपरेटिव बैंक या पी0सी0एफ0 आदि में जहां 60 फीसदी रुपया सरकार का हो, वहां उसी अनुपात से चेयरमैन या मेम्बरों की नामजदगी करते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्रदेश में तीन चार साल के अन्दर जितने आदेश हुए हैं उन्होंने मैनेजिंग कमेटियों को भंग किया है या डी0सी0एफ0 आदि को अपने हाथ में ले लिया है। सब जगह रिट दाखिल है और जिन्होंने रिट दाखिल करने का प्रतिवाद करने की राय दी थी वे उसकी पैरवी भी नहीं कर रहे हैं। नतीजा यह है कि इस प्रदेश के अधिकांश कोआपरेटिव बैंक आदि आज भी अनियमित चल रहे हैं, उनका चुनाव नहीं हो रहा है। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि माननीय मन्त्री जी को इस तरह भी ध्यान देना चाहिये और ध्यान देकर जो कोआपरेटिव बैंक या डी0सी0एफ0 आदि अनियमत चल रहे हों, उन पर मुकदमा चलाना चाहिये और उनके चुनाव फिर से विधिवत कराने चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*बाबा राम नाथ (जिला मैनपुरी)––

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले कुछ मैं पशुपालन पर बातें कहूंगा। आज पशुधन सुधार 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो पशुओं में जो तरह-तरह की बीमारियां हैं, उनको दूर करे और दूसरे क्रास ब्रीडिंग के तरीके को अपना कर। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में दोनों चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे प्रदेश में 167 कर्मचारी को जो रेंडरपेस्ट में काम करते थे, उनको निकाला जा रहा है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि बीमारी से मुक्ति मिले, दूध का उत्पादन बढ़े। लेकिन आप करते कुछ नहीं हैं। आंकड़े भी उत्तर प्रदेश के अच्छे नहीं हैं। पुराने आंकड़े हैं 43.23

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[बाबा राम नाथ]

लाख मी0 टन दूध होता है लेकिन हमको जरूरत है। करोड़ मी0 टन की। ऐसी स्थिति में जब दूध का उत्पादन ज्यादा नहीं है तो रेंडर पेस्ट बीमारी को खत्म करने के लिये जो यूनिट काम कर रही थी, उसको खत्म किया जा रहा है। जिससे 167 परिवारों पर असर पड़ेगा। इसके अलावा मैं कई ब्लाक स्तर के अस्पतालों में गया तो डाक्टर ने बताया कि घुरका की दवाई नहीं है, दवाइयां कम हैं। घुर्रका रेंडर पेस्ट जो मुख्य बीमारियां हैं, जिनके लिये डाक्टर्स की जरूरत है और लोग की जरूरत है तो उसमें बढ़ाने के बजाय लोगों को घटाया जा रहा है।

मान्यवर, हमारे यहां से खाल बाहर जाती है, पैसा मिलता है, एक्सचेंज मिलता है रेंडर पेस्ट से जो जानवर मरते हैं उनकी खाल विदेशी लोग नहीं लेते हैं। दूसरी बात रेंडर पेस्ट की बीमारी से जो जानवर बच भी जाता है-उसका दूध का उत्पादन घट जाता है। इस प्रश्न पर हमारे सहकारिता मंत्री जो यहां पर बैठे हुये हैं, मैं अपेक्षा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि कम से कम इन बीमारियों की रोकथाम पर ध्यान दें और जो यह यूनिट खत्म की जा रही है, उसको बहाल रखें।

दूसरी बात मैं अब सहकारिता आन्दोलन और कोआपरेटिव बैंक के मुताबिक करूंगा। यह विभाग बहुत पुराना है। 1904 में कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के नाम से रजिस्टर्ड हुआ था। अब 70 साल हो गये हैं चाहे किसी अखबार को देख लीजिये। टाइम्स आफ इंडिया, नेशनल हेराल्ड सबने इसको असंतोषजनक बताया है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप कितने हद तक कामयाब हो सकेंगे। इसका एक मौलिक कारण है। मुख्य बात यह है कि इस विभाग में जो लोग हैं वह इसके लिये जिम्मेदार हैं। दो तरह के हमारे यहां राजनैतिक लोग हैं, एक तो वह जो यहां विधान सभा में आ जाते हैं और बाकी जो उनके रिश्तेदार बच जाते हैं उनको भी कुछ विभाग चाहिये। जो मंत्री नहीं बन पाते या जो यहां नहीं आ पाते, उनको कोआपरेटिव बैंक का अध्यक्ष या डाइरेक्टर बना दिया जाता है। अगर वहां नहीं रखा जाता है तो म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन बना दिये जाते हैं। तो इस तरह से जो नं0 2 का माल रह जाता है, उनको मैनेजिंग डाइरेक्टर, डाइरेक्टर बना दिया जाता है जिसका नतीजा यह होता है कि आप 54 जिलों में से कोई भी जिला ले लीजिये किसी भी कोआपरेटिव बैंक के अन्दर स्वच्छता नहीं है। एक बीमारी और बढ़ा दी गयी कि इनको जीपें दे दी गयीं। पेट्रोल के आंकड़े देखें। जीपों का इस्तेमाल निजी कामों में किया जाता है। केवल पैसा ऐंठने की चेष्टा की जाती है। मेरा कहना है कि इन जीपों को छीन लीजिये अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। बैंक के अध्यक्ष से कहिये कि वह साइकिल उठाये और साइकिल से अपना काम करे। इन जीपों का दुरुपयोग हो रहा है। इसके अलावा जो जिला परिषद् के चेयरमैन हैं उनको भी आपने एम्बेसेडर कार दे दी है। इसमें मौलिक बात यह है कि जो आगे चुनाव होगा उसमें तमाम जीपें और कारें काम करेंगी। इसलिये मेरा कहना है कि इन लोगों से जीपें और कारें छीन ली जायें। इसका मैं घोर विरोध करता हूं। इनकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे जिले में जो जीपें दी गयी हैं, उसका दुरुपयोग होता है। निजी कामों के लिये इस्तेमाल होता है। कानपुर जाना होता है या कहीं जाना होता है तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। रिश्तेदार तक इनका इस्तेमाल करते हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि इनको छीन लेना चाहिये।

सबसे बड़ी बात यह है जो समझ में नहीं आती है कि क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटीज गरीबों के लिये हैं, लेकिन अपर क्लास के लोग इसके डाइरेक्टर और मैनेजिंग डाइरेक्टर बनते हैं। मैं आप के साथ कहना चाहता हूं कि 54 जिलों में से ही भी कोई गरीब आदमी डाइरेक्टर या मैनेजिंग डाइरेक्टर नहीं है। केवल बड़े-बड़े लोग हैं जो मैनेजिंग डाइरेक्टर और डाइरेक्टर बने हैं और शोषण कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपको कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट में तबदीली करनी पड़ेगी। जो बैंक से ऋण लेते हैं, जो गरीब आदमी हैं, उन्हीं लोगों को बैंक

का डाइरेक्टर बनाना चाहते तभी कुछ हो सकता है वरना यह बड़े-बड़े लोग जो पैरासाइट बने बैठे हैं, यह गरीब जनता का शोषण करते रहेंगे। इतने सालों का जो नतीजा है वह यही है कि 3 करोड़ 76 लाख का गबन है और सैकड़ों मुकदमे पेन्डिंग हैं। इसलिये यदि आप सहकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो गरीब आदमी का प्रतिनिधित्व वहां पर आना चाहिये जो डाइरेक्टर्स हों या मैनेजिंग डाइरेक्टर हों। इन शब्दों के साथ जो सुझाव हैं उनको आप मानेंगे और कटौती का मैं समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब यह दूसरे दिन भी जारी रहेगा।]

## नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 51 में 8 सूचनायें मिली हैं। पहली श्री हरिकेवल प्रसाद की 70 हजार रु0 की सशस्त्र लूट की सूचना है। इस पर आप अल्पसूचित प्रश्न करें।

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)--

मान्यवर, इलाहाबाद नगर में पोस्ट आफिस में घुसकर 70 हजार रु0 लूट कर चले गये।

श्री अध्यक्ष--

यह एक घटना है। इस पर आप अल्पसूचित प्रश्न करें।

दूसरी सूचना श्री मुलायम सिंह यादव श्री एदल सिंह, श्री नत्थू सिंह यादव, श्री अठई राम व श्री बलबीर सिंह आदि की है। उनका कहना है कि अलीगढ़ जनपद के दो-दो थाने के थानाध्यक्ष द्वारा चमारों को मारने से जन असंतोष। यह एक जगह का मामला है। होली के अवसर पर कुछ नवजवान बैठे थे। यह भी अल्पसूचित प्रश्न करें।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

यह मामला बड़ा महत्वपूर्ण है। केवल नमस्ते नहीं किया इसलिये उनको मारा गया.....।

श्री अध्यक्ष--

यह महत्वपूर्ण नहीं है। अल्पसूचित प्रश्न करें।

तीसरी सूचना श्री काशीनाथ मेहरोत्रा व श्री श्रीनारायण की हरदोई जिले की है। इसमें भी अल्पसूचित प्रश्न करें।

चौथी सूचना श्री मोहन लाल कपूर की स्थानीय जयनारायण इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य पर असामाजिक तत्वों वाले छात्रों द्वारा शारीरिक प्रहार की है, इस पर भी अल्पसूचित प्रश्न करें।

श्री मोहम्मद शकील अहमद की सूचना लखनऊ नगर में गोमती पार क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति पर है।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, गोमती पार क्षेत्र में पानी नहीं है। बड़ा गम्भीर मामला है। मशीनें टूट गयी हैं और रोज पानी कम हो जाता है। इस पर आप बयान करा दें।

श्री अध्यक्ष--

इसको कार्यवाही के लिये शासन को भेज रहे हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद की सूचना जरूरी है। उनका कहना है कि बावजूद हाईकोर्ट के फैसले के सरकार जानबूझ कर वेतन नहीं दे रही है। हाई कोर्ट में फैसला होता है और यहां वेतन नहीं देते हैं। यह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी ने एक सूचना दी है जो कि महत्वपूर्ण है। 20 हजार छात्रों की उत्तर पुस्तिका न मिलने से उनका भाग्य अधर में है। यह भी वक्तव्य के लिये हो सकता है। माननीय बाबूलाल वर्मा ने दिया है 6 बजे से 11 बजे तथा 3 बजे से 5 बजे तक बिजली का अभाव। इस पर अल्पसूचित प्रश्न करें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

तब तक परीक्षाएं समाप्त हो जायंगी।

श्री अध्यक्ष--

तो कार्यवाही के लिये हम भेज रहे हैं।

अब मैं 15 मिनट का समय बढ़ाये देता हूं।

## बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षा विद्यालयों के शिक्षकों के पुनरीक्षित वेतन का अवशेष धन का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971-73) की संस्तुतियों को 1 अगस्त, 1972 से लागू करने का निर्णय शासन ने मार्च, 1973 में लिया था और यह भी निर्णय लिया था कि 1 अगस्त, 1972 से 28 फरवरी, 1973 तक की अवधि की नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप जो बकाया देय धनराशि होगी उसे कर्मचारियों के प्राविडेन्ट फंड में जमा कराया जायगा। यह आदेश राज्य कर्मचारियों तथा बेसिक सिक्षा परिषद् के विद्यालयों के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किये गये हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण की राजाज्ञा दिनांक 29 जनवरी, 1974 को जारी की गयी। अध्यापकों को पुराना या नया वेतनान चुनने का विकल्प 31 मार्च, 1974 तक देना था। इन पुनरीक्षित वेतनमानों में भी शासन ने पुनर्विचार कर 25 फरवरी, 1974 की राजाज्ञा द्वारा प्रत्येक वेतनमान में 10 रुपये की और वृद्धि 1 फरवरी, 1974 से कर दी। अध्यापकों का विकल्प प्राप्त करके वेतन निर्धारण का कार्य वर्ष 1973-74 में पूरा नहीं हो सका। अतः इन अध्यापकों के वेतन पुनरीक्षण पर जो धन 1973-74 में दिया जाना था, उसका भी सारा भार वर्ष 1974-75 के बजट पर पड़ा।

इस अतिरिक्त व्यय-भार तथा अन्य कारणों से शासन पर वर्ष 1974-75 में जो वित्तीय भार आया उसके कारण हुयी अत्यन्त कठिन अर्थोपाय स्थिति सामने आने पर शासन ने फरवरी, 1975 को निम्नलिखित निर्णय लिया:--

"उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971-73) की संस्तुतियों एवं अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत राजाज्ञाओं के फलस्वरूप वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 की अवधि में अशासकीय शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को देय अवशेष वेतन तथा महंगाई भत्ते की धनराशि, जिसका भुगतान अभी नहीं हुआ है, को उनके प्राविडेन्ट फंड में राजकीय कोषागार में जमा किया जाय (केवल उस अंश को छोड़कर जो अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत रिजर्व बैंक में इम्पाउन्ड किया जाना है)"

तदनुसार उसी तिथि को शिक्षा निदेशक को निर्देश भेज दिये गये।

यह निर्देश भी दिया गया कि इन अध्यापकों/कर्मचारियों को वर्ष 1974–75 में दिये जा रहे वेतन तथा महंगाई भत्ते का भुगतान यथावत् होता रहेगा।

शासन की यह मंशा नहीं है कि किसी का बकाया दिया ही न जाय। बल्कि मंशा यह है कि इन संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण तथा महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण जो अतिरिक्त व्यय–भार पड़ रहा है, उसकी पृष्ठ भूमि में राज्य की अर्थोपाय स्थिति को सुधारने के लिये प्राविडेन्ट फंड की धनराशि जो अभी तक डाकखानों, बैंकों आदि में जमा की जाती थी, को राजकीय कोषागार में जमा की जाय। इसी कारण, जैसा पहले कहा जा चुका है, यह निर्णय लिया गया कि इन कर्मचारियों को वेतन पुनरीक्षण आदि के फलस्वरूप 1972–73 तथा 1973–74 की देय बकाया धनराशि, जिसका भुगतान अभी नहीं हुआ है, अध्यापकों/कर्मचारियों के प्राविडेन्ट फंड में जमा किया जाय जो राजकीय कोष में रखा जाय।

इन अध्यापकों के प्राविडेन्ट फंड को राजकीय कोषागार में जमा करने के लिये इनके प्राविडेन्ट फंड के नियमों में आमूल प्रतिवर्तन करके नये नियम लागू करना आवश्यक था। महालेखाकार को प्राविडेन्ट फण्ड का नया खाता खोलने के लिये भारत सरकार के आडिटर एवं काम्पट्रोलर जनरल से स्वीकृति प्राप्त करनी थी। महालेखाकार ने शासन के प्रस्ताव पर आडीटर एवं काम्पट्रोलर जनरल से नया शीर्षक स्वीकृत कराया। शासन द्वारा बनाये गये नियमों पर महालेखाकार का मत भी प्राप्त करना आवश्यक था, इसलिये उनको नियमावली भेजी गयी। दिनांक 17 मार्च, 1975 को ही महालेखाकार से इन नियमों के बारे में कुछ संशोधन के सुझाव प्राप्त हुये हैं। इनके प्रकाश में इन नियमों को अन्तिम रूप देने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के उत्तर से ही स्पष्ट हो जाता है कि बेसिक शिक्षा के अध्यापकों की इस समय कितनी दुर्दशा है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो अवशेष धन है उसकी राशि कितनी बनती है और क्या रुपया उनका जमाकर दिया गया और यदि नहीं तो क्यों और अगर जमा कर दिया गया है तो रुपया है कहां? सरकार ने उनका रुपया क्यों रोक रखा है?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो रुपया इनका बनता है वह 11 करोड़ है और जो दिया गया है वह 8 करोड़। सरकार की यह मंशा नहीं है और न नीति है, जैसा कि सम्मानित सदस्य ने कहा कि उनका रुपया नहीं दिया जायेगा। जिस वक्त इनकी पे का रिवीजन हुआ उस समय उनको 3 महीने का विकल्प के लिये समय दिया गया था कि वह 31 मार्च, 1974 तक विकल्प दे दें। इसके अलावा दूसरी कार्यवाही भी करनी थी जिसमें देर लगती है। नतीजा यह हुआ कि यह माली-साल खतम हो गया और उसके बाद नया फाइनेन्शियल ईयर आया उस साल में आकर सारा भार पड़ा। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुये यह कहा गया कि यह पैसा इनके प्राविडेन्ट फंड एकाउन्ट में जमा कर दिया जाय और यह प्राविडेन्ट फंड एकाउन्ट राज्य कोषागार में जमा कर दिया जाय। सरकार की यह मंशा नहीं है कि उसको अपने पास रख ले।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा के जो अध्यापक हैं उनके बारे में पहले शासन ने कोई आदेश किये थे लेकिन वह लागू नहीं किये गये और उनका उल्लंघन किया जा रहा है और अब यह जो आदेश है जैसा कुछ अभी बताया गया है, पता नहीं उनका इम्पलीमेंटेशन होगा कि नहीं जिसके कारण बार-बार टीचरों को कठिनाई होती है। नगरपालिका के जो अध्यापक हैं उनके साथ अन्याय किया जा रहा है; तो ऐसा क्यों है?

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न ब्यौरे का है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी फरमाते हैं कि सन् 72 में चूंकि पुनरीक्षित नहीं हुआ इसलिये 72-73 में भुगतान नहीं हुआ और न ही 73-74 में भुगतान हुआ और अब स्थिति यह है कि सारा पैसा प्रावीडेन्ट फंड में डाल रहे हैं। दूसरी तरफ जो बड़े-बड़े आफीसरों की पोस्ट क्रिएट की जा रही हैं और उनको रुपयों का भुगतान किया जा रहा है। क्या इस आर्थिक संकट का ऐसा भी हल हो सकता है कि बड़े-बड़े अफसरों की तनख्वाह की कटौती करके उनके प्रावीडेन्ट फंड में जमा करके उस रुपये से अल्प वेतन भोगी मास्टरों का भुगतान कर दे?

श्री अध्यक्ष--

आपका यह सुझाव है कि उनकी वेतन से कटौती कर दी जाय। आप प्रश्न पूछें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि बड़े-बड़े अधिकारियों जिनकी हजार से ऊपर तनख्वाह है, उनकी तनख्वाह से एक हिस्सा प्राविडेन्ट फंड में जमा करके इन बेचारे अल्प वेतन वाले अध्यापकों को भुगतान करे?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि पे रिवीजन जब हुआ तो 1-8-72 से 28-2-73 तक जितना पैसा राज्य कर्मचारियों, टीचर्स को देना था उनका सारा पैसा प्राविडेन्ट फंड में जमा किया गया। इसी बीच में यह हुआ कि जो टीचर्स थे उनका कहना था कि रिबीजन हुआ है वह कम है और इससे ज्याया होना चाहिये। सरकार ने इस पर विचार किया और यह फैसला किया कि उससे 10 रुपया और बढ़ा दिया जाय। जिस वक्त यह फैसला हुआ उसके बाद से 3 महीने का समय दिया गया विकल्प के लिये। उस विकल्प को प्रस्तुत करने में समय लगा और उसके बाद से जैसा मैंने कहा, कि वित्तीय कठिनाई आ गई।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्लभारतीय)--

अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में जो आया वह यह है कि बेचारा टीचर तो बिल-कुल खतम हो गया। पहले टीचर्स का प्राविडेंट फंड एकान्ट होता था। अब उसे सरकारी कोष में लिया जा रहा है तो इस जन्म में उसे मिल नहीं सकेगा क्योंकि दूसरे कर्मचारियों को भी रिटायर होने पर 5, 6 साल तक नहीं मिल पाता है और वह पापर हो जाते हैं?

श्री अम्मार रिजवी--

मैं माननीय सदस्य की जो चिन्ता है उससे पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं। सरकार की किसी तरह से यह मंशा नहीं है कि टीचर्स का पैसा पी० एफ० में जमा हो तो उससे उसको फायदा न हो और सरकार उसे अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिये सरकारी कोषागार में जमा कर दे उसके लिये नियम बन रहे हैं और उसके लिये सेपरेट लेजर रखा जायगा कि ट्रेजरी में कितना पैसा है। बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत जितने टीचर्स आते हैं उनका पैसा पोस्ट आफिस में एक जग ह जमा होता है। इस लिये माननीय सदस्य की शंका बे बुनियाद है।

श्री मोहन लाल कपूर—

जिस समय जिला परिषदों के हाथ में ये स्कूल थे उस समय ही उनका प्राविडेंट फंड का रुपया नहीं मिलता था। अब बेसिक शिक्षा परिषद् के हाथ में यह सब आ गया है। वेतन निर्धारण का जो अवशेष धन है, वह पी० एफ० में जमा हो जायगा और उसके लिये आप कहते हैं कि नियमावली बनी हुई है, और अध्यापकों का यह रुपया आपने, जो खाता है नियमावली के अनुसार उसमें जमा न करके सरकारी कोषागार में जमा किया है तो इसका क्या आधार है और उससे किस तरह से अध्यापक को फायदा होगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं ऐसा कर दिया जाता तो इस स्टेटमेन्ट के देने का मौका ही न होता जो मैं दे रहा हूं।

श्री मोहन लाल कपूर—

बेसिक स्कूल के शिक्षकों ने 73 दिन से हड़ताल कर रखी है इस आधार पर कि आप उनका वेतन निर्धारित करें तो उनका वेतन निर्धारित हो गया, यह आपका कहना सही नहीं है, बहुत सी नगरपालिकाओं तथा महा नगरपालिकाओं के शिक्षकों का वेतन निर्धारित नहीं हुआ है और आपने माना है कि 72-73 और 73-74 का जो अवशेष है, अभी तो बाकी के विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन निर्धारण कब तक कर दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जैसा माननीय सदस्य ने बताया यह सही है कि कुछ केटेगरीज के वेतन पुनरीक्षित होने से रह गये और उनका केस शासन के विचाराधीन है और जल्दी ही हम उस पर निर्णय लेने वाले हैं।

श्री गोविंद सिंह नेगी—

जैसा मंत्री महोदय ने बतलाया शिक्षकों का पी० एफ० डाकखाने में जमा न हो कर कोषागार में जमा होगा जिसका दीवाला निकल चुका है और जिसका चेक कोई आनर करने के लिये तैयार नहीं होता तो क्या इससे शिक्षकों को परेशानी में नहीं डाला जा रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिला सकता हूं कि इस तरह की कोई बात उनके साथ नहीं होगी जिससे शिक्षकों को कोई कठिनाई हो।

श्री मोहन लाल कपूर—

हाई स्कूल तथा इंटर के साथ प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं जिनको आप मान्यता दे चुके हैं, उनको आप बेसिक एजूकेशन के अन्तर्गत लाने को कब से तैयार हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, यह बेसिक शिक्षा पहले जब जिला परिषदों के पास थी उस समय जिला परिषदों के ऊपर लाखों रुपया बकाया है और वह दे नहीं पा रही है। तो कृपा करके मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो बकाया है यह कब तक आप दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इससे यह प्रश्न नहीं संबंधित है। यह अलग प्रश्न है।

अब हम उठते हैं परसों 7 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 15 मिनट पर सोमवार, 7 अप्रैल, 1975 के 11 बजे दिन के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
5 अप्रैल, 1975।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी० --एल० 117 वि० सभा (532)--1976--3401